द्वितीय माला, खण्ड ११ — अंक ६
२० फरवरी, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ से ३२५, ३२७ से ३३४, ३४९, ३३५ से ३३८, ३४० और ३४१ ... ... ७४९–७३

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ ७७३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६, ३३९, ३४२ से ३४८, ३५० से ३५२ और ३५४ से ३९१ ... ... ७७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४४२ ७८५–८०२

आसनसोल क्षेत्र में खान दुर्घटना ८०२–०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८०३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन ८०३

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के बारे में याचिका ८०३–०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में पटेलनगर तथा उसके निकट के क्षेत्रों में जहरीली गैस का फैलना ८०४

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर की शुद्धि ८०५

जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ८०६–२९

श्री खाडिलकर ८०६–०७

श्री फीरोज गांधी ८०७–०९

श्री ही० ना० मुकर्जी ८०९–१०

श्री अ० कु० सेन ८११–१२

पंडित गो० ब० पंत ८१२–१७

श्री अशोक मेहता ८१८–२०

श्री जवाहरलाल नेहरू ८२०–२९

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ८१२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७–५८ ... ८३०–३९

श्री नौशीर भरूचा ... ८३१–३२

श्री धनगर ८३२–३३

श्री पाणिग्रही ८३३–३४

श्री भक्त दर्शन ८३४–३९

श्री भा० कृ० गायकवाड़ ८३९

भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ८३९–४४

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ८३९–४०

श्री सूपकार ८४०–४१

श्री स० का० पाटिल ... ८४१–४४

राष्ट्रपति से सन्देश ८४४

दैनिक संक्षेपिका ८४५–४९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २० फरवरी, १६५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूध बोर्ड

†*३२२. **श्री राधा रमण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्तूबर में श्रीनगर में राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में दूध के संभरण को नियमित करने तथा उसमें सुधार करने के लिये देश के विभिन्न भागों में दूध-बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो क्या; और

(घ) इन दूध बोर्डों में कितने प्रतिनिधि होंगे और उनका मुख्य काम क्या होगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) राज्य-सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सम्मति दी गयी है कि ऐसे प्रत्येक नगर में, जहां द्वितीय योजना के अधीन दूध संभरण योजना चल रही है, एक संविहित दूध बोर्ड की स्थापना की जाये ।

(घ) प्रत्येक दूध बोर्ड में उत्पादकों, वितरकों, उपभोक्ताओं, नगरपालिकाओं, स्वास्थ्य प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे । उनकी संख्या अलग-अलग स्थानों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगी ।

दूध बोर्ड के मुख्य कार्य ये होंगे—दूध संभरण के सुधार के लिये योजना तैयार करना, उत्पादकों, समाहर्ताओं, विधायकों, वितरकों तथा डेरी व्यवसायिओं का पंजीयन और अनुज्ञापन, उत्पादकों, विधायकों तथा उपभोक्ताओं के लिये दूध के भाव निश्चित करना, दूध की किस्म को गिरने से रोकना, और दूध के उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ावा देने के लिये प्रचार तथा विज्ञापन का काम करना । इन आयोजन, नियमन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो वह दूध

†मूल अंग्रजी में ।

M107LSD—1

की वसूली, विधायन तथा वितरण के लिये और दूध उत्पादकों के निर्माण तथा बिक्री के लिये अपना अलग प्रबन्ध भी कर सकता है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में दूध संभरण की दशा को सुधारने के लिये इन दूध बोर्डों के द्वारा अथवा किसी अन्य योजना से राजकीय सहायता देने के लिये कोई राशि निश्चित की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** सम्पूर्ण देश में दुग्धशालाओं की विकास योजनाओं के लिये लगभग २० करोड़ रुपयों की एक राशि निर्धारित की गयी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन दूध बोर्डों द्वारा दूध से कौन-कौन से उत्पाद तैयार किये जायेंगे और वे किस अभिकरण के माध्यम से तैयार करवाये जायेंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मिल्क पाउडर तथा मिल्क क्रीम बनाने वाले कारखाने स्थापित करने के बारे में कई योजनायें हैं । मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन-कौन से दूध उत्पाद तैयार किये जायेंगे । इन मिल्क पाउडर तथा क्रीम के कारखानों में सभी दूध उत्पाद तैयार किये जायेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या यह सच है कि देश में दूध उत्पादों की अब पर्याप्त कमी हो गयी है और यह कमी हर वर्ष बढ़ती जा रही है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** नहीं, यह सच नहीं है; वास्तव में, यह योजना नस्ल सुधारने के लिये और उससे देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये है, और अब हम उस योजना को लागू कर रहे हैं । मुझे विश्वास है कि दूध का उत्पादन कम नहीं हो रहा है, बल्कि अब तो वह बढ़ेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** इन बोर्डों को स्वयं अपनी योजनायें लागू करने का कहां तक अधिकार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उनके अधिकारों के बारे में मैंने अपने उपरोक्त उत्तर में बता दिया है । उन्हें अपनी योजनायें लागू करने का संविहित अधिकार होगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्यों में दूध तथा दूध उत्पादों का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत कम है—केरल और मद्रास में यह २ औंस प्रति दिन से भी कम है जबकि पंजाब में १६ औंस प्रति दिन है—क्या इन राज्यों में दूध बोर्डों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार कोई विशेष अनुदान देगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जब य योजनायें बनायी गयी थीं, तब इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया था । योजनायें तैयार करते समय प्रत्येक राज्य की धन खर्च करने की क्षमता आदि को ध्यान में रखा गया था ।

†**श्री दासप्पा :** देश में दूध का उत्पादन देश की बढ़ती हुई आबादी के अनुपात से ही बढ़ रहा है या नहीं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** नहीं, ऐसा नहीं है । दूध का उत्पादन देश में बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है । इस योजना का उद्देश्य यही है कि देश के सभी लोगों के लिये और अधिक दूध उत्पादित किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० सुशीला नायर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध, अंडे और मछली लगभग एक ही वर्ग की वस्तुयें हैं—क्योंकि वे प्रोटीन प्रदान करती हैं—क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी समन्वित योजना बनायी है जिससे इन वस्तुओं के उत्पादन के लिये विभिन्न स्थानों पर प्रोत्साहन दिया जाये ताकि समस्त भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त हो सके ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी, हां। माननीय सदस्या का यह कथन ठीक है कि दूध, अंडे और मछली मनुष्य को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती हैं। जैसा कि डा० सुशीला नायर ने कहा है यदि केरल वासियों को केवल २ औंस प्रति व्यक्ति दूध मिल रहा है और पंजाब वासियों को १२ औंस प्रति व्यक्ति तो केरल वासी अधिक मछली प्राप्त कर सकता है जबकि पंजाब के लोग उससे वंचित रह जाते हैं ।

आसाम रेल सम्पर्क

†*३२३. + **श्री बर्मन** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क के लिये सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) क्या स्थायीकरण समिति द्वारा सुझाये गये मार्ग के अतिरिक्त किसी और मार्ग का भी सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा क्या सिफारिश की जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं। सर्वेक्षण अभी हो रहा है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री बर्मन** : क्या यह सच है कि यद्यपि स्थायीकरण समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि बेलाकोबा से दोमोहाती तक के रेल सम्पर्क के लिये सर्वेक्षण किया जाये, राज्य-सरकार ने उस सवक्षण के लिये चीफ़ इंजीनियर को हिदायतें जारी नहीं की हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैंने अभी-अभी यह बताया है कि उसका सर्वेक्षण इस समय हो रहा है ।

†**श्री बर्मन** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि सरकार ने चीफ़ इंजीनियर को यह हिदायत दी है कि वह बेलाकोबा से दोमोहाती तक सर्वेक्षण न करें ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : नहीं, यह सच नहीं है ।

†**श्री बर्मन** : इस सत्र में १७ फरवरी को श्री राज बहादुर द्वारा दिये उस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि १९५१ में वर्तमान एन० एच० एलाइनमेंट नं० ३१ से पांच मील नीचे टोरसा पर एक

†मूल अंग्रेजी में ।

पुल बनाने की योजना तैयार की गयी थी और १९५३ में सम्पूर्ण योजना को छोड़ देना पड़ा, क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय अब भी वही ग़लती करने जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : माननीय मंत्री इस सर्वेक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में पूर्व धारणा बना रहे हैं। पहले सर्वेक्षण तो होने दीजिये, फिर हम उस सामग्री एवं आंकड़ों के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठे किये जायेंगे, निर्णय करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या आसाम लिंक पर गाड़ी सर्विस को अधिक कुशल बनाने की दृष्टि से मनिहारा घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाने की प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा; और यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि हमने हाल ही में ब्रह्मपुत्र पर पांडू और अमीनगांव के बीच एक पुल बनाने का निर्णय किया है।

श्री हेम बरुआ उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यह कहना है कि दूसरी प्रस्थापना अधिक अच्छी है। यह उनका एक सुझाव मात्र है। प्रश्न तो कोई जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से पूछा जाता है, सुझाव देने के लिये नहीं। प्रश्न का उत्तर यह दिया जा चुका है कि पांडू और अमीनगांव के बीच एक पुल बनाने का निर्णय किया गया है ।

†**श्री बर्मन** : क्या मैं एक और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

†**श्री बर्मन** : प्रश्न के भाग (ख) में मैंने यह पूछा था :

> "कि स्थायीकरण समिति द्वारा सुझाये गये मार्ग के अतिरिक्त किसी और मार्ग का भी सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल स्थायीकरण समिति द्वारा प्रस्थापित मार्ग का ही सर्वेक्षण किया जा रहा है, या कि आसाम और बंगाल के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गये किसी अन्य मार्ग का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : पहले तो स्थायीकरण समिति की सिफ़ारिशों के होते हुए भी स्वतंत्र रूप से कुछ सर्वेक्षण किये गए थे। उनमें से एक साल से बिनागुडी तक के लिये था, और रातागुडी और रामशाही से अलिपुर द्वारा तक कई और सर्वेक्षण भी किये गये थे। स्थायीकरण समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अब एक नया सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। प्रश्न पूछने वालों में मेरा भी नाम है। मैं श्री बर्मन से सपर्धा तो नहीं करता, परन्तु उन्हें चार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है जब कि मुझे केवल एक ही पूछने दिया गया है। मुझे और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** साधारणतया, जो माननीय सदस्य किसी प्रश्न की पूर्व सूचना पहले देते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है; शेष सदस्यों के नाम उसमें सम्मिलित कर लिये जाते हैं। माननीय सदस्यों को यह भी समझना चाहिये कि केवल एक ही व्यक्ति को सभी प्रश्न नहीं पूछ लेने चाहियें। यदि कोई प्रश्न किसी अन्य सदस्य द्वारा पूछा जा चुका है तो अन्य सदस्यों को उसी को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम केवल एक ही प्रश्न के जरिये किसी विषय पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं श्री हेम बरुआ को किसी अन्य प्रश्न पर दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दे दूंगा ।

मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड

†*३२४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिये मूल्या स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). प्रस्थापना विचाराधीन है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या वह बोर्ड स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** प्रस्थापना अभी विचाराधीन है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, खाद्यान्न जांच समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि मूल्यों के सामान्य रूप से स्थिरीकरण के लिये एक उच्च शक्ति-प्राप्त नीति निर्धारण निकाय की स्थापना की जाये, और इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना अत्यावश्यक था। उस पर इस समय विचार किया जा रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** उस बोर्ड के सामान्य कार्य क्या होंगे और क्या वह मूल्य-स्थिरीकरण के अतिरिक्त कोई और कार्य भी करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** वास्तव में, खाद्यान्न जांच समिति की सिफ़ारिश के अनुसार यह एक प्रकार का उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड होगा जो कि आर्थिक प्रश्नों पर सरकारी निर्णयों से अच्छी प्रकार से सम्बद्ध रहेगा ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये किसी संविहित कानून का सहारा लेने का इरादा रखती है या कि वह इसके लिये आर्थिक साधनों पर नियंत्रण रखने का इरादा रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** वास्तव में, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन इस प्रकार का एक संविहित उपबन्ध पहले ही है। उसके अनुसार सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविहित रूप से मूल्य निर्धारित कर सकती है परन्तु हम तो मुख्य रूप से आर्थिक साधनों पर ही निर्भर करते हैं।

†मूल अंग्रजी में ।

†**श्री त्यागी :** सरकार द्वारा मूल्यों की कौन-सी उच्चतम सीमाएं निर्धारित की गयी हैं, और क्या वे सीमायें पर्याप्त ऊंची हैं जिससे कि किसानों को और अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने की प्रेरणा मिल सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** कुछ एक क्षेत्रों में, जहां से हम अन्न की वसूली कर रहे हैं, उच्चतम सीमायें निर्धारित कर दी गयी हैं। वे मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। वे मूल्य निर्धारित करते समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनसे किसानों को कोई हानि न हो।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन की कीमत का अलग से हिसाब लगाया है, और क्या आजका विक्रय मूल्य उत्पादन मूल्य से अधिक है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, नहीं। हमारे पास खाद्यान्नों के उत्पादन मूल्य के बारे में निश्चित आंकड़े नहीं हैं। कुछ एक अग्रिम प्रयोग किये गये थे, परन्तु यह कहना कठिन है कि हम उनसे किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन :** ऐसे कौन-से उपाय हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित मूल्यों को राज्यों में लागू किया जा सकेगा; क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का ठीक प्रकार से अनुसरण नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उन्हें लागू करने का उचित उपाय राज्य सरकारों की विधि तथा व्यवस्था ही है। हमें उसी पर निर्भर करना पड़ता है। जहां तक माननीय सदस्य के कथन का सम्बन्ध है, उस पर मुझे भी बड़ा खेद है कि राज्य सरकारें उस संविहित मूल्यों को उतनी अच्छी प्रकार से लागू नहीं कर रही हैं जितना कि होना चाहिये।

मुर्गीखानों का विकास

†*३२५. { **श्री बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) ४ दिसम्बर, १९५७ को नयी दिल्ली में राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के मुर्गीखानों के विकास पदाधिकारियों तथा केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पदाधिकारियों का जो तीन दिन का सम्मेलन हुआ था उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये थे; और

(ख) इन निर्णयों को संघ राज्य-क्षेत्रों में कैसे लागू किया जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें सम्मेलन की मुख्य-मुख्य सिफ़ारिशें निहित हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ख) उन सिफ़ारिशों को संघ राज्य-क्षेत्रों में मुर्गीपालन खाना विकास पदाधिकारी अथवा मुर्गीखाना विकास कार्य के प्रभारी अधिकारी कार्यान्वित करेंगे।

†**श्री बर्मन :** उस सम्मेलन की एक सिफ़ारिश यह थी कि :

"मुर्गीखाने प्रारम्भ करने के लिये हरिजनों और अन्य व्यक्तियों को उधार के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से हरिजनों को कितनी राशि वितरित की गयी है, और क्या प्रशिक्षण संस्थाओं में हरिजनों को आकर्षिक करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : केवल हरिजनों को देने के लिये कोई अलग राशि नहीं की गयी है, परन्तु सामान्य रूप से सारे देश में मुर्गीखानों के विकास के लिये २.५ करोड़ रुपयों की राशि निश्चित की गयी है। देश में मुर्गीखाने प्रारम्भ करने के लिये इच्छुक किसानों को उधार देने की भी व्यवस्था है। इसमें से बहुत-सा धन हरिजनों को ही मिलेगा, क्योंकि यह काम अधिकतर उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है।

†**श्री बर्मन** : पूर्वी पाकिस्तान से कितनी राशि की मुर्गियों तथा अंडों का आयात किया जाता है जो कि अब बन्द कर दिया गया है, और क्या अब इसी देश में मुर्गीखानों के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मेरा ख्याल है कि अब पूर्वी पाकिस्तान से अंडों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और मैं अपने ही देश में मुर्गीखानों के विकास की दृष्टि से इसका स्वागत करता हूं। पूर्वी पाकिस्तान से हर मौसम में लगभग २० लाख अंडे प्रतिमास आया करते थे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय उपमंत्री ने कृपया यह बताया है कि अधिकांश राशि हरिजनों को ही प्राप्त होगी। क्या यह उत्तर तथ्यों पर आधारित है या कि केवल अनुमान ही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मुर्गीपालन कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसे कि देश का हर कोई व्यक्ति अपनाले; मुख्य रूप से हरिजन ही इस कार्य को अपनाते हैं; कुछ एक अन्य लोग भी हैं; परन्तु बहुत कम।

†**श्री दशरथ देब** : किन-किन संघ क्षेत्रों में यह योजना चलाई जायेगी; और प्रत्येक किसान को उधार के रूप में कम से कम कितनी राशि दी जायेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रत्येक किसान को ५०० रुपया दिया जायेगा उन किसानों के लिये एक प्रशिक्षण कोर्स भी है। एक योजना के अधीन उन्हें १५ दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और दूसरी के अधीन तीन महीनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीन महीनों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे मुर्गीखाना स्थापित करने के लिये ५०० रुपयों की राशि पायेंगे। परन्तु यह राशि उन्हें नकद नहीं दी जायेगी; यह तो केवल आधार भूत स्टाक कृत्रिम रूप से अंडे सेने की एक मशीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में दी जायेगी।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि सामुदायिक विकास खण्डों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में आयात किये गये कुक्कुटादि, जैसे कि ब्लैक मिनोरका और व्हाइट लैग हौर्न आदि, पालने का तजुर्बा कोई विशेष उत्साहदायक सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि किसानों को वर्ष के प्रत्येक दिन उनके खाने पर १.५ आने प्रति दिन व्यय करने पड़ते हैं जबकि देसी मुर्गियों के दाने पर एक धेला भी खर्च नहीं करना पड़ता ? क्या इस समस्या पर विशेष रूप से विचार किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : एक देशी मुर्गी वर्ष में अधिक से अधिक ५३ अंडे दे सकती है, जबकि एक व्हाइट लैग हौर्न एक वर्ष में २०८ तक अंडे दे सकती है। व्हाइट लैग हौर्न के पालने पर यदि १०० प्रतिशत भी अधिक खर्च हो जाये तो भी उसके पालने वालों को उससे तीन सौ प्रतिशत से भी अधिक अंडे प्राप्त हो सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे यात्री सुविधायें

*३२७. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के रेलवे यात्रियों की कठिनाइयों और असुविधाओं के अध्ययन के लिये रेलवे के उच्च पदाधिकारियों के छिपे वेष में घूमने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस तरह का एक सुझाव सरकार को मिला था, जिसे सब रेलों को भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि, जैसा मुमकिन हो, इस पर कार्रवाई करें ।

(ख) सुझाव यह है कि रेलवे के अफ़सर तीसरे दर्जे में छिपकर सफर करें और देखें कि तीसरे दर्जे में लोग किन हालतों में सफर करते हैं और जहां कहीं जरूरी हो, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सुझाव दें ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या किसी रेलवे ने उस सुझाव के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो किस रेलवे ने ?

†श्री शाहनवाज़ खां : जी, हां । पश्चिमी रेलवे में उसके अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया है । उसके कुछ पदाधिकारियों ने वहां का दौरा शुरू कर दिया है ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इन पदाधिकारियों ने अपने पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप कोई रिपोर्ट भेजी है ?

†श्री शाहनवाज़खां : जी, हां । रेलवे के सम्बन्ध में उनके जो भी अनुभव थे, उनके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है ।

†श्री भक्त दर्शन : क्या कभी माननीय मंत्री जी और माननीय उप-मंत्री जी ने यह विचार किया है कि उन्हें भी भेस बदल कर यात्रियों की कठिनाइयों का अध्ययन करना चाहिये ।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भेस बदल कर तो ऐसा नहीं किया है, क्योंकि डर है कि भेस बदलने पर भी वे पहचाने जायेंगे, लेकिन अमूमन बिना नोटिस के वे तीसरे दर्जे के कम्पार्टमेंट्स में जा कर देखा करते हैं कि लैवैट्री और पानी की क्या हालत है और वहां ओवर-क्राउडिंग है या नहीं ।

भारत-नार्वे मत्स्य-ग्रहण परियोजना

†*३२८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नींदाकाड़ा में प्रारम्भ की गयी भारत-नार्वे मत्स्य-ग्रहण परियोजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १६५३ में स्थापित की गयी भारत-नार्वे परियोजना में कितनी प्रगति हो चुकी है । [देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस देश में मत्स्य-ग्रहण कार्य को यंत्रों द्वारा चलाने के सम्बन्ध में नार्वे के लोगों द्वारा सुझायी गयी कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही की गयी है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि मछली पकड़ने का काम अब यंत्रों से किया जाये, अधिक मछलियां पकड़ी जायें और मछलियों का विधायन, उनका संधारण तथा उनकी बिक्री का प्रबन्ध किया जाये । इस परियोजना में यंत्रीकृत नौवहन मत्स्य-ग्रहण कार्य में लोगों को प्रशिक्षण देना भी सम्मिलित है ।

†श्री वें० प० नायर : विवरण से यह प्रतीत होता है कि भूमि, मज़दूरी और सामग्री पर आने वाला खर्च तथा शेष आवर्तक खर्च केरल सरकार और भारत सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी । माननीय मंत्री ने १२ तारीख को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस परियोजना में पैट्रोल पर ४,००० रुपये मासिक खर्च आते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस छोटी-सी परियोजना पर पैट्रोल पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे हैं और हम उनका उत्तर दे रहे हैं । उन प्रश्नों में यह पूछा गया है कि पैट्रोल पर कितना खर्च किया जाता है और उनके वेतन बिल क्या-क्या हैं । माननीय सदस्य को सभी ब्यौरे प्राप्त हो जायेंगे । यदि वे यह महसूस करते हैं कि पैट्रोल आदि पर अधिक राशि खर्च की जा रही है तो उस स्थिति में उस पर विचार किया जा सकता है, और विचार करने के लिये एक समिति पहले ही विद्यमान है । हम यह मामला उसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ।

†श्री वें० प० नायर : मैं यह बात नहीं कह रहा । १२ तारीख को इसका उत्तर दिया जा चुका है—उसकी एक प्रति भी मेरे पास है । उसमें यह बताया गया है कि पैट्रोल पर ४,००० रुपये खर्च होता है । जैसा कि मैंने निवेदन किया है उस परियोजना का क्षेत्र बहुत छोटा है; और अधिकांश क्षेत्र ऐसा है जहां पर मोटर नहीं पहुंच सकती । वे तटवर्ती गांव हैं । तो फिर उस पर केवल पैट्रोल पर ही इतना अधिक खर्च—४,००० रुपये मासिक खर्च—कैसे हो जाता है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वहां पर लगभग २५ नार्वे के व्यक्ति हैं । उनका वहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल है । उनकी अपनी गाड़ियां हैं और लगभग ६४ नौकायें भी हैं । उन्हें अपनी इन गाड़ियों के लिये पैट्रोल इस्तेमाल करना पड़ता है ।

†श्री दासप्पा : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि विपणन इस सारी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है । क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मछलियों को आन्तरिक क्षेत्र में ले जाने का प्रबन्ध होगा ? क्या सरकार यह महसूस करती है कि उनके परिवहन के लिये माल-डिब्बों आदि की पर्याप्त व्यवस्था है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : परिवहन की समस्या तो अभी इसी वर्ष ही उत्पन्न हुई है जबकि उन्होंने यंत्रीकृत नार्वे से गहरे सागर में मछलियां पकड़नी आरम्भ की हैं । अतः अब वे यह सोच रहे हैं कि क्विलौन से आन्तरिक क्षेत्र में प्रतिदिन मछली भेजने के लिये मीटर लाइन का शीतागार की व्यवस्था वाला माल डिब्बा प्राप्त किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस परियोजना के परिणामस्वरूप मछली पकड़ने के कार्य में कोई प्रगति दृष्टिगत हुई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि मछुओं को यंत्रों द्वारा मछली पकड़ने और मत्स्य-ग्रहण से सम्बन्धित अन्य कार्यों को यंत्रों द्वारा करने का प्रशिक्षण दिया जाये। इस परियोजना के द्वारा चार-पांच महीनों तक लगभग १०५ टन मछली पकड़ी जा सकेगी।

श्री वें० प० नायर तथा श्री कोडियान उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सदैव मछली पकड़ने के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : यह मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। हमें अनुमति दी जाये कि हम इस सम्बन्ध में कुछ और प्रश्न पूछ सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की सूचना स्वयं क्यों न दी ? कोई बात नहीं, माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के और कई अवसर दिये जायेंगे।

खाद्यान्न जांच समिति

†*३२९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री वाजपेयी :
श्री सूपकार :
श्री संगण्णा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि क्या खाद्यान्न जांच समति की सिफारिशें मान ली गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यह सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरे ख्याल से पिछली बार यह बताया गया था कि कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कुछ को स्वीकार किया जा रहा है। कितनी सिफारिशें मान ली गयीं हैं और कितनी मानी जाने वाली हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना जैसी कुछ बड़ी सिफारिशें हैं जिनके बारे में उत्तर दिया जा चुका है, खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन की स्थापना के बारे में एक सिफारिश है। फिर उन्होंने रक्षित स्टाक रखने की आवश्यकता की भी सिफारिश की थी। इसे हमने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। हमारा विचार गहूं और चावल का १०-१० लाख टन का आपात-कालीन स्टाक तैयार करने का है यद्यपि संभव है कि चावल का १० लाख टन का स्टाक फौरन ही न रखा जा सके। फिर समिति ने अनेक विनियामक कार्यवाहियों की सिफारिश की है। यह एक प्रकार से पूर्ण नियंत्रण और मुक्त व्यापार के बीच का रास्ता होगा। इनका सम्बन्ध व्यापार के लिये लाइसेंस देने से जिसे हमने स्वीकार कर लिया है, उचित मूलवाली दूकानें चलाने, कार्डन, प्रदेश आदि बनाने से है। हमारी वर्तमान नीति आमतौर पर समिति द्वारा सुझाई गयी रूपरखा के अनुरूप ही है। उन्होंने देश में वसूली की सिफारिश की है। हम इसे अपना रहे हैं। उन्होंने उचित मूल्यों वाली दूकानों, कार्य के ढंग में भी कुछ सुधारों, जैसे रूपभेदित राशन योजना, पहचान-पत्र लागू करने आदि की सिफारिश की है। हमने इसे अपना लिया है। फिर उन्होंने इस प्रकार का प्रोत्सहान देने की सिफारिश की है कि·········

†मूल अंग्रेजी में।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मंत्री महोदय यह बताना चाहते हैं कि मंत्रालय इन सभी मामलों के बारे में पूरी तरह सतर्क है ।

†श्री अ० म० थामस : जी, हां ।

†अध्यक्ष महोदय : जिस समय माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि कितनी सिफारिशें मान ली गयीं हैं, यदि मंत्री महोदय यह कह कर चुप हो जाते कि "चार", तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता । यदि यह पूछा गया होता कि सब सिफारिशें क्या-क्या हैं तब वह विवरण दे सकते थे ।

†श्री रंगा : क्या सरकार ने खेती की लागत और फसल की कीमतों के बारे में कोई जांच की है ? क्या विभिन्न राज्यों में कम से कम कोई अग्रिम जांच ही आरम्भ की गयी है ?

†श्री अ० म० थामस : सभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने अभी ही कतिपय अक्रिम योजनाओं के अधीन किये जाने वाले अध्ययनों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया है । इसके अलावा भी सभा को मालूम है कि खाद्यान्न जांच समिति ने चालू सीजन के सम्बन्ध में मूल्यों सीजन की सिफारिश की थी और हमने उस सिफारिश का उचित ध्यान रखा है । हमने १९५२-५३ में अनाज की वसूली के लिये किये गये मूल्यों और पिछले दो या तीन वर्षों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर भी विचार किया था । इसमें उत्पादन-लागत का ध्यान न रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हमने इस बात पर भी·····

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मेरे ख्याल से इस प्रतिवेदन पर तो वाद-विवाद भी हुआ था ।

†एक माननीय सदस्य : जी, हां । (अन्तर्बाधा)

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनें । हो सकता है कि किसी प्रतिवेदन म बहुत-सी सिफारिशें की गयी हों और हमारे पास जितना समय हो वह उन सभी के बारे में प्रश्न पूछने के लिये काफ़ी न हो । यदि कोई माननीय सदस्य अपनी रुचि की किसी विशेष सिफारिश के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहते हों, तो उन्हें पृथक प्रश्न पूछना चाहिये, उसे अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जाना चाहिये । मंत्री महोदय को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री महोदय यदि आमतौर पर यह कह दें कि "सभी सिफारिशें मान ली गयीं हैं" तो मुझे संतोष हो जायगा । जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है उन्हें प्रश्न पूछने से वंचित करना माननीय सदस्यों के लिये उचित नहीं है । माननीय सदस्यों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न की सहायता से प्रश्न पूछने जाते हैं और उन माननीय सदस्यों को बिल्कुल मौका नहीं देते जिन्होंने वह प्रश्न पूछन की तबालन उठायी है । अब से मैं दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । मैं देख रहा हूं कि उन माननीय सदस्यों को वंचित रखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिन्होंने प्रश्न पूछने की तबालन उठायी है । यहां एक माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा है । वह उनका शिशु है । लेकिन कोई और सदस्य उसे लेकर चलते बनते हैं ।

†श्री सूपकार : क्या कमी वाले क्षेत्रों के कष्ट का सामना करने के लिये खाद्यान्न जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अल्प-कालीन तरीके अपनाये गये हैं; और यदि हां, तो वास्तव में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने के बारे में खाद्यान्न जांच समिति ने कोई सिफारिश नहीं की थी । लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता

†मूल अंग्रेजी में ।

हूं कि हमने प्रत्येक संभव कार्यवाही की है, जैसे केन्द्रीय स्टाक में से पर्याप्त मात्रा में अनाज दिया है; लघु सिंचाई और गहन श्रम सम्बन्धी कार्यों के बिकास के लिये लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से भी हमने कुछ रुपया मंजूर किया है ।

†**श्री संगण्णा :** समिति की सिफारिश के अनुसार उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस समिति ने उड़ीसा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है । लेकिन इतना अवश्य हुआ है कि योजना आयोग ने जिस दल को नियुक्त किया था उसने वहां का दौरा किया था और वहां लघु सिंचाई सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्यों के लिये उन्हें कुछ रुपया दिया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वित्तीय स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना के इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस पर विभिन्न विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है जो काफ़ी बढ़ी हुई स्थिति में पहुंच गया है ।

त्रिपुरा से रेल-सम्पर्क

†*३३०. { **डा० राम सुभग सिंह :** +
श्री वाजपेयी :
श्री दशरथ देब : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि, जिनकी मुलाकात दिल्ली में दिसम्बर, १९५७ में हुई थी, पूर्वी पाकिस्तान में होते हुए त्रिपुरा तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये राजी हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन के निर्माण की योजना बना ली गयी है; और

(ग) इस प्रस्तावित लाइन का सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक दिसम्बर, १९५७ में कराची में हुई थी जिसमें यह निश्चय हुआ कि त्रिपुरा तक जाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के रेलवे अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया जाये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पूर्वी बंगाल रेलवे (पाकिस्तान) (के अधिकारियों) के साथ प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने की व्यवस्था कर ली गयी है और आशा है कि यह जल्दी ही पूरा हो जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री वाजपेयी, श्री दशरथ देब ।

इससे पहले कि मैं अन्य सदस्यों को अवसर दूं, जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं वह खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री वाजपेयी : मैं पिछले प्रश्न के समय खड़ा हुआ था । मेरा नाम उस प्रश्न में था, इसमें नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया देखलें । उनका नाम प्रश्न संख्या ३३० में भी है ।

†श्री दशरथ देब : क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान रेलवे, जिसे पहले आसाम-बंगाल रेलवे कहा जाता था, अगरताला हवाई अड्डे के निकट त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्र में से होकर गुजरती है; और यदि हां, तो जिस समय यह मसला उठेगा क्या सरकार उस स्थान से एक रेलवे साइडिंग बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री शाहनवाज खां : भारतीय रेलवे अधिकारियों का एक दल पूर्वी पाकिस्तान गया है और वहां वह विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण करेगा । इस समय जो मुख्य स्थान हमारे ध्यान में हैं वह हैं अरवौरा, बल्ला और एक-दो अन्य रेल-सीमा केन्द्र । सर्वेक्षण पूरा होने के बाद हमें पूरा ब्यौरा मिल जावेगा ।

दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना

*३३१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र के कितने गांवों में अब तक बिजली लगाई जा चुकी है;

(ख) १९५७-५८ में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाने का विचार है; और

(ग) इस कार्य के लिये अब तक कितना खर्च किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) ११ (८ दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड के क्षेत्र में और ३ नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में) ।

(ख) किसी में नहीं ।

(ग) सरकार ने कोई खर्चा नहीं किया है, किन्तु दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड और नई दिल्ली नगरपालिका ने गांवों में बिजली देने की योजना पर अब तक ५ २ लाख रुपये खर्च किये हैं ।

†मैं इसका अंग्रेजी रूपान्तर भी पढ़ दे रहा हूं ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के कितने गांवों में बिजली लगानी तय की गई है और उस पर कितना रुपया खर्च होगा और क्या उसी के अनुसार बिजली लगने जा रही है ?

श्री स० का० पाटिल : हां, बराबर लगने जा रही है । पच्चीस लाख रुपया योजना में मंजूर है । पहली स्कीम जो है वह ९,६०,००० की है और दूसरी १५,४०,००० की और ये स्कीमें पांच बरस के अन्दर पूरी होंगी और ५५ गांव हैं जिनमें बिजली जायेगी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो ५५ गांव हैं ये किस-किस इलाके में हैं, किस-किस पुलिस स्टेशन में ये आते हैं ?

श्री स० का० पाटिल : यह एक बहुत लम्बी लिस्ट है और इन सब का नाम लेकर, मैं समझता हूं, सदन का समय लेना ठीक नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

माल-डिब्बों की मरम्मत के लिये वर्कशाप

+
†*३३२. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वाजपेयी : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे में माल-डिब्बों की मरम्मत के लिये एक नये वर्कशाप की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निश्चय कब तक होने की संभावना है;

(ग) इस वर्कशाप की स्थापना कहां की जायेगी; और

(घ) इस परियोजना में लगभग कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां । बड़ी लाइन के माल-डिब्बों की मरम्मत के लिये एक वर्कशाप की स्थापना होगी ।

(ख) निर्माण कार्य की मंजूरी दी जा चुकी है ।

(ग) कोटा में ।

(घ) लगभग २·१० करोड़ रुपये ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** यह वर्कशाप कितने माल-डिब्बों की मरम्मत करेगा, और इस समय हमारी कितने माल-डिब्बों की मरम्मत करने की क्षमता है, इस समय कितने हज़ार माल-डिब्बों की मरम्मत की जा सकती है और इसके बनने के बाद कितने माल-डिब्बों की मरम्मत की जा सकेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** चार या पांच प्रश्न और वह भी एक ही में !

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां । लेकिन मैं उनका उत्तर दूंगा । यह प्रश्न बड़ी लाइन के माल-डिब्बों की मरम्मत के बारे में है । इस समय पश्चिम रेलवे पर हम प्रति वर्ष ३,१०७ माल-डिब्बों की मरम्मत कर सकते हैं । इस नयी वर्कशाप के पूरे हो जाने के बाद, द्वितीय योजना काल के अन्त तक मरम्मत करने की हमारी क्षमता ८,८४४ माल-डिब्बे प्रति वर्ष हो जायेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** द्वितीय योजना काल तक हमें कितने माल-डिब्बों का निर्माण कर लेने की आशा है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह प्रश्न वास्तव में उत्पन्न तो नहीं होता, लेकिन माननीय सदस्या को मैं यह बता सकता हूं कि द्वितीय योजना काल के अन्त तक हमें आशा है कि हम बड़ी लाइन और मीटर लाइन दोनों को मिलाकर लगभग ३६,००० माल-डिब्बे प्रति वर्ष बनाने लगेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार मीटर लाइन के माल-डिब्बों की मरम्मत के लिये भी वर्कशाप की स्थापना करने वाली है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पश्चिम रेलवे पर मीटर लाइन के माल-डिब्बों की मरम्मत के लिये वर्कशाप की स्थापना का हमारा कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** क्या यह वर्कशाप हिस्से और अन्य चीज़ें बदल कर ऐसे माल-डिब्बों की भी मरम्मत करेगी जिनकी उम्र बीत चुकी है लेकिन जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** यह उन सभी प्रकार के माल-डिब्बों की मरम्मत करगी जो मरम्मत के लिये वहां आयेंगे ।

रेलवे दुर्घटनायें

†*३३३.
श्री म० ला० द्विवेदी :+
श्री राधा रमण :
श्री गोरे :
श्री हेडा :
श्री मधुसूदन राव :
श्री झूलन सिंह :
श्री खाडिल कर :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वारियर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री तंगामणि :
श्री पांगरकर :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या रेलवे मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १ नवम्बर, १९५७ से लेकर ३१ जनवरी, १९५८ तक की अवधि में भारतीय रेलों के प्रत्येक जोन में कुल कितनी भयंकर दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) इनमें से कितनी के बारे में तोड़-फोड़ का संदेह किया जाता है;

(घ) इनमें कितने-कितने रेलवे कर्मचारी और यात्री मारे गये और घायल हुए;

(ङ) रेलवे और यात्रियों की सम्पत्तियों को कितनी क्षति हुई;

(च) दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को कुल कितना मुआवज़ा दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(छ) इन दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों और व्यक्तियों के खिलाफ़ चलाये गये मुक़दमों और की गयी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या प्रभावकारी कार्यवाही निकाली गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तीन भंयकर दुर्घटनायें—मध्य, उत्तर, दक्षिण-पूर्व रेलवे पर एक-एक हुई हैं ।

(ख) से (ज). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो प्रबन्ध अब रेल एक्सीडेंट्स की रोक-थाम के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय ने किये हैं, उसमें कितना और नया स्टाफ बढ़ाया गया है और प्रतिवर्ष कितना नया खर्चा किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसका जवाब देना तो मुश्किल है । जब भी कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है तो उसकी जांच के लियें एक इन्क्वायरी कमिशन या इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और जो सिफारशें वह करती है उनको जहां तक हमारी ताकत में होता है, अमल में लाने की कोशिश हम करते हैं । हाल ही में एक फैसला यह किया गया है कि हम एक्सीडेंट्स की रोक-थाम के लिये खास इंस्पेक्टर्स और खास आफिसर्स हर एक रेलवे पर सिर्फ इसी काम के लिये मुकर्रर करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि कल रात को ही मैंने यह आदेश दिया है कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी । क्या अब ब्यौरे की इन बातों में जाना आवश्यक है ?

†**श्री तंगामणि** : केवल एक ही प्रतिवेदन तो आया है । यहां ५ दुर्घटनाओं का जिक्र है; लेकिन प्रतिवेदन एक ही प्रकाशित हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात मान ली गयी थी कि दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में, चाहे वह बड़ी दुर्घटनायें हों या छोटी, सभी प्रतिवेदन सभा के समक्ष लाये जायेंगे और सभा में उन पर विचार किया जायेगा ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जैसा हमने कहा है, कुछ दुर्घटनायें ऐसी हैं जिनमें पुलिस ने मुकदमे चलाये हैं और इन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखना संभव नहीं है । लेकिन विचार यह है कि दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये और यह प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को दिया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर सभा का समय लेने के स्थान पर इन बातों को क्या इसी समय नहीं लिया जा सकता ? इसे रहने दिया जाय । मैं यथासंभव जल्दी की तिथि निश्चित कर दूंगा ।

†**श्री तंगामणि** : इस विवरण में हमें बताया गया है कि तीन बड़ी दुर्घटनायें हुईं थीं—एक नवम्बर में और दो जनवरी में । क्या इससे मैं यह समझूं कि और कोई भंयकर दुर्घटना नहीं हुई थी क्योंकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में दक्षिण रेलवे पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें धनुष-कोटि जानेवाली एक एक्सप्रेस गाड़ी तंजोर रेलवे स्टेशन में एक पैसेंजर गाड़ी से टकरा गयी थी जिसके फलस्वरूप स्थानीय एम० एल० ए० सहित चार व्यक्ति घायल हो गये थे । क्या यह भयंकर दुर्घटना नहीं थी ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री **शाहनवाज खां** : रेलवे की परिभाषा के अनुसार भयंकर दुर्घटना वह है जिसमें मृत्यु अथवा सख्त चोट पहुंचे या रेलवे को २०,००० रुपये से अधिक सम्पत्ति का नुक़सान पहुंचे ······ (अन्तर्बाधायें)

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को रहने दिया जाय।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस स्टेटमेंट में यह नहीं बतलाया गया कि पैसेन्जर्स की कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसका पता नहीं लगाया है या कुछ दिनों में मालूम हो जायेगा। अगर मालूम हो जायेगा तो क्या सदन के पटल पर यह सूचना रखी जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : आमतौर से ऐसा होता है कि जिन पैसेन्जरों की क्षति होती है वे अगर रेलवे को बताते हैं तब हमें जानकारी होती है। वह जानकारी हमारे पास आ जायेगी तो हम सदन के पटल पर रख देंगे।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या ३४६ को, जो सम्बन्धित प्रश्न के बारे में ही है, प्रश्न संख्या ३३४ के साथ ही ले लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

जूट

†*३३४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जूट के उत्पादकों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिये कोई वित्तीय उपबंध किया है;

(ख) भारत, पाकिस्तान से निम्न श्रेणी का कितना जूट मंगाता है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जूट उत्पादन क्षेत्रों में निम्न श्रेणी का कितना जूट पैदा होता है ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) राज्य में जूट विकास कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को १९५७-५८ में १,७९,००० रुपये का अनुदान और ८६,८१८ रुपये का ऋण स्वीकार किये गये थे।

(ख) जुलाई, १९५७ के पूर्व पाकिस्तान से मंगाये जाने वाले जूट के बारे में श्रणी वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जुलाई—नवम्बर, १९५७ में पाकिस्तान से मंगायी गयी जूट की लगभग ३ लाख गांठों के कुल आयात में २,३०,००० गांठों में कतरनों की थीं और ७०,००० गांठों में लम्बे रेशे वाला जूट था।

(ग) पश्चिमी बंगाल में उत्पादित निम्न श्रेणी का जूट राज्य की कुल वार्षिक उपज का ३५ प्रतिशत है। अनुमान है कि उड़ीसा में 'बाटम' और 'क्रास-बाटम' किस्म के जूट का उत्पादन १९५७-५८ में क्रमशः ६८.५ प्रतिशत और २५ प्रतिशत था। बिहार में १९५५-५६ में जूट की उपरोक्त किस्मों का उत्पादन लगभग ५० प्रतिशत और ३३ प्रतिशत था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उड़ीसा में जूट की कीमतें

†*३४६. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के जूट उत्पादकों की ओर से कम दर और व्यापारियों द्वारा उनसे जूट खरीदने से मना करने से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) सरकार को यह बात स्वयं माननीय सरकार ने बताई थी ।

(ख) मुख्य कठिनाई जूट को उड़ीसा से उठा कर कलकत्ता के मिल क्षेत्रों में ले जाने के बारे में है । सम्बन्धित रेलवे प्रशासन इस बात में पूर्ण अवगत है कि उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बचे हुये माल को अधिकतम मात्रा में उठाया जाये और वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र अर्थात् पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अधिक भूमि में जूट की खेती बढ़ाने के लिये कोई कोटा निश्चित किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : निश्चित कोटा निर्धारित किया गया है । हम देश में जूट उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । किन्तु हमारी पद्धति उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करने के स्थान पर प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की ओर प्रयत्नशील है ।

†**श्री पाणिग्रही** : इस पूर्वी क्षेत्र में जूट की खेती को सहायता प्रदान करने के लिये सरकार के पास कौन-सी विशिष्ट योजनायें हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम जूट के विकास के लिये अनुदान दे रहे हैं । हम कुछ अनुदान ऐसे दे रहे हैं जो जूट विकास कर्मचारियों, पौधा संरक्षण कार्यवाहियों, भिगोने की टंकियों और राज्य-सहायता प्राप्त मूल्यों पर जूट के वितरण का खर्च पूरा करने के लिये हैं । इसके अलावा कृषकों को जो सहायता दी जाती है उसमें उन्हें बीज व पित्र[1] पहियेदारकुदालियां[2] दी जाती हैं और सामान अथवा किरा के आधार औजारों की शक्ल में दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : रेलवे वैगन उपलब्ध करने के अलावा उड़ीसा के जूट उत्पादकों को अधिक कीमत दिलाने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अधिक कीमत दिलाने की कोई विशेष योजना तो नहीं है लेकिन प्रचलित मूल्य भी किसी माने में कम नहीं हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि इस वर्ष उत्पादकों से जो कीमत देने का प्रस्ताव किया गया था वह बाजार मूल्य से कहीं कम था । और इसकी वजह यह थी कि खरीदार जूट नहीं खरीद रहे थे और इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन किया गया था ? जूट उत्पादकों को बाजार भाव के आधार पर कीमत दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम यथासंभव सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यातायात का यह प्रश्न एक दिन में हल नहीं हो सकता । इसमें कुछ समय लगना अनिवार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।
[1] Seed drills.
[2] Wheel hoes.

कौंच-जल-भण्डार परियोजना

*३३५. { +श्री भक्त दर्शन : श्री स० चं० सामन्त : श्री दी० चं० शर्मा : श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कौंच-जल-भण्डार परियोजना के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इस परियोजना का निर्माणकार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

†मैं उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूं ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस जल-भंडार योजना के बारे में उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों से भी कोई परामर्श लिया गया है और आया उन्होंने इसके बारे में अपनी कोई सम्मति प्रकट की है ?

श्री स० का० पाटिल : परामर्श तो जरूर किया गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के पास आई नहीं है । वे लोग अभी तक सोच रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि इस प्रस्तावित जल योजना के कारण, यानी जो कौंच जल-भंडार योजना बनेगी उस के कारण, देहरादून जिले में डाक पत्थर स्थान पर यमुना पर जो बांध बन रहा है, और जिस पर कि लाखों रुपया खर्च भी हो गया है उसको धक्का पहुंचने की आशंका है, इसलिये उसे रोक दिया गया है ? क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि दोनों को मिला कर कोई ऐसी योजना चलाई जाय जिसमें कि पहले का रुपया बेकार न जाय ?

श्री स० का० पाटिल : मैं तो सभा में पहले उत्तर दे चुका हूं कि जब कौंच योजना आयेगी तो पहली योजना में निकम्मी हो जायेगी । इसलिये दूसरी योजना में जिस पर २ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहा है, और जिसमें करीब इतनी ही एलेक्ट्रिसिटी पैदा होने वाली है, कुछ रुकावट नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । मैं एक माननीय सदस्य को दो से अधिक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

चावल की वसूली की योजना

†*३३६. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में अनाज की कमी का सामना करने के लिये चावल की वसूली की कौन-सी योजना बनायी है;

(ख) अगले साल की खेती के सम्बन्ध में किसानों की मांगें पूरी करने के उद्देश्य से धान की वसूली के लिये किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(ग) क्या बिहार और उड़ीसा राज्य सरकारों ने अपने यहां के कमी वाले क्षेत्र में वितरण के हेतु व्यापारियों से चावल खरीदने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) आन्ध्र प्रदेश और पंजाब में चावल की वसूली भारत सरकार के खाते की जा रही है ।

आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर की सरकारों और त्रिपुरा मनीपुर प्रशासनों को अपने-अपने क्षेत्र में चावल/धान की वसूली करने की अनुमति दे दी गयी है।

(ख) 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के नियमों के अधीन बीज वितरण करने की योजनायें २ रुपये प्रति मन की राज-सहायता पान की अधिकारी हैं। जिन राज्यों को बीज बाहर से मंगाना पड़ता है उन्हें गोदामों में रखने और यातायात के व्यय की लिये ८ आने प्रति मन की दर से अतिरिक्त राज-सहायता मिल सकती है। इस राज-सहायता का अंश केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर वहन किया जाता है। बीज खरीदने के लिये अल्पकालीन ऋण भी मंजूर किया जा सकता है।

(ग) और (घ). उड़ीसा सरकार ने चावल की वसूली के लिये वित्तीय सहायता मांगी है और उनका अनुरोध विचाराधीन है। बिहार में चावल की वसूली करने का प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री प्र० गं० देब** : उड़ीसा में इस वर्ष व्याप्त अन्न-संकट का सामना करने के लिये उसे उचित वित्तीय सहायता देने के बारे में सरकार कब तक निश्चय करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : उड़ीसा सरकार ने एक करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण मांगा है। इस समय यह वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

†**श्री सूपकार** : उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से यह सहायता किस समय मांगी थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यहां मेरे पास उसकी निश्चित तारीख नहीं है।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या पश्चिम बंगाल में चावल की वसूली के भाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं या राज्य-सरकार द्वारा ?

†**श्री अ० म० थामस** : वसूली के भाव राज्य-सरकार के परामर्श से निश्चित किये जाते हैं; राज्य-सरकार ने कुछ थोड़े रूपभेद का सुझाव दिया है और उन पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

केन्द्रीय चावल समिति

†*३३७. **श्री हेडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय चावल समिति नियुक्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की कार्यवाही का क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) समिति का कार्य-स्थल क्या है और उसकी प्रथम अवधि में इसके सदस्य कौन-कौन थे ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने एक चावल समिति नियुक्त की है।

(ख) और (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१**]

डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†*३३८. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेमराज :
श्री पद्म देव :
श्री तंगामणि : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५ जनवरी, १९५८ को चिन्तालपल्ली रेलवे स्टेशन के निकट ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस के पिछले दो डिब्बे पटरी से उतरने के क्या कारण थे;

(ख) इन दो डिब्बों में कितने यात्री थे;

(ग) घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) रेलगाड़ी ने अपनी यात्रा कब पुनः आरम्भ की और यात्रियों की शेष यात्रा के लिये क्या प्रबन्ध किये गये थे;

(ङ) सामान्य यातायात में कितना समय लगा; और

(च) रेलवे की कितनी आर्थिक क्षति हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति ने दुर्घटना का जो कारण निश्चित किया है वह यह है कि चिन्तालपल्ली पर पाइंट संख्या १५ की क्रासिंग की विंग और लीड पटरियां कुछ पथ-स्थिरकों[1] के बेकार हो जाने के कारण अपने स्थान से हट गयी थीं। लेकिन यह उपपत्ति अभी रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) चौवन;

(ग) एक भी नहीं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Track-fastenings.

(घ) यह गाड़ी उसी दिन ०३·२५ बजे रवाना हो गयी थी। पिछले डिब्बों में बैठे यात्रियों को गाड़ी के अगले आठ डिब्बों में कर दिया गया था। इसके बाद तीसरे दर्जे का एक डिब्बा काजीपेट में और ऊंचे दर्जे के दो डिब्बे नागपुर में गाड़ी में जोड़ दिये गये थे।

(ङ) पटरी को साफ़ करने और गाड़ियों का सीधे आना-जाना फिर से शुरू करने में सोलह घंटे और पांच मिनट;

(च) ८,०७५ रुपये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यात्रियों का सामान एक डिब्बे से हटाकर दूसरे में रखने में उनका कुछ सामान गुम हो गया जिसके लिये उन्होंने मुआवज़ा मांगा है, और यदि हां, तो कितना मुआवज़ा मांगा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह आशा की जाती है कि जब यात्री एक डिब्बे से हटकर दूसरे में जाते हैं तब वह अपने सामान का ध्यान स्वयं ही रखेंगे। मेरा ख्याल है कि रेलवे से मुआवज़ा मांगना तो ज्यादती होगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि डिब्बों के पटरी पर से उतरने की पुनरावृत्ति रोकने के लिये समिति ने कुछ तरीके सुझाये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** कुछ दिन पहले हमारे एक अत्यंत ही योग्य अधिकारी के अधीन एक समिति की नियुक्ति की गयी थी जिसे आइज़क लेथम समिति कहा जाता है। उसने विशेष रूप से डिब्बों के पटरी से उतरने के इस प्रश्न का ही अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस दुर्घटना के एक सप्ताह पश्चात्, अर्थात् जनवरी के दूसरे हफ्ते में भोपाल-नागदा पैसेंजर गाड़ी के दो डिब्बे पिपलोड-बागला सैक्शन पर पटरी पर से उतर गये थे, क्या ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति के वास्तविक कारण की जांच की गयी है, और क्या इस आरोप में कुछ भी सच्चाई है कि वैकुअम ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** गाड़ियां विभिन्न कारणों की वजह से पटरी पर से उतर सकती हैं। मैं माननीय सभा को यह बताऊं कि एक वर्ष के दौरान में पटरी से उतरने की ३,००० से भी अधिक घटनायें हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि पटरी से उतरने की यह एक ही घटना हुई है। सैंकड़ों—हजारों गाड़ियां चलती हैं और कुछ पहिये पटरी पर से फिसल जाते हैं।

†**श्री तंगामणि :** जैसा कि उपमंत्री महोदय ने स्वयं माना है कि गाड़ियों के पटरी पर से उतर जाने की ३,००० से भी अधिक घटनायें हो चुकी हैं। क्या गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने के विभिन्न कारणों की जांच की गयी है और जनरल मैनेजरों के हाल में हुए सम्मेलन में कोई निश्चय किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां। हम गाड़ियों के पटरी पर से उतर जाने के कारणों की जांच कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ियां पटरी पर से उतर जाती हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** जिस ट्रेन के बारे में इस समय चर्चा हो रही है मैं उस पर यात्रा कर रहा था। क्या यह दुर्घटना इस कारण से हुई थी कि उस गाड़ी ने रफ्तार सम्बन्धी किसी विनियम का

†मूल अंग्रेजी में ।

पालन नहीं किया था और जब सबसे निकट के स्टेशन को गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने की सूचना दी गयी तो अधिकारियों ने फौरन कार्यवाही क्यों नहीं की ?

†**श्री शाहनवाज खां :** श्रीमान्, मैं अपने पिछले उत्तर को शुद्ध कर अधिक निश्चित आंकड़े देना चाहता हूं। १९५५-५६ में गाड़ियों के पटरी पर से उतरने की कुल १,२५६ और १९५६-५७ में १,३३१ घटनायें हुई थीं। गाड़ी के पटरी से उतरने का एक कारण यह भी हो सकता है जब गाड़ी मोड़ पर जा रही हो और उसकी रफ्तार बहुत तेज हो तो वह फिसल कर पटरी पर से उतर जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** मैं यह जानना चाहता हूं कि फौरन ही कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। गाड़ियों के पटरी से उतरने की ३,००० घटनायें हुई हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** यह मामला ऐसा है जिसमें मैं खुद उसी गाड़ी से यात्रा कर रहा था।

†**अध्यक्ष महोदय :** रेलवे आय-व्ययक के समय माननीय सदस्य को मौका मिल जायेगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** श्रीमान्, मैं इसी गाड़ी से यात्रा कर रहा था और भाग्यवश बच गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस बात की खुशी है। रेलवे बजट के समय इन सभी मामलों को लाया जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

गन्ना

†*३४०. **श्री मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र में गन्ने की फसल का सुधार करने और फैक्टरी क्षेत्रों का विकास करने की कोई योजना स्वीकृत की है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** जी, हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में १७·५७ लाख रुपये की लागत की योजना है। इसका उद्देश्य गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करना और उसकी किस्म को समुन्नत करना है। यह आजकल क्रियान्वित हो रही है।

श्री मधुसूदन राव : क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि अब तक सैकेंड फाइव ईअर प्लान में कितना काम हुआ है और कितना पैसा खर्च हुआ है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : काम शुरू हुआ है। पिछले दो सालों में से पहले साल में स्टेट गवर्नमेंट ने ९४ हज़ार रुपया खर्च किया और इस साल में २ लाख ९२ हज़ार रुपया खर्च किया है।

†**श्री जाधव :** आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने एकड़ क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और प्रति एकड़ उत्पादन कितना है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** आंध्र प्रदेश में कुल १,७४,६०० एकड़ क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और इस समय प्रति एकड़ औसत उत्पादन लगभग २९ टन है।

†**श्री विश्व नाथ राय :** क्या गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार में कुछ उन्नति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस सुधार योजना के पीछे यह विचार है कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जायें और गन्ने की किस्म अच्छी हो ।

†श्री विश्व नाथ राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या औसत पैदावार बढ़ाने के प्रयास में कुछ सफलता मिली है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : निश्चय ही हुई है; वह बढ़ रहा है। चीनी और गन्ना दोनों का उत्पादन बढ़ रहा है ।

†श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में विशाल क्षेत्रों में प्रति एकड़ पैदावार बहुत अच्छी है, कौनसी योजनायें और आगे आरम्भ की जाने वाली हैं और क्या गवेषणा के सम्बन्ध में अधिक व्यय किये जाने के फलस्वरूप क्या कोई नया गवेषणा केंद्र बन रहा है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : आन्ध्र प्रदेश में चार गन्ना सम्पर्क फार्म होंगे; एक बोब्बिली म, एक सामलकोट में, एक टनुकु में और एक वय्यूर में । कुछ दिन बाद एक चित्तूर के निकट भी बन जायेगा ।

चौधरी समिति का प्रतिवेदन

†*३४१. { श्री रघुनाथ सिंह[+] :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख पत्तनों में श्रमिकों की वेतन श्रेणियों तथा भत्तों के सम्बन्ध में चौधरी समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : लोक-सभा पटल पर एक बिवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२**]

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार को अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक संधान की ओर से हड़ताल की कोई पूर्व-सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि यदि मार्च, १९५८ तक चौधरी समिति की सिफारिशें लागू नहीं की गईं तो वे हड़ताल कर देंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : सरकार को हड़ताल सम्बन्धी कोई पूर्व-सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री तंगामणि** : चौधरी समिति का प्रतिवेदन १९५७ से कहीं पहिले प्राप्त हुआ था और सरकार ने इस पर नवम्बर में विचार किया था । क्या मैं जान सकता हूं कि जब तक द्वितीय वेतन आयोग का अन्तिम पंचाट नहीं प्राप्त होता तब तक चौधरी समिति के प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों को लागू करने में इतना बिलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक मुझे स्मरण है १ सितम्बर, १९५७ को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था । दिल्ली में संघों से उच्चतम स्तर पर बातचीत की गई थी और उसके परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि इस प्रकार की सिफारिशों पर जिनसे सम्बन्धित मद नए वेतन आयोग के

†मूल अंग्रेजी में ।

निर्देश पदों के अन्तर्गत आते हैं, तब तक अमल न किया जाये जब तक कि नया वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता। और यह कि आयोग की सिफारिशों को देखते हुए जिस रूप में सरकार उन्हें स्वीकार करे उस रूप में उन पर विचार किया जाना चाहिये। अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में स्थानीय पत्तन प्रशासन स्तर पर बातचीत हो रही है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** जब कि सिफारिशों में कोचीन पत्तन को भी शामिल किया गया है क्या कारण है कि प्रशासक तथा पत्तन श्रमिक संघ के बीच कोई बातचीत नहीं की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** कोचीन पत्तन में प्रस्वीकृत संघ, पत्तन प्रशासी अधिकारी से बातचीत कर रहा है। वहां कुछ सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है अब तक कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

†**श्री कोडियान :** कोचीन पत्तन क्षेत्र में किन सिफारिशों को लागू किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** उन सिफारिशों का सम्बन्ध छुट्टी तथा अन्य विशेषाधिकारों के मामले में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में विभेद को दूर करने से है।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** क्या सरकार को मालूम है कि कोचीन पत्तन में श्रमिकों द्वारा कुछ उन मांगों को लागू करने के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया गया था जो चौधरी समिति के प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं, अर्थात्, बम्बई पत्तन तथा कोचीन पत्तन में चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों की सेवा शर्तों में असमानता ?

†**श्री राज बहादुर :** पत्तन प्रशासन अधिकारी के विभाग के सामने लगभग १८० श्रमिकों ने एक प्रदर्शन किया था। परन्तु मेरे विचार में अब सब ठीक है और प्रस्वीकृत संघों से बातचीत हो रही है।

†**श्री कोडियान :** द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त भी मद्रास, कलकत्ता तथा कोचीन पत्तनों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से बम्बई के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में सरकार विभेद क्यों कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रश्न अधिक स्पष्ट नहीं है। परन्तु मेरे विचार में यह कहना पर्याप्त होगा कि पत्तन श्रमिकों के निबन्धनों तथा शर्तों के सभी पहलुओं से सम्बन्धित ९० के लगभग सिफारिशें हैं और उनके सम्बन्ध में हमें अन्तिम निर्णय करने में समय लगेगा। किन्तु संघों के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित पत्तन के प्रशासन के बीच कई बैठकें हुई हैं और इसलिए मेरे विचार में यदि कोई मतभेद है तो उसे दूर करने के लिए हमें उन्हें समय देना चाहिए।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अनाज के दाम

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के सप्ताहों में विभिन्न राज्यों में अनाज के दामों के स्तर में कमी होने की प्रवृत्ति पाई गई है;

(ख) जिन अनाजों के दामों का स्तर गिर गया है उनके नाम क्या हैं; और

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) जिन क्षेत्रों में पिछले वर्ष सूखे के कारण फसलों को हानि हुई थी वहां अनाज के दामों की स्थिति कैसी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का तथा ज्वार ।

(ग) कुल मिला कर सन्तोषजनक है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : बिहार में तथा देश के अन्य अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मोटे तथा दरम्यानी किस्म के चावल के दाम क्या हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : बिहार में मोटे चावल के दाम के स्तर में कमी हुई है । ३१ जनवरी, को इस चावल का दाम रु० २२/८/- था और फिर घट कर दाम रु० २२/४/- हो गया था । जयनगर में भाव रु० २२/८/- है । जमशेदपुर में भाव रु० २२/४/- है ।

†**श्री कासलीवाल** : राजस्थान तथा पंजाब में गेहूं के दामों में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : राजस्थान में गेहूं के दाम कम हो कर १२ रुपये से १३ रुपये प्रति मन हो गए हैं । पंजाब में गेहूं का भाव न्यूनाधिक १४ रुपये से १५ रुपये प्रति मन तक टिका हुआ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : संघ सरकार द्वारा अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अनाज की कुल कितनी मात्रा भेजी गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अकाल पीड़ित क्षेत्रों में हम सम्बन्धित विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अनाज भेज रहे हैं । निःसन्देह हम पर्याप्त मात्रा में चावल भेजने की स्थिति में नहीं हैं । हम गेहूं पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उत्तरी बंगाल तथा दक्षिणी बंगाल में दिसम्बर तथा जनवरी में अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में चावल का दाम क्या था ?

†**श्री अ० म० थामस** : दिसम्बर में संथिया में मोटी किस्म के चावल का भाव १९ रुपये था । कोन्टाइ में भाव १८ रुपये १२ आने था । बेल्लूर घाट में इसका भाव १९ रुपये ८ आने था । ये भाव दिसम्बर के अन्त में थे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जनवरी में भाव क्या थे ?

†**श्री अ० म० थामस** : जनवरी में मोटी किस्म के चावल का भाव क्रमशः १९ रुपये ४ आने, १९ रुपये ८ आने तथा १९ रुपये ८ आने था ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या दिल्ली में पिछले सप्ताह के दौरान में अनाज की कीमतों में विशेष रूप से गेहूं तथा चावल के भाव में तेजी देखने में आई थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में दिल्ली में चावल के भाव में तेजी देखने में आई भी और इसीलिए हमने दिल्ली को भी पंजाब जोन में सम्मिलित किया है ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : पश्चिमी बंगाल में इस समय मोटी किस्म के तथा दरम्यानी किस्म के चावल के दाम क्या हैं और पश्चिमी बंगाल में चावल की वसूली का दाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं सुन नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कार्य सूची की अगली मद को ले रहा हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली

†३२९. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल में १९५७ में बाह्य रोगियों की प्रति दिन की औसत कितनी थी; और

(ख) उनके उपचार के लिये डाक्टरों की संख्या कितनी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १,५९६ प्रति दिन ।

(ख) लगभग ७७ डाक्टर ।

हिमाचल प्रदेश में गेहूं

३३९. श्री नेक राम नेगी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५४ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को दिया गया ४० हजार मन गेहूं १४ रुपये प्रति मन या उससे अधिक भाव पर बेचा गया;

(ख) अब तक कितना गेहूं बेचा गया; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि हमाचल प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होने के कारण उसे दिया गया गेहूं हिमाचल प्रदेश के लिये अपर्याप्त है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को गेहूं १४ रुपये प्रति मन, गन्तव्य स्थान रेल डिलीवरी पर बेचा था । हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस गेहूं को रेल स्टेशन से वितरण स्थानों तक के विभिन्न भाड़ों को हिसाब में लगाकर भिन्न-भिन्न भाव पर वितरण किया । १९५७ में यह भाव १५·८७ रुपये से ३० रुपये प्रति मन तक रहे।

(ख) ३१-१२-१९५७ तक २९,३४६ मन गेहूं उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बेचा गया;

(ग) इसी मास हिमाचल प्रदेश सरकार ने ३०० टन गेहूं और मांगा था । यह मात्रा उनके लिये निश्चित कर दी गई है ।

उड़ीसा में चावल

†*३४२. **श्री सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५८ को समाप्त होने वाले छः महीनों की अवधि में भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य से अन्य राज्यों को चावल की कुल कितनी मात्रा भेजी गई थी; और

(ख) क्या उड़ीसा से भारी मात्रा में चावल भेजते समय १९५७ की वर्षा ऋतु में उड़ीसा में सूखे की गम्भीर स्थिति की उपेक्षा की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) १ अगस्त से २३ नवम्बर, १९५७ तक २६,६०० टन। २३ नवम्बर, १९५७ के बाद निर्यात बन्द कर दिया गया था।

(ख) उड़ीसा में सूखे के कारण चावल की फसल को हुई क्षति के समाचार पाते ही चावल का निर्यात रोक दिया गया था।

गृह-निर्माण सहकारी समिति

†*३४३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गृह-कार्य मंत्रालय की गृह-निर्माण सहकारी समिति (हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी) को दिल्ली में ३५० एकड़ भूमि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो यह भूमि किससे किस आधार पर अर्जित की गई थी?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) गृह-कार्य मंत्रालय की गृह-निर्माण सहकारी समिति (हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी) नामक कोई समिति नहीं है; परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय की एक सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह-निर्माण समिति लि० (गवर्नमेंट सर्वेंट्स-कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड) है। सरकार द्वारा अभी इस समिति को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है परन्तु यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में सिंचाई की सुविधायें

*३४४. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के सूखे वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें देने के लिये बिहार सरकार को अब तक कितनी धन-राशि दी गई है; और

(ख) इस धन राशि से सिंचाई की किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) 'सूखे वाले क्षेत्र के लिये स्थाई सुधार' के कार्यक्रम के अधीन बिहार सरकार को अब तक २२५·३८ लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार २२ योजनाओं का निष्पादन कर रही है जिनमें से दो सिंचाई योजनाएं हैं और बाकी पानी की निकासी (ड्रेनेज) से सम्बन्धित हैं। आशा है कि पूरा होने पर ये दो सिंचाई योजनाएं १,०२,१०० एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी। ये (१) कमला नहर और (२) त्रिवेणी नहर विस्तार योजनाएं हैं।

इन योजनाओं द्वारा खेतों की सिंचाई, अन्य नहरों की तरह, नहरी जल मार्गों से 'प्रवाह और उठाऊ' (फ्लो एण्ड लिफ्ट) दोनों तरीकों से की जाएगी।

जल निकास योजनाएं, उन क्षेत्रों से जो अब तक बरसात में पानी में डूबे रहते हैं, रुके हुए बरसाती पानी के बहाव के लिये रास्ता खोल देंगी और इस तरह उन क्षेत्रों को खेती योग्य बना देंगी।

†मूल अंग्रेजी में।

नागार्जुन सागर परियोजना में दायें किनारे का अस्पताल

†*३४५. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दायें किनारे के अस्पताल का निर्माण कब शुरू होगा;

(ख) निर्माण-कार्य कब तक पूरा होगा; और

(ग) इस अस्पताल का प्राक्कलित खर्च कितना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) बायें किनारे के अस्पताल में जो सुविधायें प्राप्य होंगी उन्हें देखते हुए दिसम्बर, १९५७ में नागार्जुन सागर नियन्त्रण बोर्ड ने दायें किनारे पर एक अस्पताल निर्मित करने के प्रस्ताव को त्यागने का निर्णय किया था। तथापि दायें किनारे पर जो औषधालय पहिले से ही स्थित है वह कार्य करता रहेगा ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इमारतों में दोष

†*३४६. **डा० सुशीला नायर : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजनी (नागपुर) में निर्मित आर बी २ प्रकार के क्वार्टर प्रथम वर्षा ऋतु में चूने लगे थे;

(ख) क्या यह सच है कि नासिक रोड में तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय की छत, निर्माण के तुरन्त ही बाद गिर गई थी;

(ग) क्या शोलापुर के रनिंग रूम में इसके निर्माण के कुछ ही महीनों में दरारें आ गई थीं;

(घ) क्या परेल वर्कशाप के निर्माण के प्रथम वर्ष में ही इसके भीतर कॉपरस्मिथ शाप तथा फोरमैन के लिए निर्मित विभागों में कई स्थानों पर दरारें आ गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अजनी (नागपुर) में एक क्वार्टर का बरामदा कुछ चू रहा था ।

(ख) नासिक रोड के तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में निर्माण के दौरान तख्ताबन्दी को हटाने के बाद दरम्यान में आर० सी० सी० छत की छड़ें झुक गई थीं और टूट गई थीं ।

(ग) वास्तव में बरामदे के खम्भे गिर गए थे जिस से बरामदे की छत को नुकसान पहुंचा था ।

(घ) कॉपरस्मिथ शाप में निर्माण के समय कुछ दरारें देखी गई थीं जिनकी अब मरम्मत कर दी गई है । फोरमन के विभाग में दरारें आने का कोई समाचार विदित नहीं है ।

(ङ) उपरोक्त (ख) तथा (ग) मदों के मामले में उत्तरदायी निर्माण-कार्य निरीक्षक के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही की गई थी और सम्बन्धित ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया था । (क) तथा (घ) मदों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना आवशयक नहीं समझा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति

†*३४७. **श्री बाली रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्ड विकास क्षेत्रों में फल परिरक्षण उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार गैर-सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देने तथा सहायता देने के लिए तैयार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) खण्ड विकास क्षेत्रों में फल परिरक्षण उद्योगों को शुरू करने के लिए केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा इस उद्योग में गैर-सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देने तथा उसकी सहायता करने के लिए कार्यवाहियां की गई हैं ।

स्वास्थ्य प्रशासन की नीरोगकारी तथा निरोधक शाखाओं का एकीकरण

†*३४८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वास्थ्य प्रशासन की नीरोगकारी तथा निरोधक शाखाओं के एकीकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अगस्त, १९४७ में भारतीय चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के विभागों को तथा भारत सरकार के जन स्वास्थ्य आयुक्त के विभागों को भारत सरकार के साथ एकीकृत करके केन्द्र में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय की स्थापना की गई थी ।

आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर राज्यों के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों में चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभागों का एकीकरण है ।

त्रिपुरा में मछली का सम्भरण

†*३५०. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आयात व्यवस्था न होने के कारण त्रिपुरा में मछली के सम्भरण में अत्यन्त कमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा को मछली के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां ।

(ख) त्रिपुरा में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४·९० लाख रुपये की व्यवस्था है । इस क्षेत्र को ५०० एकड़ तक बढ़ाने, दीर्घावधि के ऋणों की व्यवस्था करने तथा प्रविधिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

मनीआर्डर

†*३५१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन मनीआर्डरों का भुगतान नहीं किया जाता उनकी रकम लौटाने के लिए एक वर्ष के बाद किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाता है;

(ख) क्या एक वर्ष की समय सीमा में पत्र-व्यवहार की अवधि भी सम्मिलित है; और

(ग) १९५६ तथा १९५७ के वर्षों में बिहार में इस प्रकार के व्यपगत मामलों की संख्या कितनी थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) भारतीय डाक-घर अधिनियम की धारा ४४(२) के अनुसार यदि मनीआर्डर जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर दावा नहीं किया जाता तो सरकार से रकम का दावा नहीं किया जा सकेगा परन्तु वास्तविक व्यवहार में जिन दावों के सम्बन्ध में मनीआर्डर की रकम अभी तक न दी गई हो और यदि विभाग की दावे की सत्यता के सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये तो विभाग द्वारा इस प्रकार के दावों को स्वीकार किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बिहार सर्कल में एक वर्ष बीत जाने पर १९५६ में २७३ मामलों में तथा १९५७ में ३१३ मामलों में रकमों का दावा किया गया था ।

माल-डिब्बों का न दिया जाना

†*३५२. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी बंगाल-बिहार की पत्थर की खानों के क्षेत्र से विधाचित पत्थर सामग्री के परिवहन के लिए माल-डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकुर (पूर्व रेलवे) में प्रतिदिन १२५ माल-डिब्बों के कोटे का निर्णय किया गया था और अब इतने डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं; और

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) पश्चिमी बंगाल बिहार की पत्थर की खानों के क्षेत्र में कई स्थानों से पत्थर माल-डिब्बों में भरा जाता है । केवल पाकुर में ही माल-डिब्बों के कम संख्या में दिये जाने के सम्बन्ध में पिछले कुछ समय से निर्देश प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

साइकल ट्रौली

†*३५४. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ के रेलवे परीक्षण तथा गवेषणा केन्द्र ने एक साइकल ट्रौली तैयार की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो पहले जो ट्रौलियां हाथ से चलाई जाती हैं उनकी तुलना में इस साइकल ट्रौली के उपयोग से कितनी वार्षिक बचत होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां । परन्तु रेलवे द्वारा अभी इनसे काम लेकर परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) आशा है कि परिचालन व्यय में प्रति वर्ष प्रति ट्रौली लगभग १,२०० रुपये की बचत होगी ।

रेलवे में भ्रष्टाचार का मामला

*३५५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के निरीक्षक कर्मचारीवर्ग के कुछ पदाधिकारीयों की कार्यवाहियों की, इस आरोप पर कि उन्होंने रेलवे किराये के तौर पर यात्रियों से वसूल की हुई धन-राशि हड़प ली, कोई जांच की जा रही है; और

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]**

ग्रामदान तथा सामुदायिक परियोजनाओं का एकीकरण

†*३५६. **श्री राधा रमण :**
श्री रा० च० माझी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री पाणिग्रही :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री संगण्णा :
श्री वाजपेयी :

क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामदान तथा सामुदायिक परियोजनाओं के एकीकरण के सम्बन्ध में पिछले वर्ष दिसम्बर में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और ग्रामदान कार्यकर्ताओं में, जिनमें श्री जयप्रकाश नारायण भी थे, उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का स्वरूप क्या था और क्या कोई निर्णय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन निर्णयों का स्वरूप क्या है; और

(घ) क्या उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा क्या उन्हें कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) सर्व प्रथम सर्व सेवा संघ तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई थी जिसमें कुछ विकास आयुक्तों को भी बुलाया गया था । इस बातचीत के परिणामस्वरूप एक प्रारूप पत्र तैयार किया गया था जिस पर प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) तथा (ग). इस बातचीत के परिणामस्वरूप ग्रामदान तथा सामुदायिक विकास आन्दोलनों के सहयोजन से सम्बन्धित एक टिप्पण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(घ) निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

अमेरिका से सहायता

†*३५७. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे से पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की विशेष निधि में से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने अमेरिका सरकार से कुछ लिखा पढ़ी की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन विभिन्न उपायों से की जा सकती है उन पर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय इस संभावना पर भी विचार किया गया था कि यदि शीर्षक १ के अधीन समय रहते पर्याप्त सम्भरण न किया जा सके तो पी० ऐल० ४८० के शीर्षक २ के अधीन अमरीकी प्रशासन को प्राप्य निधियों में से कहां तक सम्भरण किया जा सकता है। यह मामला अभी अमरीकी प्रशासन के विचाराधीन है।

भुबनेश्वर में मुर्गीख़ाना

†*३५८. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री संगण्णा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में प्रस्तावित प्रादेशिक मुर्गीखाना स्थापित करने के लिए काम शुरू हो गया है; और

(ख) इस फार्म का प्राक्कलित खर्च कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) तीन वर्षों में फैला कर नौ लाख रुपये खर्च होंगे।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

*३५९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री क्रमशः १९ जुलाई, १९५७ और २० नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४ और अतारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिशों को कुशलता और तेजी से कार्यान्वित किये जाने पर निगरानी रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) अब तक की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप किस हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अपने सतर्कता संगठन के जरिये रेलवे बोर्ड इसकी निगरानी रखता है ।

(ख) अभी इसका अन्दाजा लगाना मुमकिन नहीं है ।

रेल गाड़ियों में यात्रियों को तार बांटना

†*३६०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में यात्रियों के अविलम्बनीय तारों का वितरण करने की योजना भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) तार रेल गाड़ी में सफर कर रहे लोगों को भेज जा सकते हैं । और उनका वितरण किया जाता है । इसके लिये तार भेजने वाले को तार पाने वाले के नाम के और पहुंचने के स्थान के नाम के अतिरिक्त इन बातों का भी उल्लेख करना होता है:—

(क) उस रेलवे स्टेशन का नाम जहां गाड़ी रुकती है ।

(ख) गाड़ी का नाम अथवा संख्या अथवा इसके अभाव में गाड़ी के रुकने अथवा चलने का ठीक-ठीक समय और उन स्थानों के नाम जहां गाड़ी रुकती है ।

(२) तार इस शर्त पर लिय जात ह कि उनकी जिम्मदारी तार भेजन वाले पर होगी ।

इंजीनियरिंग स्नातकों को नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण

†*३६१. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन नदी-घाटी परियोजनाओं में विश्वविद्यालयों से शिक्षा समाप्त करने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधायें विद्यमान हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : निम्नलिखित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में नवागन्तुक इंजीनियरिंग स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधायें विद्यमान हैं :—

१. दामोदर घाटी निगम
२. भाखड़ा नंगल
३. हीराकुड
४. नागार्जुन सागर
५. चम्बल
६. रेंड
७. कोइना
८. कोसी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डाक और तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय फैडरेशन की मांगें

†*३६२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डाक और तार कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय फैडरेशन का एक प्रतिनिधि-मण्डल अपनी शिकायतों पर बातचीत करने के लिये उन्हें मिला था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) मांगों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) जो मांगें पेश की गई थीं उनमें १६ को छोड़ कर जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी जांच आयोग के निर्देश पदों में आती हैं, शेष सब पर सरकार ने विचार किया है ।

रेल डिब्बों का पटरी से नीचे उतर जाना

†*३६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल-नागदा सवारी गाड़ी, जो ८ जनवरी, १९५८ को उज्जैन से साढ़े ग्यारह बजे चली थी, के दो डिब्बे नागदा के निकट पिप्लोदा बगला स्थान पर पटरी से नीचे उतर गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** डिब्बे पटरी से नीचे नहीं उतरे थे । केवल ८८ अप भोपाल-नागदा सवारी गाड़ी के तीन डिब्बों के टक्कर-रोक (बफर) एक दूसरे में फंस गये थे ।

विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन

†*३६४. **डा० सुशीला नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन की पत्थर की दीवारों को धोने के लिये लगभग ५०,००० रुपये की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह खर्च करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). यह सही नहीं है कि केवल विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन की दीवारें धोने पर ५०,००० रुपया खर्च किया गया है । विक्टोरिया टरमिनस पर मध्य रेलवे के प्रशासकीय कार्यालय की दीवारों को विशेष रासायनिक पदार्थों से साफ किया गया था जिस पर २५,००० रुपये लागत आई थी । यह खर्च करना आवश्यक था क्योंकि मौसम, मानसून और बम्बई के जलवायु से पत्थरों की बाहरी सतह खराब हो जाती है ।

दिल्ली में बूचड़खाना

†*३६५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा बूचड़खाना खोलने की स्वीकृति दे दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर खोला जायेगा; और

(ग) इसके निर्माण पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं। परन्तु वर्तमान बूचड़खाने को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के पस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खाद्य उत्पादन

†*३६६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री शोभा राम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक मेहता खाद्यान्न जांच समिति प्रतिवेदन को देखते हुए सरकार ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : खाद्य उत्पादन सम्बन्धी प्रत्येक सिफारिश का परीक्षण करके उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास भेज दिया गया है और उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

†*३६७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क (एन-एच २२) के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सड़क के निर्माण पर सरकार कितना खर्च करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ख) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किये जा चुके तथा किये जाने वाले काम पर ४०८·७४ लाख रुपये की लागत आयेगी।

दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा

*३६८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक नया असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*३९६. **डा० सुशीला नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के चिकित्सा विद्यार्थियों के पास 'क्लिनिकल' शिक्षण के लिये कोई अस्पताल नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल को राज्य सरकार से इसी उद्देश्य से लिया गया था कि उसमें अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो सफदरजंग अस्पताल को इस प्रयोजन में न लाने के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के पास कोई अपना अस्पताल नहीं है। विद्यार्थियों के क्लिनिकल शिक्षण के लिये सफदरजंग अस्पताल में प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) वास्तव में सफदरजंग अस्पताल को इसी उद्देश्य से लिया गया था कि उसे इस संस्था का ही एक हिस्सा बना लिया जायेगा परन्तु बाद में यह निश्चय हुआ कि संस्था अपना अस्पताल अलग बनाये जिसमें ६५० रोगियों के रहने की व्यवस्था हो और सफदरजंग अस्पताल को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना और साधारण जनता के लिये ही रहने दिया जाये। सफदरजंग अस्पताल में क्लिनिकल शिक्षण के लिये चिकित्सा विज्ञान की अखिल भारतीय संस्था को ६० शैयायें दी गई हैं।

उर्वरक

†३९२. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक उड़ीसा को कुल कितना उर्वरक दिया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** मांगी गई जानकारी नीचे दी जाती है :—

(सभी आंकड़े टनों में हैं)

उर्वरकों के नाम	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८ (३१-१२-५७ तक)
सल्फेट आफ अमोनिया ...	८,०२३	१४,७७७	१०,५५५
एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	१५८	४८०	२००
यूरिया	१२५	११०	२३०
कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	—	—	१,०३०
म्यूरियेट आफ पोटाश	—	१२	५
सुपरफास्फेट ...	१९८	१२०	८०
एमोनियम क्लोराइड	—	१०	१५
मिले जुले उर्वरक	३३०	१९८	—
डाइकैल्शियम फास्फेट	—	२०	—
कुल ...	८,८३४	१५,७३४	१२,११५

†मूल अंग्रेजी में ।

गोदी कर्मचारी

३९३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई बन्दरगाह में मजदूरों के लिये जो पीस रेट योजना जारी की गई है इसके कारण क्या कर्मचारियों और गोदी मजदूरों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर झगड़ा है; और

(ग) उन बातों को निपटाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और सम्बन्धित मजदूर संघ के बीच जो अनेक विवाद उठ खड़े हुए थे वे अदालती फैसलों या सीधे समझौतों द्वारा तय कर दिये गये हैं। अनिश्चित मुद्दों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :—

१. पीस-रेट कर्मचारियों के मामले में यह प्रश्न कि क्या छुट्टियों के वेतन के लिये "तनख्वाह" औसतन संचित पीस-रेट पर दी जानी चाहिये—इसे औद्योगिक न्यायालय में निर्णय के लिए पेश कर दिया गया है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा है।

२. पीस-रेट कर्मचारियों के बारे में उनकी यह मांग कि कुल पीस-रेट आमदनी को निर्वाह-निधि और उपदान के हिसाब में अंशदान के रूप में दिया जाय—इस पर विचार करना तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि नया वेतन आयोग उन्हीं के समक्ष सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निवृत लाभांश की रिपोर्ट पेश नहीं कर देगा।

बेतार के तार के केन्द्र

३९४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेतार के तार के केन्द्रों को चलाने के लिये अब तक किन-किन व्यक्तियों को शौकिया तथा प्रयोगात्मक लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) ये लाइसेंस किस लिये दिये गये हैं; और

(ग) इन लाइसेंसों से सरकार को कितनी आय होगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) जिन्हें अमेचर और एक्सपेरीमेन्टल लाइसेंस मंजूर किये गये हैं उन व्यक्तियों और संस्थाओं की लिस्ट विवरण 'क' और 'ख' में पेश की जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ख) (१) अपने आप सीखने, अमेचर लोगों अर्थात् बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल व्यक्तिगत रुचि के लिये रेडियो की प्रविधि में दिलचस्पी रखने वाले अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रविधिक अनुसंधानों के लिये अंतरसंचार के लिये अमेचर लाइसेंस मंजूर किये जाते हैं।

(२) एक्सपेरीमेन्टल लाइसेंस उस केन्द्र को चलाने के लिये मंजूर किया जाता है जिसमें विज्ञान या प्रविधि के विकास करने के ख्याल से इर्टजियान लहरें प्रयोग के लिये इस्तेमाल की जाती हैं। एक्सपेरीमेन्टल लाइसेंस चार वर्गों में बांटा जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में।

(अ) अविकिरण दशाओं के अन्तर्गत शिक्षा अनुसंधान और अनुदेशों के लिये साधारणतया प्रविधिक-संस्थानों और कालेजों को दिया जाने वाला;

(ब) विकिरण दशाओं के अन्तर्गत अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य क लिये साधारणतया उच्चतर संस्थानों और अनुसन्धान केन्द्रों को दिया जाने वाला;

(स) विकिरण दशाओं के अन्तर्गत बेतार उपस्करों के परीक्षण के लिये एयर-लाइन प्रयोगशालाओं इत्यादि को दिया जाने वाला; और

(द) विकिरण दशा के अन्तर्गत रेडियो नियंत्रित माडल नावों और हवाई जहाजों के चलाने के लिए दिया जाने वाला।

(ग) लाइसेंस फीस के रूप में ४,२१५ रु० वार्षिक (दोनों अमेचर और एक्सपेरीमेन्टल लाइसेंसों के लिये १५ रु० प्रति लाइसेंस वार्षिक)।

काण्डला बन्दरगाह के मजदूरों का कल्याण

३९५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काण्डला बन्दरगाह के गोदामों तथा गोदियों के मजदूरों के कल्याण के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कब प्रारम्भ की जायेगी तथा उसके अन्तर्गत क्या-क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अभी कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

नीचे दी गई योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं और आशा है काम १९५८ में शुरू कर दिया जायेगा।

योजना का नाम	अनुमानित व्यय	काम प्रारम्भ करने की प्रत्याशित तिथि
केन्टीन और विश्राम स्थलों की व्यवस्था ...	२·२० लाख रुपये	मई, १९५८
विभाग के तटीय मजदूरों के रहने के लिए क्वार्टर	१·२९ लाख रुपये	मार्च, १९५८

सूरतगढ़ में केन्द्रीय मैकेनाइज़्ड फार्म

३९६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सूरतगढ़ में केन्द्रीय मैकेनाइज़्ड फार्म के लिये भवनों तथा सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस काम के लिये कोई अतिरिक्त कर्मचारी रखे जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). एक विवरण नत्थी कर दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८**]

†मूल अंग्रेजी में।

ऋतु सम्बन्धी विज्ञप्तियां

३९७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ऋतु विज्ञान विभाग ने १९५६-५७ में किसानों को लाभ के लिये ऋतु सम्बन्धी कितनी विज्ञप्तियां प्रकाशित कीं;

(ख) ये विज्ञप्तियां इस समय किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं;

(ग) इन विज्ञप्तियों को कितने व्यक्ति खरीदते हैं और उनमें से किसानों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन विज्ञप्तियों का चन्दा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर और दिल्ली के पांच रीजनल मीटीयोरोलॉजीकल सेन्टरों से १८२५ बाकायदा किसानों का मौसमी बुलेटिन जारी किया गया ।

(ख) बुलेटिन रीजनल डेली व्हेदर रिपोर्ट में शामिल की जाती हैं जो पांच रीजनल मीटीयोरोलांजीकल सेन्टरों से अंग्रेजी में जारी की जाती हैं । ये इन रीजनल सेन्टरों के आल इण्डिया रेडियो स्टेशनों से १८ अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में ब्राडकास्ट भी की जाती हैं । इन्हें रीजन के अखबारों को अंग्रेजी और रीजनल भाषाओं में छापने के लिये भी दिया जाता है ।

(ग) उन गाहकों की संख्या जिन्हें यह बुलेटिन जरूरी प्रेस तारों द्वारा भेजी जाती है इस समय में ३० थी । इनमें किसानों की ठीक-ठीक संख्या क्या थी यह मालूम नहीं ।

(घ) रीजनल डेली व्हेदर रिपोर्टस जिनमें किसानों की मौसमी बुलेटिन शामिल हैं गाहकों को दो रुपये फी महीने की नाममात्र कीमत पर दी जाती है । प्रार्थना करने पर गाहकों को बुलेटिन भी जरूरी प्रेस तार द्वारा १२ रुपये महीने के चन्दे पर भेज दिया जाता है ।

मानीटरिंग केन्द्र

३९८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में मानीटरिंग केन्द्रों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : आवश्यक सूचना का विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]**

पंचोरा जंक्शन का रेलवे फाटक

३९९. श्री नौशीर भरूचा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पंचोरा जंकशन (पूर्व खांदेश) का रेलवे फाटक बहुत तंग है;

(ख) क्या इसको खुला करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जी, हां । कृषि उत्पाद विपणन समिति, पंचोरा के सभापति से अप्रैल, १९५७ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) रेलवे फाटक को १३ फुट ६ इंच से बढ़ा कर २४ फुट कर देने का विचार है। योजनायें तैयार की गई हैं और प्राक्कलन पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है ।

रेलवे का ऊपरी पुल, चालीसगाँव

†४००. **श्री नौशीर भरूचा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालीसगाँव (पूर्व खानदेश) रेलवे स्टेशन के निकट मोटर गाड़ी आदि के लिये एक ऊपरी पुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजनायें और प्राक्कलन तैयार किये गये हैं; और

(ग) कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है और इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लाइन को हटा कर बाहर से लाने और शर्तों को स्वीकार करने के बारे में बम्बई सरकार और चालीसगाँव नगरपालिका के साथ बातचीत चल रही है ।

राजस्थान में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†४०१. **श्री ओंकार लाल :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राजस्थान में जिलावार कितना जन-समुदाय सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के अधीन आ गया;

(ख) इन पर केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना खर्च किया; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कितना क्षेत्र और जनसमुदाय इनके अधीन आ जायेगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०**]

(ख) अनुदान ६५·२९ लाख रुपये ।

ऋण ७७·४४ लाख रुपये ।

(ग) ९०,००० वर्ग मील और लगभग एक करोड़ व्यक्ति । यह उस पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार है जो विचाराधीन है ।

राजस्थान में उचित मूल्य वाली दूकानें

†४०२. **श्री ओंकार लाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय उचित मूल्य वाली कितनी दूकानें हैं; और

(ख) उन दूकानों पर किस भाव पर खाद्यान्न बेचा जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १०५ ।

(ख) राजस्थान में उचित मूल्य वाली दूकानों पर केवल गेहूं बेचा जाता है और उसका भाव १४·५० रुपये से १५·५० रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली में अंगूर की पैदावार

†४०३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य क्षेत्र में अंगूर की पैदावार करने का प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रयोग सफल रहा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) जी, हां। दिल्ली में अंगूर की पैदावार करने के प्रयोग भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में किये जा रहे हैं।

(ख) अभी तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे अनिश्चित हैं और उनकी पुष्टि होनी शेष है। अभी प्रयोग किये जा रहे हैं।

विभागातिरिक्त कर्मचारी

४०४. **श्री पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि उड़ीसा के पुरी जिला में गढ़रुपासा डाक घर के अतिरिक्त विभागातिरिक्त डाक वितरण एजेन्ट ने गत सामान्य निर्वाचन में निर्वाचनों के प्रचार तथा राजनैतिक कार्यों में खुले आम भाग लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) इस विषय में डाक घरों के अधीक्षक को केवल एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी जो कि एक राजनैतिक दल का सदस्य था।

(ख) डाक घरों के अधीक्षक ने इस बात की छानबीन करके सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर दे दिया था।

गैर-सरकारी रेलवे समवाय

†*४०५. { **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री वैं० च० मलिक : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी रेलवे समवायों के क्या नाम हैं;

(ख) वे कितने मील लम्बी हैं; और

(ग) गैर-सरकारी रेलवे समवायों को किन शर्तों पर कार्य करने की स्वीकृति दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]**

भारतीय मार्ग कांग्रेस

†४०६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली में हुए २२वें भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा जो संकल्प पारित हुए तथा निश्चय किये गये क्या सरकार को उसकी प्रतियां मिली हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां तो किस प्रकार के संकल्प पारित किये गये तथा निश्चय किये गये; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। भारतीय मार्ग सम्मेलन के संकल्प उस समय सरकार के पास भेजे जाते हैं जब बाद की एक बैठक में उनकी कार्यपालिका समिति उन पर विचार कर लेती है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खाद्यान्न का निर्यात

†४०७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अब तक पड़ौसी देशों को किस प्रकार का और कितना खाद्यान्न निर्यात किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** एक विवरण जिसमें जनवरी से जून, १९५७ तक के आंकड़े दिये गये थे १२ नवम्बर, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था। जुलाई और अगस्त में केवल १० टन चावल का निर्यात किया गया। अगस्त, १९५७ के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भाखड़ा नंगल परियोजना प्रशासन

†४०८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल परियोजना प्रशासन इस समय उस क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों के पास कितना पानी बेच रहा है; और

(ख) यह किस दर से बेचा जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) शून्य।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संयुक्त विस्तार निर्देशकों की नियुक्ति

†४०९. **श्री हुडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को संयुक्त विस्तार निर्देशक नियुक्त करने की मंत्रणा दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या कृत्य सौंपने का विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के मंत्रणा बोर्ड और शासी निकाय की जो संयुक्त बैठक ८ मई, १९५१ को हुई थी उस में यह विचार किया गया था कि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में काफी वैज्ञानिक गवेषणा की जा चुकी है और विभिन्न राज्यों में इस गवेषणा के परिणामों से कृष ों को सूचित करने के लिये काफी विस्तार कार्य किया गया है परन्तु फिर भी उत्पादन के एकीकृत कार्यक्रम को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक देशव्या ी विस्तार सेवा स्थापित की जाये। अतः यह निश्चय किया

†मूल अंग्रेजी में।

गया था कि परिषद् के विस्तार कार्यक्रम के लिये एक पूरे समय काम करने वाला विस्तार निर्देशक नियुक्त किया जाये जो राज्यों में विस्तार की गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनमें समन्वय करने के बारे में राज्य सरकारों को मंत्रणा दे। यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक विस्तार बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये और राज्य में ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिये एक पूरे समय कार्य करने वाला एक पदाधिकारी जिसका पद कृषि के संयुक्त निर्देशक के बराबर हो नियुक्त किया जाना चाहिये।

मई, १९५१ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को मंत्रणा दी कि वे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के प्रभारी कृषि पदाधिकारी को अपने कार्य के अतिरिक्त विस्तार कार्य भी सौंप कर और यदि आवश्यक हो तो उसके पद को और उन्नत करके संयुक्त विस्तार निर्देशक और विस्तार उप-निर्देशक नियुक्त करें। उन राज्यों में, जहां कोई ऐसे पदाधिकारी न हों जिनको उनक कार्य के अतिरिक्त विस्तार कार्य भी सौंपा जा सके, विस्तार कार्य के लिये नये पद का निर्माण करना चाहिये।

मोटे तौर पर संयुक्त निर्देशक के कृत्य ये थे कि वे राज्य के विस्तार बोर्डों के पूरे समय काम करने वाले पदाधिकारियों के तौर पर काम करें और वे राज्य में विस्तार कार्यों का आयोजन तथा संचालन करने और कृषकों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें पशु पालन, वन लगाना और मीन क्षेत्र शामिल हैं, में हुई वैज्ञानिक गवेषणा से लाभ उठाने में सहायता देने का उत्तरदायित्व संभालें।

रेलवे सैलून

†४१०. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी : }

क्या **रेलवे** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें ये बातें बताई गई हों :

(क) १९५५, १९५६ और १९५७ में मंत्रियों ने अपनी यात्राओं के लिये कितनी बार रेलवे सैलून कारों का प्रयोग किया;

(ख) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) किस किस्म की कार प्रयोग की गई——सामान्य अथवा वायु-अनुकूलित ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१**]

जहाजों के लिये विदेशी सहायता

†४११. **श्री वें० प० नायर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को १९५१ से जहाज खरीदने के लिये अथवा जहाज निर्माण के लिये कोई विदेशी सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में चोरी

†४१२. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में अभी हाल में ही लोहारखाने रेलवे सम्पत्ति की एक बड़ी भारी चोरी पकड़ी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के सामान की चोरी हुई है; और

(ग) कितने व्यक्ति इस चोरी से सम्बद्ध पाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १९५७ में खड़गपुर रेलवे वर्कशाप के लोहारखाने में कब्ज़ों (हिंजेज़) के अनधिकृत निर्माण का पता चला था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ऐसा कितना माल तैयार किया गया और वहां से बाहर ले जाया गया।

(ख) जांच के पूरी हो जाने पर ही बताया जा सकता है कि कितने रुपये का माल गया है।

(ग) अभी तक दो रेलवे कर्मचारियों को इस से सम्बन्धित बताया गया है और उनको तबसे मुअत्तिल कर दिया गया है।

सहकारी चीनी मिलें

†४१३. **श्री वें० च० मलिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी चीनी मिलों में कुल कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक मिल को राज्य सरकारों द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) ३१ जुलाई, १९५७ को देश की सहकारी चीनी मिलों में कुल १९१८·३२ लाख रुपये की पूंजी का विनियोजन हुआ था। इसमें सहकारी चीनी मिलों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया १०४७·५० लाख रुपये का ऋण भी सम्मिलित है।

(ख) सहकारी चीनी मिलों की शेयर पूंजी में राज्य सरकारों ने ३४७·५८ लाख रुपये विनियोजित किये हैं।

(क) तथा (ख) के अन्तर्गत मांगी गई विस्तृत जानकारी के बारे में एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२]**

डाकघर भवन, छतरपुर, मध्य प्रदेश

४१४. **श्री रा० स० तिवारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छतरपुर के डाकघर के वर्तमान भवन में स्थान की कमी के कारण क्या कोई नया भवन बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह भवन कब तक बन जायेगा; और

(ग) इस भवन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चूंकि इस प्रस्ताव के विषय में प्रारम्भिक जांच हो रही है, अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

दिल्ली में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड

†४१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दिल्ली में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और कितने सामुदायिक विकास खण्ड खोले जाने का विचार है; और

(ख) अब तक सरकार ने इन खण्डों पर कितना व्यय किया है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में पहले से ही विस्तार तथा विकास खण्ड खुले हुए हैं ।

(ख) २६·२८ लाख रुपये ।

खाद्य उत्पादन आयुक्त

†४१६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक पूर्णकालिक खाद्योत्पादन आयुक्त नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई नई योजना तैयार की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) भारत सरकार पहले ही एक कृषि उत्पादन परामर्शदाता नियुक्त करने का निश्चय कर चुकी है ।

(ख) कोई नई योजना नहीं बनाई गई है । राज्य सरकारों के साथ हाल ही में जो बातचीत हुई है उसमें जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार किया गया है उनकी कार्यान्विति से देश में खाद्य उत्पादन बढ़ेगा ।

पंजाब के गुरदासपुर जिले में डाकघर

†४१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गुरदासपुर जिले में इस समय कितने डाकघर हैं जो कि किराये के निजी मकानों में काम कर रहे हैं;

(ख) सरकार ने १६५०-५१ से १६५७-५८ तक अब तक उन पर प्रत्येक वर्ष में कितना किराया भरा है;

(ग) क्या इन डाकघरों के काम करने के लिये अपनी इमारतें बनाने का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो कितने डाकघरों की इमारतें बन रही हैं और उन पर अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]**

डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४१८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये कितना रुपया व्यय किया गया है;

(ख) इसी अवधि में दिल्ली सर्कल में डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये कितना रुपया व्यय किया गया है; और

(ग) ऐसे क्वार्टर बनाने के लिये बजट में कितनी राशि का उपबन्ध किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन केन्द्र

†**४१९. श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने भेड़ पालन केन्द्र हैं; और

(ख) इन केन्द्रों पर अब तक कितना खर्च हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). पूछी हुई जानकारी नीचे दी गई है :—

फार्म का नाम		भेड़ों की संख्या	अब तक व्यय की गई राशि
			रुपये
शीप ब्रीडिंग फार्म, तारादेवी (शिमले के पास)		१६०	९७,०००
शीप ब्रीडिंग फार्म, सराहन (महासू जिला)		३००	१,२१,०००
कुल दो फार्म	...	४६०	२,१८,०००

आलू का व्यापार

†**४२०. श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सहकारी विकास संघ, लिमिटेड को आलू के व्यापार में कितनी हानि हुई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे कितनी सहायता दी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लगभग ६ लाख रुपये।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है।

†मूल अंग्रेजी में।

दुर्घटनाओं की रोकथाम

†४२१. **श्री झूलन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 'टाइम्स ग्राफ इंडिया' के ४ दिसम्बर, १९५७ के बम्बई संस्करण में सम्पादक के नाम पत्रों में "रेलवे दुर्घटनाएं" शीर्षक के अन्तर्गत छपे पत्र की ओर गया है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं के रोकथाम के कुछ उपाय सुझाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुझावों की व्यवहार्यता व उपादेयता का रेलवे विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) इसका परीक्षण किया गया है तथा इसे प्रविधिक रूप से अव्यावहारिक पाया गया है।

जापानी ढंग से धान की खेती

४२२. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री बाली रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष जापानी ढंग से धान की खेती कितने एकड़ भूमि में की गई;

(ख) उक्त प्रकार से खेती करने से धान का उत्पादन उपरोक्त पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना बढ़ा; और

(ग) उक्त प्रकार से धान की खेती के प्रचार पर इन पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). जानकारी का विवरण नत्थी कर दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

कलकत्ता में चावल का भाव

†४२३. **श्री साधन गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५८ को कलकत्ता में और पश्चिमी बंगाल के अन्य स्थानों में चावल के थोक व फुटकर के क्या भाव थे; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस दिन की कीमतों की तुलना में इनका क्या स्थान है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

रेल सेवा का उपयोग

†४२४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में आसाम में गौहाटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोग रेल द्वारा वहां गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** लगभग ७४,०००।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रतलाम-गोधरा सेक्शन पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४२५. श्री डामर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के रतलाम-गोधरा सेक्शन के बीच जो दोहरी लाइन बनाने का कार्य चल रहा है उसमें लगे हुए कर्मचारियों के लिये इस सेक्शन के प्रत्येक स्टेशन पर बनाये गये क्वार्टरों पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

(ख) क्या ये बने हुए क्वार्टर सम्बन्धित स्टेशन मास्टर को नहीं दिये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इन क्वार्टरों में इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी बिना किराया दिये रहते हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सिर्फ दोहद में ३० यूनिट अस्थायी और टाइप १ के १२० यूनिट स्थायी मकान बनाये गये हैं। इनकी अनुमानित लागत ५·५१ लाख रुपये है।

(ख) अस्थायी रूप से इन मकानों में वे कर्मचारी रह रहे हैं जो दोहरी लाइन बनाने के काम के लिये रखे गये हैं। बाद में जब दोहरी लाइन बनाने का काम पूरा हो जायेगा, तो ये मकान चालू लाइन के अधिकार में चले जायेंगे और इनमें स्थायी कर्मचारी रखे जायेंगे।

(ग) लाइन बनाने वाले कर्मचारियों से नियम के अनुसार किराया लिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में टेलीफ़ोन तथा तार घर

४२६. श्री डामर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, रतलाम और उज्जैन जिले के किन-किन कस्बों में टेलीफोन तथा तार घर खोले जायेंगे; और

(ख) उपरोक्त जिलों के किन-किन कस्बों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक विवरण पत्र संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]

फारेस्ट ट्रेनिंग कालेज, देहरादून

४२७. श्री डामर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून के फारेस्ट ट्रेनिंग कालेज में रेंजर, डिप्टी रेंजर और डी० एफ० ओ० के प्रशिक्षण के लिये मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी तथा हरिजन व्यक्ति हैं; और

(ख) प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थियों के खर्च आदि की क्या व्यवस्था है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :

		आदिवासी	हरिजन
(क)	रेंजर का कोर्स	कोई नहीं	१
	उप-रेंजर का कोर्स	देहरादून में ऐसा कोई कोर्स नहीं है।	
	डी० एफ० ओ० का कोर्स	कोई नहीं	१

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) राज्य सरकार खर्च की निम्न मदों पर व्यय करती है :—

रेंजर का कोर्स—

(१) शिक्षार्थी के ७५ रुपये मासिक का एक वज़ीफा ।		
(२) एफ० आर० आई० को पूरे कोर्स के लिये ट्यूशन फी देना	३,०००	रुपये
(३) सामान का मूल्य ...	६००	,,
(४) यात्रा का भत्ता	८००	,,

डी० एफ० ओ० का कोर्स—

(१) एफ० आर० आई० को दिये जाने के लिए शिक्षार्थी को का मासिक वज़ीफा । ...	१५०	,,
(२) दो सालों के लिए ट्यूशन फीस	७,०००	,,
(३) सामान का मूल्य	१,४००	,,
(४) दो सालों के लिये यात्रा का भत्ता ...	१,६००	,,

सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर

*४२८. **श्री राधे लाल व्यास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के आलोट तथा महीदपुर नगरों में टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** आवश्यक स्टोर पर्याप्त मात्रा में जारी किया जा चुका है। बाकी का सामान भी शीघ्र ही जुटाया जा रहा है। आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायगा।

सार्वजनिक टेलीफोन घर

†४२६. **श्री राधे लाल व्यास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदनावर (मध्य प्रदेश) के नागरिकों से वहां एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने से पहले टेलीफोन विभाग द्वारा किसी निश्चित आय की गारंटी मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने गारंटी दे दी थी; और

(ग) वहां सार्वजनिक टेलीफोन घर कब तक खोला जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). बदनावर का सार्वजनिक टेलीफोन घर २६ जनवरी, १६५८ को बिना किसी गारंटी के खोल दिया गया है।

मध्य प्रदेश में गौशालायें

†४३०. **श्री राधे लाल व्यास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गौशालाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १६५७-५८ में मध्य प्रदेश को अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** ३६,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कुर्ग के डाक व तार कर्मचारी

†४३१. **श्री वासुदेवन् नायर : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुर्ग के डाक व तार कर्मचारियों से 'पहाड़ी भत्ता' तथा अन्य सुख-सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) ये मांगें उपयुक्त नहीं हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में सड़कें तथा पुल

†४३२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार उड़ीसा में कितने पुल तथा सड़कें बनवाने का विचार रखती है; और

(ख) कटक और चौद्वार के बीच राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने के लिये उड़ीसा तथा ब्राह्मनी नदियों पर कब तक पुल बना दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत ७ मुख्य पुल, २१ छोटे पुल तथा ७१ मील लम्बी सड़कें बनाने का विचार किया गया है ।

(ख) यदि रुपया उपलब्ध हो सका तो महानदी और बिरुपा नदियों पर अगले वर्ष पुल बनाने शुरू कर दिये जायेंगे । ब्राह्मनी नदी के पुल को रुपये की कमी के कारण कुछ ज्यादा देर लगेगी ।

वी० एम० अस्पताल, अगरताला

†४३३. **श्री दशरथ देब : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अगरताला के अस्पताल में अर्ह सर्जन न होने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर सर्जन की नियुक्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जब तक अगरताला के वी० एम० अस्पताल में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कोई स्थायी सर्जन नहीं नियुक्त हो जाता तब तक के लिये वहां पर अस्थायी रूप से एक सर्जन की, जो कि अधीक्षक के रूप में कार्य करेगा, नियुक्ति के लिये आदेश दे दिये गये हैं ।

त्रिपुरा में हैजा

†४३४. **श्री दशरथ देब : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५७-५८ में हैजा से कितनी मृत्युएं हुईं;

(ख) वहां पर हैजा फैलने के क्या कारण थे;

†मूल अंग्रेजी म ।

(ग) क्या यह मुख्यतया पीने के पानी की कमी के कारण फैला है; और

(घ) यदि हां, तो पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १८५ मृत्युएं (२५ जनवरी, १९५८ तक)।

(ख) यह महामारी के रूप में नहीं फैला। इधर-उधर करके ही ये मृत्युएं हुई हैं, इसका कारण इर्द-गिर्द में उपयुक्त सफाई का न होना था।

(ग) तथा (घ). हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि हैजे का मुख्य कारण पीने के पानी का न मिल सकना था। वैसे त्रिपुरा प्रशासन ने सामान्य रूप से सफाई का सुधार करने के लिये यह भी उपबन्ध किया है कि वह अगरताला नगरपालिका में पीने के लिये सब भांति से उत्तम जल दे सके। देहाती क्षेत्रों में आरोग्यप्रद जल की सप्लाई के हेतु सारे राज्य क्षेत्र में नलकूप खोदे जा रहे हैं, पक्के कुएं बनाए जा रहे हैं व अंशतः ईंटों वाले और रिंग कूप बनाये जा रहे हैं। भारत सरकार ने त्रिपुरा प्रशासन को ग्राम्य जल योजनाओं के लिये १९५७-५८ के दौरान में ४,५४,७०० रुपये स्वीकृत किये हैं।

गन्ना उत्पादकों को भुगतान न किया जाना

†४३५. **श्री त्रि० कु० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और नाडिया जिलों के ऐसे ग्रामों के गन्ना उत्पादकों को जो कि पश्चिमी बंगाल की रामनगर गन्ना और प्लासी की चीनी कम्पनी, लिमिटेड, के इर्द-गिर्द स्थित हैं, पिछले दो महीनों से मिलों को बार-बार कहने पर भी उनके पास बेचे गये गन्ने की कीमतों का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) यह बात सच नहीं है कि किसानों को रामनगर केन तथा शूगर कम्पनी, लिमिटेड, को बेचे गये गन्ने की कीमतों के बदले में पिछले दो महीनों में कोई भुगतान नहीं हुआ है। पिछले दो महीनों में इन मिलों ने कुल ८,७१,००० रुपये का गन्ना खरीदा था उसमें ये मिलें पिछले दो महीनों में ६,१४,००० रुपये का भुगतान कर चुकी हैं और जो शेष २,५७,००० रुपये की राशि रह गई है उसको भी वे शीघ्र चुकता कर देंगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में रबी की फसल का प्राक्कलन

†४३६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब के जिलों की रबी की फसल के प्राक्कलन भेजे जा चुके हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जी, नहीं। अभी तक हमें समस्त राज्य के १९५७-५८ के रबी की फसलों (गेहूं और बाजरा) के प्राक्कलन तथा चने की फसल के प्रारम्भिक प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं। कुल क्षेत्रफल तथा उत्पादन के बारे में अन्तिम प्राक्कलन मई, १९५८ तक प्राप्त होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान

†४३७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ के दौरान में अम्बाला और फीरोजपुर सर्कलों में डाक व तार विभाग के तीसरी व चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों को सरकारी मकान दिये गये; और

(ख) आज तक कितने कर्मचारियों के नाम प्रतीक्षक सूची में दर्ज हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

रेलवे डिब्बों में चोरियां

†४३८. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वी तथा पूर्वोत्तर रेलों में गाड़ियों के डिब्बों में पंखे, बिजली के स्विच, बल्ब, शीशे और कपड़े टांगने की खूंटियां आदि नहीं हैं और गाड़ी चलाने से पहले इन चीजों को रखने या मरम्मत करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** यें वस्तुएं यदा-कदा जब गाड़ियां स्टेशन पर खड़ी होती हैं तब डिब्बों में से निकाल या चुरा ली जाती हैं। जहां तक ये चीजें उपलब्ध होती हैं वहां तक इन चीजों को दुबारा लगाने या फिर से रखने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

जाजपुर में डाकघर की इमारत

†४३९. **श्री वैं० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाजपुर के मुख्य डाकघर के लिये इमारत बनाने का कार्य राज्य के लोक-निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस इमारत का बनना कब शुरू होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) अभी तक नहीं। राज्य के लोक-निर्माण विभाग ने इनके लिये १९ प्रतिशत विभागीय व्यय मांगा है। यह दर केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को दिये जा रहे व्यय से अधिक है। इसलिये इस बात पर केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग से परामर्श किया जा रहा है। इस प्रश्न पर इसके बाद निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय विचार करेगा और तब वित्त (संचार) मंत्रालय से इस बात की अनुमति ली जायेगी कि वह इमारतों को बनाने के लिये लगाये गये प्रतिबन्ध से इस इमारत को मुक्त करे। यह सब कार्य पूरे हो जाने पर इमारत बननी शुरू होगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण पूर्व रेलवे का डिवीजनल हैडक्वार्टर

†४४०. **श्री पाणिग्रही :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे का विभागीय मुख्य कार्यालय बनाने के लिये किन स्थानों का नाम प्रस्तावित किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या सरकार को यह कार्यालय खुर्दा रोड, उड़ीसा, में बनाने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और वह इस निश्चय पर पहुंची है कि इस रेलवे में विभागीय प्रणाली प्रारम्भ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जिलों में मुख्य कार्यालयों में ही प्रादेशिक अधीक्षकों का उपबन्ध कर दिया गया है जैसे बिलासपुर में जहां पर कि काम के विचार से यह आवश्यक समझा गया है कि काम का समन्वय करने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है।

(ख) जी, हां ।

अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का संवरण

†४४१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में उत्तर रेलवे में तीसरी श्रेणी की नौकरियों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों के प्रार्थनापत्र आये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : ५,०९० ।

पंजाब में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड

†४४२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : अनुमोदित क्रमवार प्रोग्राम के अनुसार पंजाब राज्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये स्वीकृत खंडों के लिये ७·०६ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। किन्तु अब इस कार्यक्रम के पुनरीक्षण का विचार किया जा रहा है।

आसनसोल क्षेत्र में खान दुर्घटना

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : बहुत दुःख के साथ मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कल रात को आसनसोल क्षेत्र की दो खानों में भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें कई जानें गईं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कल रात को लगभग ९ बजे चिमाकुरी खान में एक विस्फोट हुआ। कहा जाता है कि लगभग १८० व्यक्तियों का पता नहीं है। इस खान दुर्घटना के कारण उसके निकटवर्ती सेन्ट्रल भोरा खान में पानी भर गया है। कहा जाता है कि पानी की इस बाढ़ में लगभग २० व्यक्ति डूब गये हैं। खानों के मुख्य निरीक्षक तथा उनके विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने चिमाकुरी खान के गड्ढों को बन्द कर दिया है और पम्प लगा कर भोरा खान से पानी निकाल रहे हैं और अन्य आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

हम खानों के मुख्य निरीक्षक के पास आदेश भेज रहे हैं कि इस दुर्घटना में मरे खान मजदूरों के पीड़ित परिवारों को सहायता व आर्थिक सहायता की व्यवस्था तुरन्त की जाये।

सरकार इस दुर्घटना की परिस्थितियों तथा उसके कारणों की जांच कराने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभापतित्व में एक जांच न्यायालय नियुक्त करने के लिये कार्यवाही कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मैं सीधे दुर्घटना स्थल पर जा रहा हूं। वापस आने पर मैं दुर्घटना तथा तत्सम्बन्धी अन्य मामलों के बारे में एक पूर्ण विवरण सभा के सामने प्रस्तुत करूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या इस जांच के निदेश पदों में कोयला खानों के सुरक्षा बोर्ड के सम्पूर्ण प्रश्न पर भी विचार करने की बात सम्मिलित होगी ?

†**श्री नन्दा** : हम उचित निदेश पद तैयार करेंगे और इस सुझाव का ध्यान रखेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नौवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(१) वर्ष १९५६-५७ के लिये ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ५३८/५८]

(२) वर्ष १९५६-५७ के लिये वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन प्राइवेट, लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ५३९/५८]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के बारे में याचिका

†**सचिव** : लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६७ के अधीन म सभा को सूचना देना चाहता हूं कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ तथा प्रतिभति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई है जिसका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[सचिव]

विवरण

याचिका संख्या	**संक्षिप्त विषय**	**हस्ताक्षर कर्त्ताओं की संख्या**	**जिला या कस्बा**	**राज्य**
१४	(१) वायदे के सौदे (विनियमन) अधि-नियम, १९५२; और (२) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधि-नियम, १९५६ के बारे में	१	दिल्ली	दिल्ली

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में पटेल नगर तथा उसके निकट के क्षेत्रों में जहरीली गैस का फैलना

†**श्री आसर** (रत्नगिरि) : नियम १९७ के अधीन मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"दिल्ली में पटेल नगर तथा उसके निकट के क्षेत्रों में जहरीली गैस का फैलना।"

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १२ फरवरी, १९५८ की रात को लगभग ८·४५ बजे दिल्ली नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को टेलीफोन पर सूचना मिली कि वेस्ट पटेलनगर और ईस्ट पटेल-नगर के ब्लाक २१ से २६ में एक ऐसी गैस फैल गयी है जिससे वहां के निवासियों का दम घुटने लगा है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी व उनके विभाग के कर्मचारियों, विस्फोटों के सहायक निरीक्षक और दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के निदेशालय ने ईस्ट और वेस्ट पटेलनगर तथा नजफगढ़ रोड़ के औद्योगिक क्षेत्र में जाकर उन क्षेत्रों को देखा जहां यह जहरीली गैस फैली हुई थी और आरम्भिक छानबीन की। वे लोग रात में १२ बजे के बाद तक वहां रहे और उन्होंने वहाँ के विभिन्न कारखानों से कुछ पूछताछ की। बताया जाता है कि आनन्द पर्वत की मिलिटरी कालोनी में इस गैस की बू बहुत तेज थी और लगभग १५-२० मिनट तक यह गैस काफी तेजी से महकती रही।

दूसरे दिन सुबह दिल्ली क्लाथ मिल्स् के संयन्त्र का निरीक्षण स्वास्थ्य अधिकारी ने दिल्ली शासन के उद्योगों तथा बायलरों के निरीक्षक की सहायता से किया। पता लगा कि १२ फरवरी, १९५८ को संयन्त्र के गैस पाइपों में कुछ मरम्मत की गयी थी। जिन कर्मचारियों ने यह मरम्मत की थी उन्होंने बताया कि उन्हें १२ तारीख की रात की घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कहां से यह गैस फैली थी, इसका कुछ भी पता नहीं लग सका। जांच के लिये इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी है।

स्थानीय पुलिस तथा स्वास्थ्य अधिकारी जब यह जांच पूरी कर लेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक निरोधक कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान में इन क्षेत्रों के कारखानों के संचालन पर सतर्कता बरती जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर की शुद्धि

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। ११ दिसम्बर, १९५७ को श्री दलजीत सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ पर जो फल परिरक्षकों की लाइसेंस फीस के बारे में था, श्री दासप्पा के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि "कम विद्युतशक्ति प्रयोग करने वाले निर्माताओं की औसत लाइसेंस फीस लगभग ६७ रुपये आती है, और १५ अश्वशक्ति तक के लिये ४८५ रुपये है और २५ अश्वशक्ति तक के लिये यह अधिभार सहित १०७८ रुपये है। इसको संशोधित करने का विचार है। ६७ रुपये को कम करके ४० रुपये कर दिया जायेगा और ४८५ रुपये को ८० रु० और ८ रुपये और १०७८ रुपये को २८० रुपये कर दिया जायेगा।"

उस समय जो आंकड़े मैंने बताये थे वे प्रति उत्पादक के औसत आंकड़े थे न कि वर्तमान फीस के। पर माननीय सदस्य वर्तमान फीस सम्बन्धी आंकड़े जानना चाहते थे। अतः स्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

शेष बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर का शेष भाग म सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण का अंश जो सभा पटल पर रखा गया

उस समय प्रचलित लाइसेंस फीस इस प्रकार थी :—

(क) निम्न के लिये ४० रुपये—

(१) संश्लिष्ट पेय, और शरबत
(२) सिरका, खीचा हुआ या संश्लिष्ट
(३) अचार, और
(४) सुखाये गये फल व सब्जियां

(ख) निम्न के लिये ८० रुपये—

(१) स्क्वैश, क्रश, कार्डियल, जौ का पानी, बोतलों में बन्द रस और अन्य तैयार पेय या फल के रस या गूदे का शरबत।
(२) मुरब्बा, जैली और मार्मलेड्स; और
(३) टमाटर की बनी चीजें, केचप और टमाटर की चटनी।

(ग) सुरक्षित रखे गये, चाशनी मिला कर तैयार किये गये और शुद्ध किये गये फलों के लिये १६० रुपये।

(घ) चटनी के लिये २०० रुपये।

(ङ) निम्न के लिये १५० रुपये—

(१) डिब्बों और बोतलों में बन्द करके रखे गये फल, रस और गूदे।
(२) डिब्बों और बोतलों में बन्द करके रखी गयी सब्जियां।
(३) ठंडे फल व सब्जी।
(४) फलों के रस या गूदे वाले पेय।
(५) फलों तथा सब्ज़ियों से तैयार की गयी अन्य कोई चीज़ जिसका ऊपर वर्णन नहीं है।

इन फीसों में संशोधन करने का निश्चय हो गया है। संशोधित फीसों की अधिसूचना शीघ्र ही निकाल दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा जीवन बीमा निगम सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा शुरू करेगी। इस प्रस्ताव के लिये रखे गये ८ घण्टे के समय में से ५ घण्टे ४१ मिनट समाप्त हो चुके हैं; २ घण्टे १९ मिनट शेष हैं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, आयोग का प्रतिवेदन और उसके निष्कर्ष सभा के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि आखिर यह मूंदड़ा काण्ड किस प्रकार हुआ और कैसे इसका पता लगा।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी वाणिज्यिक संस्थाओं को बेचना चाहा। उस समय भारत के बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने इन विदेशी समवायों या विदेशी संस्थाओं को खरीदने के प्रयत्न किये। श्री मूंदड़ा भी ऐसे ही उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने ऐसे अवसर का लाभ उठाया।

इस सौदे की बातचीत कलकत्ते से आरम्भ हुई। आश्चर्य की बात है कि मूंदड़ा जैसे व्यक्ति के बारे में, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में पहले से ही बदनाम था, राज्य बैंक के अध्यक्ष व जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने आपस में भी कोई बातचीत न की। इधर बहुत से बड़े-बड़े उद्योगपति जिन्होंने देखा कि मूंदड़ा का नाम बढ़ रहा है और जो जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे, ऐसी ताक में बैठे थे कि किसी तरह मूंदड़ा को बदनाम किया जाय और जीवन बीमा निगम को भी धक्का पहुंचाया जाय। हमारी सरकार तथा कांग्रेस में भी इस प्रकृति के लोग हैं। यही कारण था कि जब यह षड्यंत्र चल रहा था तो सभी लोग कान में तेल डाले चुप-चाप बैठे थे।

हमारी सरकार के लोग भी इस राष्ट्रीयकरण से संतुष्ट नहीं थे। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मुंशी ने भी उच्चतम न्यायालय के सामने सरकार की नीति का विरोध किया। इस मामले में भी मुंशी ने सारा दोष वित्त मंत्री के सर पर थोपने की कोशिश की।

हमारे यहां जब जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ तो दल के अनुशासन के नाते तो सबने यह नीति स्वीकार कर ली पर लोग उसके पक्ष में नहीं थे और चाहते थे कि यह सफल न हो। फिर इस नियम के संचालन का काम भी ऐसे व्यक्तियों के हाथों में दिया गया जिनका स्वार्थ अन्य बीमा समवायों के साथ सम्बद्ध था। मंत्रिमंडल के सदस्य भी इन लोगों से तरह-तरह की रियायतें लेते रहे हैं और अपना व उनका उल्लू सीधा करते रहे हैं।

इस मामले से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिये। हमें ऐसे निगमों के बारे में कुछ निश्चित नीति अपनानी चाहिये।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि ऐसे निगमों के संचालन के लिये क्या उपाय अपनाया जाये। यदि प्रादेशिक समितियां बना कर इस काम को शुरू किया गया होता तो जनता का अधिक प्रोत्साहन इसे मिलता और यह काम अधिक सफल होता। जनता का विश्वास भी इसके प्रति बढ़ जाता। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किसी बड़े व्यापारी को इस विभाग का प्रधान बनाया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

फिर हमारी प्रशासन व्यवस्था में जो बड़े-बड़े स्थायी पदाधिकारी हैं उनका हिसाब भी ठीक नहीं है। उनकी धारणा है कि मंत्री तो आते-जाते रहते हैं कौन उनकी चिन्ता करे। वे अपने को सर्वेसर्वा मान लेते हैं और मनमानी करते हैं।

श्री छागला ने तो इस बीमारी के एक अंग का ही निदान किया है अब हमें चाहिये कि सारी बीमारी का पता लगा कर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। अरनैस्ट डेविस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ऐसे निगमों पर संसद् तथा संसद् के सदस्यों का काफी नियंत्रण होना चाहिये पर हमारे यहां इस बात की कोशिश की जाती है कि हम लोगों को ऐसे निगमों के कामों के बारे में कोई रुचि न लेने दिया जाय। अतः अब आगे हमें सावधानी बरतनी चाहिये। क्योंकि संसद् ही जनता के धन की देख-भाल के लिये हकदार व उत्तरदायी है।

श्री त्रि० ना० सिंह ने भी अपने एक संशोधन में कहा है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे निगमों पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि डाक विभाग के किसी बड़े पदाधिकारी को यदि यह काम सौंपा जाये तो काफी लाभ हो सकता है। साथ ही साम्यवादी दल या कांग्रेस में भी जो प्रतिक्रिया वादी लोग हों और इस काम में बाधा पहुंचायें उन्हें भी दबाया जाये। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम अधिनियम में उचित संशोधन किया जाये।

अन्त में, मैं फिर कहूंगा कि इस काम को विकेन्द्रीकृत करके क्षेत्रीय आधार पर बनाया जाये तो अधिक लाभ होने की आशा है।

†**श्री फीरोज गांधी** (राय बरेली) : जीवन बीमा निगम के इस सौदे के बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं। मैंने इस मामले में जो कुछ भी किया है वह जनता के हित के लिये किया है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया उसका मुझे गर्व है। श्री छागला का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने बहुत सुन्दर तरीके से छानबीन करके तथ्य हमारे सामने रखे हैं। मैं स्वयं आयोग के सामने गवाही देने गया था। मैंने महसूस किया कि आयोग के सामने बयान देना बहुत कठिन काम होता है। श्री डांगे ने सभा में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की हैं पर आयोग के सामने बोलना बहुत कठिन होता है। बैठे-बैठे चिट्ठियां लिखना तो कोई कठिन काम नहीं है।

श्री मसानी ने जो कुछ कहा उसका उत्तर मैं सिर्फ यही देना चाहता हूं कि अन्य बीमा समवाय अपने अंशधारियों को संरक्षण देते हैं उससे अधिक संरक्षण हमारे जीवन बीमा निगम के अंशधारियों को प्राप्त है।

कुछ अखबारों ने सरकारी क्षेत्र की काफी छीछालेदर की है। इसका कारण स्पष्ट है कि अनेक अखबार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक अखबार के संचालक पर एक मुकदमा चल रहा है पर उसका कोई उल्लेख अखबारों में नहीं आता है। अतः यह तो अखबारों को स्वार्थ-सिद्धि का अवसर मिला है।

श्री मूदड़ा बहुतही चालाक व्यक्ति हैं। इस सौदे में निगम ने बड़ी गलती की है। पर यह बात तै है कि निगम की व्यवस्था में जो गड़बड़ी थी उसके बारे में वित्त मंत्री को पता था। पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। १५ अप्रैल, १९५७ को वित्त मंत्री ने श्री पटेल को जो नोट* लिखा था उसमें साफ कहा गया है कि व्यवस्था में गड़बड़ी है। राजगोपालन, वैद्यनाथन और वोहरा के बारे में भी

†मूल अंग्रेजी में।

*यह पत्र पुस्तकालय में रख दिया गया है। दखिये संख्या एल० टी० ५६३/५८

[श्री फ़ीरोज़ गांधी]

उसमें उल्लेख है। वित्त मंत्री ने, इस पत्र में, जिसकी प्रति मेरे पास है, कुछ कार्यवाही करने की बात लिखी थी पर श्री पटेल ने उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। फिर ९-९-५७ को वित्त मंत्री ने दूसरा पत्र* श्री पटेल को लिखा जिसमें इस बात पर आपत्ति की गयी थी कि यद्यपि वित्त मंत्री नहीं चाहते थे फिर भी वैद्यनाथन की सेवा का समय क्यों बढ़ाया गया। पर निगम ने उस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं दिया।

इससे स्पष्ट है कि व्यवस्था की गड़बड़ी के बारे में वित्त मंत्री को पहले से ही मालूम था पर वे इसे ठीक नहीं कर पाये। पहला पत्र जब वित्त मंत्री ने लिखा था तो पटेल, निगम के सभापति और मुख्य सचिव दोनों पदों पर विद्यमान थे पर दूसरे पत्र के समय वह केवल मुख्य सचिव थे।

श्री वैद्यनाथन, पटेल, कामत तथा वित्त मंत्री ने जो बयान दिये उससे मामला उलझता ही गया। पर बात यह है कि यह जो सौदा किया गया था यह उचित नहीं था।

आयोग के अध्यक्ष श्री छागला भी बड़े चक्कर में थे कि एक बात का कुछ भी पता नहीं लगता और न लगा कि आखिर मूंदड़ा को यह पता कैसे लगा कि जीवन बीमा निगम के श्री पटेल उस के अंश खरीदन के सम्बन्ध में इच्छुक थे पर अन्त तक भी इस बात का पता किसी के बयान से नहीं लग सका।

श्रीमान् मैं सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि आयोग में सब ने शपथ लेकर वक्तव्य दिये हैं और मुझे प्रतिवेदन दिये जाने से पूर्व तो यह पता लगा कि सारी बातचीत नई दिल्ली में ही हुई। नई दिल्ली से १३ जून, १९५७ को एक तार* भेजा गया जिसमें लिखा था 'हरिदास जी, जीवन बीमा निगम तैयार है। आवश्यक आदेश दिये जा रहे हैं आप फोन से बातचीत करें'। यह तार किसी श्री सोढानी ने दिया था। इसमें जेसप तथा बी० आई० सी० के अंशों को तै दरों पर खरीदने का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि अंशों की कीमतें बाजार भाव पर नहीं बल्कि तै भाव पर दी जाएंगी। मैं इससे अधिक बताना नहीं चाहता क्योंकि सरकार जांच करने वाली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सोढानी कौन है ?

†**श्री फीरोज़ गांधी** : यह प्रश्न आयोग में भी उठा था। वह दिल्ली में जेसप वालों का प्रतिनिधि है। उसे आयोग ने बुलाया था किन्तु स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह न जा सका। मैं इसे पटल पर रखता हूं।

अब दूसरा प्रश्न है मंत्री तथा उसके सचिव के सम्बन्धों का। श्री कृष्णामाचारी ने कहा था कि यदि जीवन बीमा निगम इन अंशों को खरीदना चाहती है तो वह देखले किन्तु ध्यान रखे। इस चेतावनी को प्रधान सचिव को स्वीकार करना चाहिये था। दूसरे जब श्री कृष्णमाचारी को पता था कि इन समवायों के जाली अंश भी हैं तो उन्होंने सौदे को क्यों न रोका। यह दूसरा पहलू है।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे विषयों पर मंत्री जो भी आदेश दें वह लिखित रूप में दें। मैं श्री विस्टन चर्चिल की द्वितीय महायुद्ध नामक पुस्तक का उल्लेख करते हुए बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि "मैं लिख कर सरकारी काम करने में विश्वास करता हूं। यद्यपि मंत्री आदि आदेश के रूप में तो नहीं लिखते किन्तु यहां जो भी राय व्यक्त की जाती थी सामान्यतया उसे क्रियान्वित किया जाता था। मैंनेआदेश दिया था कि जब तक लिखित मेरी ओर से कुछ न हो तब तक मैं उस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करूंगा"।

†मूल अंग्रेजी में।

*यह पत्र पुस्तकालय में रख दिया गया है। दखिय संख्या एल० टी० ५६३/५८

यह सिद्धान्त अतिशय उत्तम है। तीसरा पहलू है कि इन निकायों पर संसद् का किस प्रकार से नियंत्रण हो। इस कार्य के लिये हम दूसरे समय चर्चा करेंगे।

जीवन बीमा निगम के बारे में जो कुछ है उसे देख कर मुझे एक कहानी याद आ गई। उस कहानी का अभिप्राय यही है कि साहस परिस्थितियों के आधार पर होता है। मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री को आश्वासन दिलाता हूं कि हमें इन नरभक्षी तेंदुओं का कोई खतरा नहीं। जब तक गृह मंत्रालय में कुमाओं का नरभक्षी शेर है तब तक क्या खतरा है।

कल प्रधान मंत्री ने कहा था कि इन दो महीनों में उन पर पर्याप्त भार रहा किन्तु उसका परिणाम तो अच्छा ही निकला। मुझे तथा डा० राम सुभग सिंह को इस काम पर आठ महीने लगे। मैं चाहता था कि मौलाना आज़ाद भी यहां होते क्योंकि मैं एक शेर सुनाता हूं :—

खलिश थी दिल में मगर आंखें क्यों भर आई हैं
कहां की चोट कहां रंग लाई है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता—मध्य) : मैं कांग्रेस दल के महानुभाव का भाषण समझ नहीं सका हूं। उन्होंने कहा कि श्री डांगे ने आयोग के सामने साक्ष्य देने में बचाव किया। किन्तु यह बात गलत है। श्री गांधी ने उस सामूहिक प्रयास को तोड़ दिया है जिससे इस बात का उपचार होना था।

बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में अनेक घोटाले हुए। और यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के वह सदस्य जो इन बातों से विरोध करते हैं क्यों विरोधी दल से सहमत नहीं होते कि एक समस्त व्यापक जांच कराई जाये। श्री फीरोज़ गांधी के संसाधन बड़े हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री फीरोज़ गांधी ने कतिपय दस्तावेज यहां रखे हैं पता नहीं वह ठीक हैं या गलत किन्तु उनसे यह तो स्पष्टतया विद्ध होता है कि कहीं न कहीं पर कोई गड़बड़ जरूर है। मैं यह बात नहीं समझ सका हूं कि श्री गांधी यह कैसे कहते हैं कि वित्त मंत्री का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं। इसीलिये हम इस बात की मांग करते हैं कि एक संसदीय समिति सारे मामलों की जांच करे। हम इस ओर भी तो ध्यान दे सकते हैं।

केवल ऐसी ही व्यापक जांच से सारा मामला साफ हो सकता है।

न्यायाधीश श्री छागला तथा महा न्यायवादी श्री सीतलवाद ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। किन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने इस मामले में कुछ अनौचित्य पूर्ण बातें कहीं हैं। यह सब गलत था। यह तो ठीक है कि प्रधान मंत्री को अपने साथियों का बचाव करना पड़ता है किन्तु उन्हें इतना कठोर नहीं बनना चाहिये था। आखिर सारी जांच एक बड़े योग्य न्यायाधीश ने की थी।

प्रधान मंत्री के इन वक्तव्यों से कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि संभवत: भविष्य में सरकार ऐसे आयोग नियुक्त न करे। इस प्रकार सरकार समाजवादी ढांचे का समाज नहीं बना सकती।

न्यायाधीश छागला का सारा प्रतिवेदन ठीक है किन्तु बस थोड़ी कमी यह है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वास्तव में हमें ऐसे कर्मचारी चाहियें जो समाजवाद के सिद्धान्तों को बढ़ावा दें जो इसी रंग में रंगे हों।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

सरकारी क्षेत्र तो आगे बढ़ता ही जायेगा। सरकार को इसके संचालन में अब जनता का सहयोग लेना चाहिये।

वर्तमान नौकरशाही के ढांचे में परिवर्तन होने चाहियें। वास्तव में ये पदाधिकारी वर्तमान कामों के लिये उपयुक्त नहीं हैं। पटेल आदि को आप देख चुके हैं। अतः न केवल इनके विरुद्ध ही कार्यवाही की जाये बल्कि सारी प्रणाली में ही आमूल परिवर्तन होना चाहिये।

हमारे प्रधान मंत्री ने श्री आयंगार की प्रशंसा की किन्तु वित्त मंत्री ने ही बताया था कि रक्षित बैंक के गर्वनर श्री आयंगार ने एक बार सान फ्रांसिसको में कहा था कि भारत में तो गैर-सरकारी क्षेत्र का ही प्रभुत्व है। अतः इन लोगों की प्रशंसा या निंदा करने से क्या लाभ है। वास्तव में यह लोग इन कामों के लिये उपयुक्त ही नहीं हैं।

देखिये निगम ने बिना लिखित के ही १·५ करोड़ रुपये का सौदा कर लिया। सौदा भी बड़ी जल्दी में हुआ। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भी ऐसी ही बातें कीं। उन्होंने कहा कि श्री छागला ने उनके बारे में केवल अनुमान के आधार पर निर्णय दिया है।

अब जब कि सारा देश इस बात को स्वीकार किये बैठा है तब एक संसदीय समिति बना कर और अधिक तथ्यों की जांच की जानी चाहिये।

यदि स्वीकार कर लिया जाये तो समवाय विधि प्रशासन की व्यवस्था भी भ्रष्टाचारों की एक लम्बी कथा है। कितने घोटाले गिनाये जायें? हिन्दुस्तान शिपयार्ड में क्यों भ्रष्टाचार हैं तथा क्यों लोग घोटाला करके बच जाते हैं। इन सब चीजों की जांच होनी चाहिये। हमारे पास गुप्त पत्र आते हैं। हम क्या कर सकते हैं। जांच तो सरकार ही करा सकती है। किन्तु जब भी हम कोई शिकायत करते हैं तभी मंत्रालय में उसको दबा दिया जाता है।

अखबारों में तो निकला है कि श्री मूंदड़ा के बड़े-बड़े मंत्रियों से सम्बन्ध हैं। हो सकता है यह गलत हो किन्तु लोग तो सन्देह करते हैं। अब हमारे विधि मंत्री भी तो उनके साथी रहे हैं। वह उनके कानूनी सलाहकार थे। मेरे पास उनके सम्बन्ध में और भी अधिक जानकारी है किन्तु सचाई का पता लगाया जाना चाहिये। मैं श्री सेन पर कोई आरोप तो नहीं लगा रहा किन्तु लोगों का सन्देह अवश्य ही दूर किया जाना चाहिये।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जाते समय यह भी कहा था कि वह कतिपय बड़े पक्षों का शिकार हुआ है। हमें उनका भी पता लगाना चाहिये।

मैं संविहित निकायों की स्वायत्तता का प्रश्न भी उठाना चाहता हूं। समाजवादी देश में इनका बड़ा महत्व होता है। श्री मसानी तो इस बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने अमेरिका का पत्र "लाइफ" में एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि भारत के वित्त मंत्री ने विदेशी विनियोजकों को बहुत सुविधायें दिलाने का प्रयास किया है और प्रवर समिति ने भी उनका समर्थन किया। श्री मसानी का संसदीय समितियों का उल्लेख उचित नहीं है।

श्रीमान् जब ब्रिटिश सरकार ने वहां के बैंक के कामों की जांच के लिये रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति आवश्यक समझी थी तो भारत में क्यों यह सब जांच आवश्यक नहीं है। श्रीमान् मैं कांग्रेस के सदस्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रकार के कामों में हमारा समर्थन करें।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान् मैं बोलना तो नहीं चाहता था किन्तु श्री मुकर्जी ने मेरा नाम लिया है अतः अब कुछ कहना धृष्टता होगी। उन्होंने बताया है कि मैं मूंदड़ा का कानूनी सलाहकार तथा जेसप समवाय का निदेशक था। जहां तक मूंदड़ा का सम्बन्ध है कलकत्ता में उसका कोई कानूनी सलाहकार न था। कलकत्ता न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा न था। मैं उसके पिता गोपालदास मूंदड़ा के मुकदमों में अवश्य वकील रहा हूं। ये सब विधि रिपोर्टों में हैं। संभवतया यह १९४९ या १९५० की बातें हैं।

मैंने हरिदास मूंदड़ा को १९५४ में देखा था। दिल्ली के एक दावे में मैंने कतिपय साक्षियों का परीक्षण किया था जिसमें उसका बाप भी था। मूंदड़ा का परीक्षण उच्च-न्यायालय ने किया था। दिल्ली के एक ठेकेदार ने संविदा भंग का दावा उस पर किया था। मैं उसके बाप की तरफ से पेश हुआ था। जहां तक इस मूंदड़ा का सम्बन्ध है इसे दूसरे वकील ने देखा था। पहली बार मैं इससे तभी मिला था।

इसके बाद मैं १९५६ से उससे मिला जब जेसप समवाय में हड़ताल हुई थी। काम बंद हो गया था और स्थानीय सरकार चिन्तित थी। वह नहीं चाहती थी कि श्रमिक हड़ताल पर रहें। यद्यपि मुकदमा तो कोई न था किन्तु मैंने हड़ताल बंद कराने का पूरा-पूरा प्रयास किया था। हड़ताल खत्म हो गई थी और श्रमिक संतुष्ट हो गये थे मुझे श्रमिक संघों ने धन्यवाद भी दिया था।

उसके बाद मुझे बताया गया कि डा० राय की इच्छा यह है कि कोई बंगाली जो जनता में काम करता हो जेसप में आ जाये ताकि आगे ऐसी हड़तालें न हों। जुलाई, १९५६ में मेरे से बातचीत की गई और मैंने कहा कि डा० राय से बातचीत करके ही मैं कुछ कह सकता हूं। बाद में मैं ने स्वीकार कर लिया और अगस्त, १९५६ मैं निदेशक चुना गया। मैं ज्यादा से ज्यादा तीन या चार बैठकों में गया और तब मंत्री बन गया। उसके बाद मैं ने वहां से त्यागपत्र दे दिया।

निदेशक बनने के पश्चात् मैंने ५·५ प्रतिशत लाभांश की घोषणा कराई। मैंने इसी कार्य में सीधा हस्तक्षेप किया था। यदि कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि श्रमिकों ने बाध्य कर दिया था तो मैं प्रसन्न हूं। खैर इस काम में तो बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। संक्षेप में सारा इतिहास यही है।

उसके पश्चात् गत सितम्बर अक्तूबर में भी मेरा उनसे पाला पड़ा था। शायद आसलर वालों के विरुद्ध कोई मुकदमा संयुक्त समवाय पंजीयक ने किया था जिसमें वकील केन्द्रीय सरकार ने किया था। मैं समझता हूं कि उसका बचाव किसी दूसरे वकील ने किया था जो कांग्रेसी नहीं था। मुझे पब्लिक अभियोजक का एक पत्र मिला कि इस बड़े काम को वह अकेला नहीं कर पा रहा है और सरकार भी उसे कोई सहायक नहीं दे रही। उन्होंने लिखा था कि साक्ष्य भारी है। और साक्षी कई हैं—इसके अतिरिक्त काम के आधिक्य के कारण वह इस मुकदमें की पैरवी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यह पत्र फाइल में है। खैर मेरे तारीख तो ठीक से याद नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि यह पूजा के दिनों की बात है।

मैंने तुरन्त अपने सचिव को कहा था कि एक सहायक तुरन्त नियुक्त कर दिया जाये ताकि अभियोग ठीक ढंग से चले और ऐसा किया गया था। इसके बाद मेरा मूंदड़ा का कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा मैंने अपने पद से उलट कोई कार्य भी नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : वह इंग्लैण्ड कब गये थे ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जब तो संभवतय: मैं मंत्री नहीं था । मैं कई बार इंग्लैण्ड गया था । अब मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । यदि किसी के दिल में कोई सन्देह था तो वह दूर कर दिया गया है ।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं । ४ सितम्बर को जब इस सौदे का प्रश्न सभा में उठा था मैं उस समय कलकत्ता में था । कलकत्ता में उन दिनों स्थानीय पूजा समितियां महान उत्सव मनाने के लिये बैठकें करती हैं क्योंकि वह बंगाली जीवन का एक बड़ा अंग है । मैंने कई बैठकों का उद्घाटन किया उस समय वहां कुछ विरोधी दलों ने खाद्य स्थिति के बारे में एक असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर रखा था । मैंने यह भी कहा था कि यदि इन आन्दोलनों से हमारी खाद्य स्थिति अच्छी हो जायेगी तो मैं उसमें भाग लेने को तैयार हूं । मैंने अखबारों में पढ़ा कि मूंडड़ा के घर भी एक पूजा समिति हुई थी जिसे "टैगोर कैसल" कहते हैं उस समिति में साम्यवादी नेता भी थे । उनमें प्रमुख साम्यवादी नेता श्री बंकिम मुकर्जी थे जो पश्चिमी बंगाल विधान-सभा में साम्यवादी दल के उपनेता हैं । उन्होंने वहां मेरी आलोचना भी की ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वहां मूंदड़ा भी थे ।

†**श्री अ० कु० सेन** : : स्वागत तो मूंदड़ा वालों ने ही किया था । मैं तो वहां गया नहीं था मुझे क्या पता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : श्रीमान् हमारे पास विधि मंत्री के विरुद्ध कुछ सामग्री है । हमें पता नहीं वह ठीक है या नहीं है । क्या आप उसकी जांच करायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रसंग में नहीं ।

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

†**श्री थानू पिल्लै** (तिरुनेलवेली) : श्रीमान् कल सभा में दिये गये मेरे भाषण की एक प्रति मैंने आज पढ़ी । पृष्ठ २१२८ में जो दिया गया है वह गलत रिपोर्ट है । मैंने यह नहीं कहा था । मैंने प्रधान मंत्री पर किसी वक्तव्य के देने का आरोप नहीं किया । मैं तो प्रधान मंत्री को दूसरे लोगों द्वारा कही गई बातों से और मेरी बातों से अवगत करा रहा था । ठीक भाषण मैंने लोक-सभा सचिवालय को भेज दिया है । मैं यह व्याख्या इस कारण कर रहा हूं कि यहां या कहीं बाहर हमारे माननीय नेता और प्रधान मंत्री के बारे में गलत धारणा न हो । यदि कोई गलत धारणा हो गई है तो मैं सभा से और प्रधान मंत्री से क्षमा याचना करता हूं ।

भारत के जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—जारी

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : श्रीमान् मैं कम ही बोलूंगा । मुझे इस बात का वास्तविक दुख है कि हमारा एक महान् साथी, विद्वान योग्य व्यक्ति इस सभा में नहीं है और देश उसकी सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं ज्यादा व्यौरात्मक ढंग से आयोग के प्रतिवेदन में नहीं जाना चाहता । मैं न्यायाधीश छागला को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कहने पर इस कठिन कार्य का भार सम्हाला ।

†मूल अंग्रेजी में ।

श्रीमान् इन प्रश्नों पर हम किसी दलगत दृष्टि से विचार नहीं कर सकते। मुझे इस बात पर बड़ा खेद है कि इस अवसर पर जब कि चर्चा गंभीर ढंग पर होनी चाहिये थी कुछ सदस्यों ने बड़े ही निन्दनीय संकेत बड़े अनुचित ढंग से किये हैं जिनसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की ख्याति पर धब्बे लगते हैं। हमें बड़ी हैरानी होती है कि माननीय सदस्यों के पास जो कुछ भी पहुंचता है वह उसे एकदम स्वीकार कर लेते हैं और फिर यहां भी कह देते हैं।

श्रीमान् जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसका प्रवर्तनीय भाग तो प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में है। वित्त मंत्री ने पद त्याग कर ही दिया है। इस मामले के आधार पर और कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार ने इस सौदे में अपनाये गये तरीकों की निन्दा की है; यह सौदा अनियमित था और नियमों का इससे उल्लंघन हुआ है। इन सब बातों पर कोई दो प्रकार के विचार नहीं हैं।

जहां तक दूसरे मामलों का सम्बन्ध है उन्हें संकल्प में रखा ही गया है। मेरा विचार था कि इस के बाद हम सब लोग प्रतिवेदन के सारे अंश पर सहमत हो सकेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि तब से जब से डा० राम सुभग सिंह ने प्रश्न पूछने आरम्भ किये हैं आज तक का सारा समय हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक प्रणाली की शक्ति के विकास तथा वृद्धि का एक बड़ा स्तम्भ माना जा सकता है। इसके लिये हम केवल कांग्रेस के सदस्यों को ही श्रेय दे सकते हैं अन्य किसी को नहीं। वे सदा सतर्क रहे हैं। जब भी उन्होंने कोई गलती देखी है उन्होंने तुरन्त दलगत दृष्टि-कोण से ऊंचा उठ कर देश सेवा का कार्य किया है। हमें इस बात पर थोड़ा संतोष है।

मेरे विचार में राजनैतिक इतिहास में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलेंगे जहां एक दल के सदस्यों ने ही सरकार की गलतियों की आलोचना की हो और इस प्रकार जांच कराने की मांग की हो। सदस्यों ने केवल इसी बदनाम सौदे में ऐसा नहीं किया बल्कि डालमिया सम्बन्धी मामला भी इसी कांग्रेस धर्मयोद्धा ने उठाया था।

टेलको का मामला भी इन्होंने यहां रखा था। इसलिये देश की जनता को यह संतोष होना चाहिये कि कांग्रेस सतर्कता से काम कर रही है।

हमारे लिये यह बड़े ही संतोष का विषय है कि इस दल के सदस्य, चाहे वह थोड़े ही हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री की ईमानदारी की भावना का अनुसरण किया है और जहां देश हित का प्रश्न हो वहां वे दलगत दृष्टियों से ऊपर उठ जाते हैं।

कल मैंने श्री डांगे का भाषण सुना। बड़े ध्यान् से सुना। उनके कहने के ढंग में आकर्षण है किन्तु मैं सुनकर थोड़ा क्षुब्ध हुआ। जो बातें उन्होंने अन्त में कहीं मैं उससे सारी बात समझ गया। उन्होंने भाषण समाप्त करने से पूर्व एक महाशय की बात का उद्धरण रखा जो कि उनके अनुसार आज से एक सौ वर्ष पूर्व कब्र में दफ़नाया जा चुका है। उनके साथ यही कठिनाई है। माननीय सदस्य के दिमाग पर वही वृद्ध महाशय हावी हैं। वही वृद्ध महाशय जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि सौ वर्षों पूर्व, एक सदी पहले, उन्हें कब्र में दफ़नाया जा चुका है। उन्हीं वृद्ध महाशय के शब्द भी माननीय सदस्य के दिमाग़ पर हावी हैं। उनका दिमाग उन्हीं वृद्ध महाशय की एक शताब्दी पूर्व की उक्तियों की लीकों में जकड़ा हुआ है। वह उससे हटना ही नहीं चाहते। उनका विचार है कि इन गत सौ वर्षों में संसार में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है और सौ वर्षों पूर्व के उन पवित्र सिद्धान्तों या उपदेशों पर इस एक शताब्दी की घटनाओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। इसीलिये, माननीय सदस्य समझते हैं कि वे पवित्र उपदेश आप भी केवल सिद्धान्तों ही नहीं बल्कि एक जांच आयोग के प्रतिवेदन के ब्यौरे के सम्बन्ध में की जाने वाली चर्चा के मामले में भी उनका पथ-प्रदर्शन कर सकत हैं। यह एक बड़ी विचित्र सी बात है। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है

[पंडित गो० ब० पन्त]

कि माननीय सदस्य क्यों इन प्रश्नों पर निष्पक्ष और निर्लिप्त भाव से विचार करने में असमर्थ हैं। उनके दृष्टिकोण पर सौ वर्षों पूर्व के वे पवित्र उपदेश ही हावी हैं। उनकी सारी विचारधारा उन्हीं उपदेशों के रंग में रंगी हुई हैं। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार के मामलों में ऐसे व्यक्ति की राय कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : लेकिन आपको सौ वर्षों पूर्व के उन वृद्ध महाशय से भी संघर्ष करने में इतनी शक्ति क्यों लगानी पड़ती है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इसलिये कि कुछ लोग सौ वर्ष बाद भी उनकी दुहाई देते हैं।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : जी, नहीं। बल्कि इसलिये कि उनके दर्शन के आधार पर आज आधे संसार का शासन चलता है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : तब क्या यह जरूरी है कि आप हर मामल में उन्हीं का पथ-प्रदर्शन मानें, फिर चाहे वह या उनके इस समय के कोई अन्य सहयोगी भी इन मामलों की कल्पना तक न कर पाये हों ?

जो भी, उनके बारे में हम किसी और अवसर पर चर्चा कर सकते हैं। श्री डांगे ने और भी कुछ बातें कही हैं। वह हमेशा घुटालों की बातें ही सोचा करते हैं। उन्होंने जीप और उर्वरक घुटालों का भी उल्लेख किया है। सम्भव है कि उनकी बड़ी बारीकी से छानबीन न की गई हो या की भी गई हो, लेकिन श्री डांगे तो तभी उसको स्वीकार कर सकेंगे जब कि उन छानबीनों के परिणामों से सरकार पर कोई आंच आती हो। श्री डांगे तो तभी उनको स्वीकार करेंगे जब कि उन जांचों की उपपत्तियां उनकी पहले की बनी बनाई धारणाओं से मेल खाती हों। चाहे पूरी-पूरी छानबीन के बाद सचाई का पता लग जाये और यह सभा उसे पूरी तौर पर स्वीकार भी कर ले, फिर भी मानयीय सदस्य उसे घुटाला ही मानते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तर्क-संगत दृष्टिकोण से सहमत करना कठिन है।

प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि इस जांच का सरकार की आर्थिक नीति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में यह है भी ठीक कि इस प्रकार की जांचों के दौरान में आर्थिक नीति की जांच नहीं की जा सकती। फिर भी, कई माननीय सदस्यों ने आर्थिक नीति का प्रश्न उठाया है। आयोग को तो केवल एक मामले विशेष के गुण-दोषों की जांच करने का काम सौंपा गया था और वह जितनी कुछ सामग्री संग्रह कर सका उसके आधार पर इस काम को काफ़ी अच्छे ढंग से पूरा भी किया गया है। इसलिये, इसमें आर्थिक नीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, कोई भी इस निन्दनीय मामले पर गर्व नहीं कर सकता।

सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारीगण इस मामले से कोई खुशी हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी ओर, निजी क्षेत्र भी यह नहीं कह सकता कि उसे इस बात का खेद है कि उस क्षेत्र के ही एक आदमी ने ऐसी गन्दी सट्टेबाज़ी की है। इसलिये, इस सिलसिले में एक-दूसरे की निन्दा करने की कोई जरूरत नहीं है।

क्या इस प्रकार की शिकायतें रूस म नहीं रहतीं ? क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रशासन करने वाले अधिकारियों को ग़लत काम करन पर बार-बार भर्त्सना नहीं सुननी पड़ी है ? एसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे मामले किसी एक ही क्षेत्र में होते हैं, दूसरे में नहीं। हमें हर क्षेत्र में, हर पग पर सतर्कता रखनी चाहिये। अन्तर केवल इतना है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसी ग़लतियों को दबाया

†मूल अंग्रेजी में।

या छिपाया नहीं जाता। ये होती सभी देशों में है। लोकतांत्रिक देशों में उनकी जांच की जाती है, जबकि तानाशाही वाले देशों में उन्हें दबा दिया जाता है। इसके इस पहलू पर इतना अधिक ज़ोर देना असंगत है।

यह भी कहा गया है कि कांग्रेस दल या कांग्रेस सरकार निजी क्षेत्र को ही बढ़ावा देना चाहती है और सारे संसाधन उसके हाथ में दे देना चाहती है। माननीय सदस्यों को कम से कम अभी हाल के कुछ विधानों को तो देखना चाहिये। सम्पदा-कर और व्यय-कर आपको किस देश में दिखते हैं? क्या इन करों से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? सरकार किसी भी वर्ग विशेष के साथ रियायत नहीं करती। हमारे विधानों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है।

मैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें कहा गया है कि देशभक्त भारतीय पूंजीपति......

†**एक माननीय सदस्य :** कौन ? मूंदड़ा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मूंदड़ा की तो हम सभी निन्दा करते हैं। सामान्य चर्चा के समय हम पर लांछन लगाया गया था कि हम पूंजीपतियों की सहायता करते हैं। इसी सभा में कहा गया था कि सभी पूंजीपतियों को गोली मार दो, यदि हिंसात्मक नहीं तो अहिंसात्मक ढंग से ही सही।

अब आप कम्युनिस्ट पार्टी का अपना घोषणापत्र ज़रा देखिये।

अब मैं आपको बताता हूं कि सामान्य निर्वाचन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी यह मानती है कि हमारे देश के विकास की वर्तमान अवस्था में देश भक्त भारतीय पूंजीपति देश के आर्थिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। उसमें भारतीय उद्योगों को विदेशों की प्रतियोगिता से आरक्षित करने, पूंजीपतियों के सभी उचित अधिकारों को सुनिश्चित बनाने और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना की कार्यान्विति के लिये उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भी बात कही गई है। केरल के मुख्य मंत्री ने अपने भाषणों में कहा है कि भारत के भारी और छोटे पैमाने के उद्योगों और देश की कृषीय सम्भावनाओं का तेज़ी से विकास करने के लिये आवश्यक है कि उद्योगपति, कृषक और मज़दूर वर्ग सरकार तथा जनता के साथ एकता स्थापित करें। उन्होंने उद्योगपतियों को सरकार की ओर से उचित वातावरण बनाने के प्रयास का आश्वासन दिया है और अपनी सरकार के लिये पूरे सहयोग तथा समर्थन की अपेक्षा की है। एक अवसर पर तो उन्होंने यहां तक कहा था कि देश में विदेशी पूंजी को कुछ अधिक मुनाफ़े की शर्तों पर विनियोजन करने देना चाहिये; विदेशी विनियोजकों को देशीय विनियोजकों की अपेक्षा कुछ अधिक लाभकारी शर्तें देनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं को तभी राष्ट्रीयकृत करना चाहिये, जबकि सारे देश ने उसका निर्णय कर लिया हो, और राष्ट्रीयकरण के समय उनको पूरा-पूरा प्रतिकर भी देना चाहिये। और, इस पर भी सरकार पर लांछन लगाया जाता है कि वह पूंजीपतियों की सहायता कर रही है।

†**श्री श्री० अ० डांगे :** क्या मूंदड़ा को दो करोड़ रुपये इसी नीति के अनुसार दिये गये हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उत्तर इस बात का दिया जा रहा है कि क्या सरकार निजी पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं तो निजी और सरकारी क्षेत्रों के परस्पर सहयोग की नीति का समर्थक हूं। मैं तो यह मानता हूं कि देश की समृद्धि में देश की अर्थ-व्यवस्था और उद्योग के निर्माण में जो भी हाथ बंटा सकता हो, अपना भरसक प्रयत्न करे।

†**श्री श्री० अ० डांगे :** हम इससे सहमत हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** हम सभी सरकारी क्षेत्र की उन्नति चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि देश के समस्त उपलब्ध संसाधनों के यथा सम्भव अधिकतम उपयोग के आधार पर सरकारी क्षेत्र को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठाया जाये। लकिन हम यह भी महसूस करते हैं कि देश में सरकारी क्षेत्र के साथ ही साथ निजी क्षेत्र का रहना भी आवश्यक है। और यदि उसका रहना भी आवश्यक है तो यह भी आवश्यक है कि गन्दी हरक़तें करने वाले निजी उद्योगपतियों को तो दण्ड दिया जाये, लेकिन हर निजी उद्योगपति को गन्दी हरकतें करने वाला न मान लिया जाये। जहां तक कि इस समस्या का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र की ओर अधिक व्याख्या करना जरूरी नहीं है।

आयोग के प्रतिवेदन में मूंदड़ा के साथ होने वाले सौदे से प्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न होने वाले सलों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया है। इस सौदे विशेष के गुण-ोषों के बारे में तो मैं अपने विचार व्यक्त कर ही चुका हूं। सरकार ने भी अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त संगठन है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से निगम के कार्यों का संचालन नहीं करती थी। और, यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धान्त का अनुमोदन कर देता है, तो उससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि बाद का सारा ब्यौरा या उसकी ब्योरेवार कार्यान्विति का विवरण भी उसी व्यक्ति ने तैयार किया होगा। उसका यह भी अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उसमें विधि द्वारा संविहित प्रक्रिया का पालन नहीं करना था।

सरकारी निगमों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण हो? इसके बारे में कई प्रकार की विभिन्न रायें हैं। कुछ माननीय सदस्यों की राय यह है कि संसद् को निगमों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिये। कुछ अन्य माननीय सदस्यों की यह राय है कि निगमों को, संसद् द्वारा पारित की गई विधियों के अधीन रहते हुए, अपना कार्य करने की यथेष्ट स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। इसलिये यह एक बड़ी जटिल समस्या है। एक ओर तो निगम के कार्यों में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, और दूसरी ओर संसद् को भी यह देखने का अवसर मिलना चाहिये कि उनका कार्य संतोषप्रद ढंग से चल रहा है या नहीं।

एसे आयोगों को शास्ति करन वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी हमें काफ़ी सोच-विचार करना पड़ेगा। आज हमारे सामने जो कठिनाई है ठीक इसी प्रकार की कठिनाई इंग्लैण्ड में भी आई थी। पिछले वर्षों में वहां ऐसे चार आयोग बन चुके हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहला आयोग तो आय-व्यक के समय से पहले लोगों को मालूम हो जाने के सम्बन्ध में, श्री थामस के बारे में था। उसी के सिलसिले में कहा गया था कि आयोगों के लिये कोई प्रक्रिया संविहित की जानी चाहिये। दूसरी जांच १९४४ के आसपास हुई थी। इसमें भी यही कठिनाई सामने आई थी। अब इंग्लैण्ड में इसकी प्रक्रिया काफ़ी स्पष्ट हो गई है। वहां राजकोष का अभ्यर्थी (सोलिसिटर) ही सारा साक्ष्य संग्रह करता है, उसको सहायता के लिये कुछ पुलिस अधिकारी भी दे दिये जाते हैं। अभ्यर्थी उसके बाद ही उस मामले को प्रस्तुत करता है। ऐसी जांचों में कोई भी अभियुक्त नहीं होता और न किसी

†मूल अंग्रेजी में।

से अपनी सफाई पेश करने के लिये कहा जाता है। आयोग केवल सचाई का पता लगाता है। इंग्लैण्ड जैसे देश में भी एसी कठिनाइयां आ चुकी हैं, इसलिये हमें इसपर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि अपने देश में पहली बार ऐसी जांच के सम्बन्ध में ऐसी कठिनाई पड़ी है और हमन महसूस किया है कि ऐसे आयोगों के लिये स्पष्ट रूप में एक प्रक्रिया निश्चित की जानी चाहिये।

मंत्री के दायित्व के सम्बन्ध में भी कई बातें कही गई हैं। इंग्लैण्ड में इसके सम्बन्ध में भी कई बार चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी इन कुछ जांचों के मामले में कोई एक निश्चित बात कहना कठिन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सामान्यत: एक नियम यही माना जाये कि यदि मंत्री सर्वथा दोष रहित सिद्ध नहीं होता और यदि वह किसी भी आपत्तिजनक या आलोचना के योग्य अपने किसी कार्य या अपनी किसी भूल के लिये किंचित भी जिम्मेदार समझा जाता है, तो उसे उसका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये। मेरा विचार है कि ऐसे मामलों में थोड़ी सख्ती ही रखनी चाहिये। लेकिन बड़ी सावधानी से हमें पूरे प्रश्न की जांच करनी चाहिये।

अब कवल एक ही विचारणीय विषय और रह गया है। सभी जानते हैं हमारे प्रशासन का संचालन असैनिक कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है। यह दूसरी बात है कि वह प्रशासन है कैसा और उसकी सफलतायें या असफलतायें क्या हैं। हमने अपना कार्य-क्षेत्र काफ़ी बढ़ा लिया है। हमने कई संस्थाओं का भार अपने ऊपर ले लिया है। कुल मिलाकर उनका कार्य काफ़ी अच्छे और संतोष-प्रद ढंग से चला भी है। इसका श्रेय तो उनको मिलना ही चाहिये। इसलिये हमें अपने देश के सुयोग्य असैनिक कर्मचारियों की ओर उचित दृष्टिकोण ही रखना चाहिये; उनमें से किसी एक कर्मचारी की गलती या जान बुझ कर किये गये किसी अवचार को देख कर हमें उन सभी को एक लाठी से नहीं हांकने लगना चाहिये। वे किसी भी अन्य देश के असैनिक कर्मचारियों से कम नहीं हैं। संसद् में उनका विश्वास बना रहने देना चाहिये। उनको यह जताया जाना चाहिये कि कभी-कभी उनमें से कोई दोषी तो ठहराया जा सकता है, लेकिन संसद् कुल मिलाकर असैनिक कर्मचारियों के गुणों को मानती है और उनसे आशा करती है कि वे पहले की भांति ही निष्ठा उत्साह और लगन के साथ देश की सेवा में लगे रहेंगे।

प्रजा-समाजवादी दल के नेता ने कुछ बातें कही हैं। मैं उनके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने उनसे कहा था कि वे उनको माफ़िक नहीं आते। हो सकता है कि इससे वह कुछ रुष्ट हों, लेकिन यह स्वाभाविक ही है। लेकिन, उन्होंने यह भी कहा था कि वित्त मंत्री को अपने निर्वाचन के लिये कांग्रेस से कुछ रुपया मिला था। मैं आपको अधिकृत रूप से बताता हूं कि न प्रान्तीय और न केन्द्रीय कांग्रेस संगठन ने वित्त मंत्री को कोई ऐसी सहायता दी थी।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी): मैंने कहा था कि "शायद मिली होगी"।

†**पंडित गो० ब० पन्त**: तब फिर मुझे कुछ और नहीं कहना है। लेकिन इससे सुयोग्य नेता यह तो समझ ही सकते हैं कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी कि वह मान बैठे हैं।

†**आचार्य कृपालानी**: वित्त मंत्री ने पूंजीपतियों को नर-भक्षक कहा था, और उसी की आलोचना करते हुए मैंने कहा था कि कुछ नर-भक्ष कांग्रेस में भी मौजूद हैं और हो सकता है कि उनके शिकार का कुछ भाग वित्त मंत्री के हिस्से में भी पड़ा हो।

†**पंडित गो० ब० पन्त**: मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री ने हर पूंजीपति को नर-भक्षक बताया होगा। चीतों की भांति, आदमियों भी नर-भक्षक होते अवश्य हैं लेकिन उनकी संख्या दोनों में ही थोड़ी होती है। लेकिन, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजो में।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : सबसे पहले तो मैं श्री छागला और महान्यायवादी को इस बात का श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तव में सचाई का पता लगाने के दृष्टिकोण से ही यह जांच की है। इस प्रकार के मामले में यही दृष्टिकोण श्रेयस्कर था।

इस सभा के कई सदस्य केवल यही चाहते हैं कि प्रशासन की कमजोरियों का पता लगा कर उनको दूर किया जाये, लेकिन वे कभी भी यह सहन नहीं करेंगे कि लोकतन्त्र की इस पूरी इमारत पर ही कोई आंच आये। इस जांच के परिणामों के फलस्वरूप हमारा पूरा प्रशासन एक बार नीचे से ऊपर तक सिहर गया है। ऐसे समय में हमें संयम से काम लेना चाहिये। ऐसे समय में हमारा दायित्व यही है कि हम लोकतन्त्र में अपने विश्वास की जड़ों को न हिलने दें। यह तो सही है कि इस मामले से किसी को भी प्रसन्नता नहीं हो सकती, लेकिन हमें इससे आगे के लिये सबक़ हासिल करने चाहियें।

इस जांच से पता यह चला है कि हमारे उच्चाधिकारी अत्यन्त ही अक्षम हैं और वे बड़ी आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। निगम के विनियोजनों की देख भाल का भार श्री वैद्यनाथन् पर है। परन्तु जब आयोग ने उनसे पूछा था कि क्या वे विभिन्न बड़े-बड़े व्यापारियों की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाते रहते हैं, तो उन्होंने बड़ा विचित्र सा उत्तर दिया था कि विनियोजनों की देखभाल का कार्य उनके कुल कार्य का ४० प्रतिशत ही है। क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें विनियोजनों की पूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिये? यह कोई भी बहाना नहीं माना जा सकता। इसीलिये, मेरे दल ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। और यही वैद्यनाथन् साहब देश के १,५०० से अधिक संयुक्त-संध समवायों में विनियोजन करते रहे हैं। उन्होंने अभी तक ११ करोड़ रुपयों का विनियोजन किया है। मैं चाहता हूं कि इन सभी विनियोजनों की एक स्वतंत्र जांच कराई जाये। इन सभी विनियोजनों के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये, जिससे कि हम जान सकें कि उनमें कहीं कोई और भी गोलमाल तो नहीं है।

आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेने का भी एक अनोखा उदाहरण है। भारत का राज्य बैंक के सभापति श्री अय्यंगार को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि वह बैंक ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को इतने बड़े पैमाने पर अग्रिम धन क्यों देता रहता है। इसके लिये वह कानपुर भी गये थे। लेकिन वहां ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्ध-निदेशक, श्री क्रिस्टी के इस आश्वासन पर उन्होंने बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया कि वह अपने रहते श्री मूंदड़ा को कोई भी गड़बड़ नहीं करने देंगे। श्री अय्यंगार ने आयोग के सामने कहा है उन्हें श्री क्रिस्टी पर पूरा-पूरा विश्वास है। लेकिन इसी जांच के सिलसिले में एक गवाह श्री गोवर्धनदास भगवानदास ने बताया है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के १९५६ के निदेशकों के प्रतिवेदन में, निदेशकों ने बताया है कि श्री मूंदड़ा ने कुछ शेयरों में विनियोजित करने के लिये ६० या ६५ लाख रुपये लिये थे, और वे शेयर ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के पास नहीं थे। उसी प्रतिवेदन में यह भी दिया गया है कि श्री मूंदड़ा के कहने पर उनके एक सम्बन्धी को कारपोरेशन ने १२·५ लाख का ऋण दिया था। श्री क्रिस्टी श्री मूंदड़ा को रोक नहीं सके। लेकिन, श्री अय्यंगार ने उन पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लिया था? मैं किसी पर दोषरोपण नहीं करना चाहता, लेकिन देश के वित्त को इस तरह के लोगों के हाथ में सौंपने के विरुद्ध हूं।

देश के लिये बड़े सौभाग्य की बात तो यह है कि हमारे यहां महान्यायवादी जैसे नैतिक साहस के लोग मौजूद हैं। मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री उनके वक्तव्य को बड़े ध्यान से पढ़ें। उन्होंने न्यायालय में वक्तव्य देते हुए स्पष्ट तौर पर इसकी ओर इशारा किया है कि हमारे देश के

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ वरिष्ठ अधिकारी जान-बूझ कर सत्य पर पर्दा ही नहीं डालते बल्कि गलत सुझाव भी देते हैं।

मैं सरकार की इस बात से तो सहमत हूं कि असैनिक सेवाओं की सामान्य ढंग से निन्दा नहीं करनी चाहिये, लेकिन जब महान्यायवादी जैसा दायित्वपूर्ण व्यक्ति उनके बारे में यह कहता है तो उनके कार्यों की गहराई से जांच करना आवश्यक हो जाता है।

प्रश्न केवल सरकारी कर्मचारियों का ही नहीं है। श्री चतुर्वेदी विनियोजन सलाहकार समिति के सदस्य हैं। वे समवाय निधि सलाहकार आयोग के भी सदस्य हैं और कलकत्ता सट्टाबाज़ार के सभापति हैं। फिर भी, उन्होंने जीवन बीमा निगम के वित्त और संसाधनों की उचित देखभाल नहीं की है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री मूंदड़ा शेयरों के मामले में पिछले अठारह महीनों से जालसाज़ियां कर रहे थे, लेकिन फिर भी कलकत्ता सट्टाबाज़ार ने उसकी कोई भी जांच नहीं की।

हमें अपने देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों ही को सहयोग के आधार पर चलाना है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि सरकारी नीति और अपनी योजना की सीमा में रहते हुए, हम निजी क्षेत्र के प्रति भी उचित सद्भावना रखें। तभी निजी क्षेत्र से उच्चतम मानदण्ड बनाये रखने की अपेक्षा की जा सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि श्री चतुर्वेदी अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

जीवन बीमा निगम ने मूंदड़ा के साथ होने वाला केवल यही सौदा नहीं किया है। उसने सैंकड़ों अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में भी विनियोजन किया है, लेकिन उन सभी विनियोजनों का लगभग ११ प्रतिशत छः व्यावसायिक संस्थाओं में विनियोजित किया गया है। श्री मूंदड़ा से सम्बन्धित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन और रिचर्डसन और क्रूडाज़ में तो ३० प्रतिशत की निर्धारित सीमा से भी अधिक विनियोजन किया गया था। जीवन बीमा निगम श्री मूंदड़ा पर इतना क्यों रीझ गया था?

मैं यह नहीं मानता कि सट्टाबाज़ार में कोई संकट था। सबसे बड़ी चीज़ तो यह थी कि हमारी अपनी कोई स्पष्ट विनियोजन-नीति नहीं थी। वित्त मंत्री ने कभी भी विनियोजन-नीति का निरुपण नहीं किया।

अब प्रधान मंत्री को इस विनियोजन-नीति को स्पष्ट रूप में देश के सामने रखना चाहिये। जीवन बीमा निगम प्रति सप्ताह ५० लाख रुपये से भी अधिक विनियोजित करता है। उसने १,५०० विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के शेयरों में लगभग ६७ करोड़ रुपये विनियोजित किये हैं। इसीलिये, हम शेयरबाज़ार को ठप्प भी नहीं होने दे सकते। जब हम उसे चलाने की अनुमति दे चुके हैं, तो उसके ठीक ढंग से चलने की जिम्मेदारी भी हम पर आ जाती है।

जीवन बीमा निगम की निधियां देश की निधियां हैं। इसलिये उनका उपयोग अर्थ-व्यवस्था की सहायता के लिये ही किया जाना चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र को सुचारू रूप में अपना काम चलाने के लिये निधियों की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति जीवन बीमा निगम को करनी चाहिये। उसे दीर्घ-कालीन निगम निधियां जुटानी चाहिये।

[श्री अशोक मेहता]

तीसरी चीज़ यह है कि विनियोजनों द्वारा जीवन बीमा निगम शेयरधारियों के हितों की रक्षा कर सकता है। क्योंकि देश के विभिन्न सम्मिलित समवायों में उसके काफ़ी शेयर रहेंगे ।

विनियोजन-नीति के लिये चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि निगम को कुछ ही उद्योगपतियों के हाथ में शक्ति और नियंत्रण का केन्द्रीकरण नहीं होने देना चाहिये।

निगमों की स्वायत्तता के प्रश्न को भी हम मनमाने ढंग से तय नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री को इस विषय की छानबीन के लिये विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करना चाहिये। यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है ।

हमारे देश में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ३८ और राज्य सरकारों के अन्तर्गत ४४ निगम चल रहे हैं, जिनमें २८० करोड़ रुपयों की सरकारी निधियां विनियोजित की गई हैं। ये सभी निगम तभी ठीक ढंग से कार्य कर सकेंगे, जबकि हम स्पष्ट तौर पर उनका मार्ग सुनिश्चित कर देंगे।

मुझे आशा है कि इस जांच के फलस्वरूप, इससे सबक़ लेकर, हम अपने प्रशासन में अधिक स्पष्टता लायेंगे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अब हम इस वाद-विवाद के अन्त पर पहुंच गये हैं। मेरा विचार है कि अधिकांश सदस्य यह महसूस करते हैं कि इस वाद-विवाद का होना अच्छा ही रहा है। उससे हमें कुछ पीड़ा भी हुई है, यह दूसरी बात है। इस वाद-विवाद में इस प्रश्न के कई पहलुओं पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हो गई है। यह इस सभा तथा देश के भले के लिये ही है ।

इस विषय पर बड़े सुन्दर और ज़ोरदार भाषण हमने सुने। इस समय मैं इस प्रश्न के कुछ पहलुओं के बारे में ही कहूंगा, कोई ज़ोरदार भाषण देने का मेरा इरादा नहीं है।

मेरा विचार है कि इस मामले की चर्चा में कार्ल मार्क्स आदि को घसीटना उचित नहीं है। गृह-कार्य मंत्री की भी यही राय थी। विरोधी दल का ही, हां श्री डांगे के दल का नहीं, कोई सदस्य इस चर्चा में भृगु संहिता को भी घसीट सकता था और कह सकता था कि इसमें भृगु संहिता के अनुसार ही आचरण करना चाहिये। मैं कार्ल मार्क्स और भृगु संहिता को एक ही स्तर पर नहीं रख रहा हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के दृष्टिकोणों का यही अर्थ होता है कि हम इस प्रश्न पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहे बल्कि हमारे दिमाग में कुछ और बातें—अच्छी हों या नहीं—भरी हुई हैं और हम उचित दृष्टिकोण से विषय पर ध्यान नहीं देते।

श्री डांगे ने वित्त-पूंजी की शक्ति का उल्लेख किया। वित्त-पूंजी में शक्ति तो होती ही है। लेकिन, मैं साफ़ तौर पर यह नहीं समझ सका कि वह कहना क्या चाहते थे। हम इस विवाद के दौरान में इस प्रश्न पर तो विचार नहीं कर रहे थे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में कोई मूलभूत तथा उग्र परिवर्तन किया जाये या नहीं। क्या श्री डांगे यह कहना चाहते थे कि जब तक देश उनके विचारों के अनुसार नहीं चलेगा तब तक सब कुछ गलत ही होता रहेगा ?

जो भी हो, मैं इस पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें इस सभा को घोटालों का अड्डा नहीं बनाना चाहिये। हमें पूंजीपतियों तथा अन्य व्यक्तियों ही नहीं बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों इत्यादि पर निराधार आरोप नहीं लगाने

†मूल अंग्रेजी में ।

चाहियें और यह नहीं करना चाहिये कि वे बेनामी सौदे कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री डांगे ने यही कहा था। यदि वास्तव में श्री डांगे को ऐसी कुछ बातें मालूम हों, तो वह निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप में भी हमें बता दें, तो हम उनकी जांच करा सकते हैं। पर इस प्रकार अस्पष्ट तौर पर लांछन लगाने और दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा।

कई माननीय सदस्यों ने पूछा है कि जब मूंदड़ा एक बुरा आदमी है और सरकार को, निगम के सदस्यों को और अन्य व्यक्तियों को इसकी जानकारी भी थी, तब फिर यह सौदा क्यों किया गया ? मैं पूरी तौर पर तो इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा, लेकिन आंशिक तौर पर आपको बताता हूं। मैं इसका पूरी तौर पर उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा था जीवन बीमा निगम द्वारा मूंदड़ा से इस सौदे के लिए विशेष मामले में ऐसी अनेक बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आतीं। मैं नहीं समझ सका कि यह सब कैसे हुआ। इसीलिये मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है जिस के पहले भाग में यह स्पष्ट कहा गया है कि हम न्यायाधिपति छागला के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि यह सौदा सर्वथा अनुपयुक्त था।

अब मूंदड़ा और उसे जानने वाले कुछ मंत्रियों के बारे में प्रश्न पैदा होता है। मैं समझता हूं कि श्री मूंदड़ा का सम्बन्ध कई समवायों से रहा है तो क्या हमें उन सब समवायों से इस कारण कोई व्यापार विनिमय नहीं करना चाहिये कि उन में श्री मूंदड़ा के कुछ अंश हैं कम या अधिक। यह बात तो कठिन है। श्री अशोक मेहता ने अभी कहा है—मैं इन आंकड़ों के बारे में निश्चित नहीं हूं—कि जीवन बीमा निगम ने पंद्रह सौ समवायों में पूंजी लगा रखी है। हो सकता है और भारत जैसे देश के लिये यह संख्या बहुत बड़ी है। और यह भी बहुत संभव है कि इस सौदे के अतिरिक्त श्री मूंदड़ा का इन पंद्रह सौ समवायों में से बहुत से समवायों में भी भाग हो।

अतः मेरा अभिप्राय यह है कि यह जानते हुए भी कि श्री मूंदड़ा अच्छे आचरण के व्यक्ति नहीं हैं उन समवायों से सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा सकता जिन में उस ने अंश हैं किन्तु इतना अवश्य है कि जिस भी समवाय के साथ उसका सम्बन्ध हो उसके साथ सौदा करते हुए हमें अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा। मैं स्वीकार करता हूं कि इस मामले में यह सब सावधानी नहीं बरती गई। इसी कारण यह गड़बड़ पैदा हुई है। मान लीजिये कि इस विशेष मामले में दो-तीन बातें न होतीं। अन्य भी बातें हैं किन्तु मैं विशेष रूप से दो-तीन बातों का ही उल्लेख कर रहा हूं। एक बात तो कुछ अंशों के मूल्य के बारे में है, शायद आस्लर्स आदि के अंशों के बारे में है जो बड़ी आश्चर्यजनक बात है जिसका मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मान लीजिये कि जीवन बीमा निगम ने रिचर्डसन तथा क्रुडास और बी० आई० सी० के अंश उपयुक्त मूल्य पर ही लिये होते, तो भले ही कुछ लोग उन सौदों को पंसद करते या न करते किन्तु उन सौदों में कोई बुराई न होती। यह बुराई तो कुछ अन्य बातों से पैदा हो गई है, और इसलिये पैदा हो गई है क्योंकि श्री मूंदड़ा के साथ सौदा करते हुए उन्हें और अधिक सावधानी से काम करना चाहिये था।

जेसप्स, रिचर्डसन और क्रूडास और बी० आई सी जैसे समवायों को लीजिये। ये देश के सब से बड़े निर्माणकारी समवायों में से हैं। श्री डांगे ने सुझाव दिया है कि हमें जेसप्स को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यह बहुत अच्छा सुझाव है। इसे हम अभी हाथ में ले लें अथवा बाद में, यह एक अलग बात है। मैं यह वचन नहीं दे रहा हूं कि इसे ले ही लिया जायेगा किन्तु इस सुझाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब, कुछ लोग यह कहेंगे कि क्योंकि जेसप्स तथा रिचर्डसन और क्रूडास, भारत के बहुत महत्वपूर्ण और बड़े समवाय हैं और वे हमारी पंचवर्षीय योजना के लिये तथा लोहे और इस्पात के कारखानों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं अतः यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इनका धंधा समाप्त न हो जाये और यों कहिये कि उन पर अधिकाधिक नियंत्रण किया जाये और उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। ठीक है उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। किन्तु हमारी नीति के अनुसार यदि राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तो उसके लिये प्रतिकर देना होगा और इन समवायों का प्रतिकर बहुत अधिक होगा। इस काम को शनैः शनैः करने का एक और भी साधन है कि अधिकतर अंशों को ले लिया जाये। अतः जैसप्स जैसे समवायों के अंश खरीदना अच्छी ही है। आप बाज़ार-भाव और सट्टेबाज़ार की बात को छोड़ दें। यह एक ठोस चीज़ है जो देश के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यदि मूल्य ठीक दिये जायें और अन्य बातों की जांच की जाये तो इन समवायों के अंश खरीदना अच्छा ही है। इसलिये सभा को दो बातों को अलग रखना चाहिये। एक तो मूंदड़ा का बुरा आदमी होना और अविश्वासनीय होना दूसरे कुछ समवायों से उसका सम्बन्ध होना जिनमें उसने बहुत से अंश खरीद रखे हैं। हमें समवायों के बारे में सोचना चाहिये न कि श्री मूंदड़ा के बारे में किन्तु यह जरूरी है कि उन्हें खरीदते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिये।

पूंजी विनियोजन की नीति के बारे में या ऐसी नीति के अभाव के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूं किन्तु पूर्णतः नहीं। मैं यह कह सकता हूं कि इस नीति का अभाव नहीं है जैसा कि संकेत किया गया है। किन्तु मैं यह ज़रूर स्वीकार करता हूं कि वह नीति जितनी स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिये उतनी नहीं है। वस्तुतः इस समस्या पर अधिकाधिक विचार किया जा रहा था और शनैः शनैः नीति का निर्माण हो रहा था। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि धारा २७-क लागू करनी चाहिये थी और बहुत से काम करने चाहिये थे।

वस्तुतः श्री मसानी, जयपाल सिंह और एक अन्य सदस्य ने एक संशोधन रखा है जिसमें श्री छागला के प्रतिवेदन में दिये गये सिद्धांतों को अक्षरशः और पूर्णतः अपनाने और लागू करने का सुझाव दिया है। हमने बताया है कि हमारा उन पर भली प्रकार विचार करने का इरादा है। वे कहते हैं कि इतना समय क्यों बिताया जा रहा है, हमें आप पर भरोसा नहीं। श्री मसानी ने सरकार के प्रति, अविश्वास प्रकट किया है और कहा कि हमें इन सिद्धान्तों को फौरन ही अपना लेना चाहिये। यदि श्री मसानी अपना कारोबार इसी प्रकार चलाते तो अवश्य ही विपत्ति में पड़ जाते, हो सकता है कि राजनैतिक कार्यों में भी वह शायद इसी ढंग को अपनाते होंगे। इसीलिये वह प्रायः गलत रास्ते पर हो जाते हैं।

अब आप इन सात सिद्धांतों को देखिये। उन में से कुछ तो निश्चय ही ठीक हैं, किन्तु कुछ इतने ठीक नहीं। पहला सिद्धांत है :

> "कि सरकार को स्वायत्तशासी निगमों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और यदि वह हस्तक्षेप करना चाहती है तो उसे लिखित आदेश देने से नहीं हिचकिचाना चाहिये।"

यह पूर्णतः ठीक है। किन्तु श्री अशोक मेहता या किसी अन्य सदस्य ने जैसा कहा है, इन स्वायत्तशासी निगमों में सरकार का क्या भाग है? डा० कृष्णस्वामी ने इस सम्बन्ध में कल विस्तार-पूर्वक बताया था कि यद्यपि यह सब जानते हैं कि ठोस अंशों ही में पूंजी विनियोजन होना चाहिये किन्तु इस सम्बन्ध में इन सिद्धांतों को बिल्कुल दृष्टिगत नहीं रखा गया है। डा० कृष्णस्वामी ने यह भी बताया था—और मैं समझता हूं कि अन्य सदस्यों को भी यह पूर्णतः विदित है—कि जीवन बीमा निगम का पूंजी विनियोजन इतना अधिक है कि यह बाज़ार का नेतृत्व कर सकता है मैं बाज़ार के नेतृत्व के अभिप्राय को पूर्णतः नहीं समझता—और जैसा चाहे बाज़ार पर प्रभाव डाल सकता है।

आप इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपये तक की बड़ी राशि जीवन बीमा निगम विनियोजित करता है। संभवतः यह राशि प्रति सप्ताह ५० लाख रुपये के लगभग बनती है। आपको उसके लिये कोई नीति अपनानी चाहिये, केवल अच्छे अंशों की नीति पर्याप्त नहीं। आप जो कुछ करें उसका बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है। आप चाहें तो कुछ प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकते हैं अथवा कुछ को गिरा सकते हैं।

अतः विशेष नीति की आवश्यकता है और उस नीति को कोई पूंजी विनियोजन समिति निर्धारित नहीं कर सकती। केवल सरकार और संसद् ही उस को निर्धारित कर सकती है। विनियोजन समिति उसे कार्यान्वित करेगी।

कल मैंने कहा था कि उस समय के वित्त मंत्री, श्री देशमुख ने उस वक्त बताया था कि विनियोजन के सम्बन्ध में नीति का निर्माण सरकार ही करेगी। विनियोजन करने का मसला उस समय उठा था और यही फ़ैसला किया गया था। अब श्री मसानी कहते हैं कि सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। पूरी आज़ादी हो, जिससे कुछ एक बड़े-बड़े व्यापारियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अधिकाधिक धन मिलता रहे।

†**श्री मसानी** (रांची—पूर्व) **:** मैंने तो वस्तुतः इस के सर्वथा प्रतिकूल बात कही थी। मैंने कहा था कि श्री देशमुख ने आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में नीति बनाई जायेगी किन्तु अभी तक वह नहीं बनाई गई।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रतिवेदन के प्रथम सिद्धांत को पढ़ कर सुना चुका हूं जो पूरी तरह से स्वीकार्य भी है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

दूसरे सिद्धांत को लीजिये :—

"कि जीवन बीमा निगम जैसे निगमों के प्रधान पद पर, जिन्हें बड़ी-बड़ी राशियों का विनियोजन करना होता है, व्यापार सम्बन्धी तथा वित्तीय अनुभव रखने वाले और सट्टेबाज़ार के तरीक़ों से परिचित लोगों को ही नियुक्त करना चाहिये।"

मुझे खेद है कि मैं तुरन्त यह नहीं कह सकता कि मैं इस से सहमत नहीं हूं। वस्तुतः यह संभव नहीं कि प्रधान हमेशा सट्टेबाज़ार का ही व्यक्ति हो। इन सब बातों को मैं एक साथ कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं इसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर रहा। मेरा कहना केवल यह है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि ऐसे निगम का प्रधान योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी ही होना चाहिये। किन्तु यह पद केवल सट्टाबाज़ार के लोगों को ही दिया जाये, यह बात उचित दिखाई नहीं देती।

अब तीसरे सिद्धांत को लीजिये :—

"यदि निगम के कार्य मंत्रालय पदाधिकारी असैनिक सेवाओं में से नियुक्त किये जाने हों तो उन्हें यह बता देना चाहिये कि उनको निगम के प्रति कर्त्तव्यशील और निष्ठापन रहना चाहिये और उन्हें सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों से प्रभावित नहीं होना चाहिये और उनके दबाव में आकर निर्णय नहीं करना चाहिये। यदि वे यह अनुभव करते रहें कि उन्हें उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करना ही है तो उन्हें लिखित आदेश के लिये अनुरोध करना चाहिये।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं । इसका अभिप्राय केवल यह है कि इन लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि वे अनुचित व्यवहार न करें । मैं इसे स्वीकार करता हूं किन्तु यह कहना कि पदाधिकारी सत्य निष्ठा से काम करें और उच्च पदाधिकारियों से प्रभावित न हों, सर्वथा भिन्न बात है ।

एक और बात है । मैं इससे सहमत हूं कि सरकार जो आदेश दे वह लिखित रूप में दे । परन्तु मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि निगमों आदि के सम्बन्ध में नित्य प्रति के कार्यों में मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी एक दूसरे के प्रति झगड़े की भावना से या एक दूसरे पर हुकूमत चलाने के ख्याल से काम नहीं करते । वे परस्पर विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं जिनमें कुछ स्वीकार्य होते हैं और कुछ अस्वीकार्य भी । कोई किसी को आदेश नहीं देता । मान लीजिये कि कोई सचिव या मंत्री निगम के प्रधान के साथ विचार विमर्श कर रहा है । वह पूछता है "आप का इस बारे में क्या विचार है ? मैं तो इसको अच्छा समझता हूं" । यदि दूसरे व्यक्ति में साहस है और उस बात को गल्त समझता है तो उसे कह देना चाहिये कि "नहीं, मैं तो इसे ठीक नहीं समझता" और इस सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत करने चाहिये । तो उस समय या तो कोई निर्णय हो जाता है या फिर यदि मंत्री अपनी राय मनवाना ही चाहता है और वह नीति से सम्बन्धित विषय है तो उसे लिखित आदेश देना चाहिये । किन्तु यदि निगम का प्रधान या प्रबन्ध निदेशक ऐसे मौखिक आदेश का पालन करता है जिससे वह स्वयं सहमत नहीं तो उसे उस कार्य के लिये पूर्णतः उत्तरदायी ठहराना चाहिये ।

मेरा ख्याल है कि श्री फीरोज़ गांधी ने श्री चर्चिल द्वारा लिखी गई चीज़ों में से कुछ पढ़ कर सुनाया था । आजकल के पेचीदा जमाने में जिसके इतने अधिक काम करने होते हैं, सिर्फ़ लिखापढ़ी से ही काम चलाने की प्रथा के लिये आग्रह नहीं किया जा सकता । वास्तव में सचिवालय में नोट लिखने का जो ज़ोर है उससे हमको और इस सभा को बहुत शिकायत है । मैं तो उनसे कहता हूं कि नोट लिखने का काम कम करो, फ़ाइलों को भेजते रहने की बजाय परस्पर मिल कर चर्चा करो और निर्णय करो ।

ऐसा करने में गलत धारणा बन जाने का खतरा अवश्य है किन्तु यह जोखिम उठाना ही चाहिये । एक उदाहरण ही लीजिये । क्या युद्धकाल में आप एक कर्नल या जनरल से यह उम्मीद करेंगे कि वह अपने अधिकारियों को लम्बे-लम्बे खत लिख कर भेजे ? इसमें जोखिम उठानी ही पड़ता है । इस जोखिम से हार हो सकती है ऐसे अधिक लिखापढ़ी से तो हार बिल्कुल निश्चित समझिये ।

तो इन विषयों में कोई कठोर नियम नहीं बनाये जा सकते । बस एक मोटा सा सिद्धान्त होना चाहिये । हमारी शासन व्यवस्था में मंत्री प्रत्येक नीति सम्बन्धी मामले के लिये उत्तरदायी हैं । किसी विशेष मामले को छोड़कर, यदि उसे किसी बात का पता भी न हो वही उत्तरदायी होता है । और जब वह सिद्धान्त जानता हो तब तो वह उत्तरदायी है ही । अन्तर उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में नहीं पड़ता वह तो इस बात में पड़ता है कि किसी ने बुरे भाव से कुछ किया है अथवा अच्छे भाव से । वह बात सर्वथा भिन्न है और उसका निश्चय तथ्यों के आधार पर ही हो सकता है ।

चौथा सिद्धांत है :—

> "जीवन बीमा निगम की निधि को केवल अंशधारियों के लाभ के लिये ही काम में लाना चाहिये न कि अन्य मामलों के लिये । यदि उसे अन्य कार्यों के लिये काम में लाना हो तो वह कार्य देश के व्यापक हित में होना चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह लोगों के सम्बन्ध में आश्वासन दे ।"

मैं प्रसन्नता से यह आश्वासन अभी दे सकता हूं। हम इसे लिखित रूप में भी दे सकते हैं। यह निश्चित है कि निधि सदा अंशधारियों के हित के लिये प्रयोग की जाती है।

यह भी कहा गया है कि यदि उसका अन्यथा प्रयोग किया जाये तो उसमें राष्ट्र का हित होना चाहिये। किन्तु इस 'यदि' की आवश्यकता ही नहीं। निधि तो सदा अंशधारियों के हित में ही प्रयोग की जायेगी। इतनी बड़ी राशि से आप कुछ भी करें उसका राष्ट्र के हितों पर आपकी योजना पर देश की अर्थ-व्यवस्था आदि सभी बातों पर प्रभाव पड़ेगा। जब कोई गैर-सरकारी समवाय इतना बड़ा समवाय बन जाता है तो उस पर ये सब उत्तरदायित्व स्वतः ही आ पड़ते हैं। गैर-सरकारी समवाय भी, जिनके विनियोजन के मामले में हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं, और जिन्हें ५० प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटियों आदि में, और २५ प्रतिशत सरकार द्वारा अनुमोदित समवायों में विनियोजन करना होता है शायद १५ प्रतिशत सट्टों आदि में विनियोजन कर सकते हैं। वे १५ प्रतिशत पूंजी का जो चाहे कर सकते हैं।

तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं किन्तु मैं इस बात पर हमेशा ज़ोर दूंगा कि आप इस विशाल-कार्य संगठन के साथ उसी प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस निगम को तीन या चार भागों में विभाजित कर देना चाहिये। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

पांचवी बात यह है कि "संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रियों को जल्दी से जल्दी संसद् को सूचना देना चाहिये"। यह बिल्कुल ठीक है।

छटा सिद्धांत है कि "मंत्री को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कामों के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होना चाहिये। उसे यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिये कि उसके अधीन पदाधिकारियों ने उसकी नीति के अनुसार काम नहीं किया अथवा उसकी इच्छा या आदेश के प्रतिकूल काम किया है"। यह भी बहुत हद तक ठीक है। किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह बात १०० प्रतिशत सत्य है। इस मामले में मंत्री ने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है और फलस्वरूप वह मंत्री नहीं रहे हैं। इस सुझाव पर हम बाद में विचार कर सकते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : प्रस्तुत किये गये संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा के नेता यह बतायें कि मंत्री के उत्तरदायित्व के अलावा, चूंकि अब वह तो रहे नहीं, इस मामले में मंत्रिमंडल कहां तक उत्तरदायी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निश्चय ही मेरे माननीय मित्र की बात का उत्तर सरल है। यह बात प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यदि परिस्थितियां वैसी हों तो सारा मंत्रिमंडल भी पदत्याग कर सकता है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस नये निगम ने पहले पहल एक संकल्प पारित किया था—मैं उस सारे को पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा—जिस के अन्तर्गत धारा २७क को लागू करने का उपबन्ध था। मैं पहली लाइन पढ़ कर सुनाता हूं :—

> "निगम अपनी निधियों में से २५ प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में लगायेगा और इसके अतिरिक्त भी २५ प्रतिशत धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगायेगा और शेष राशि धारा २७क की उपधारा (२) के अन्तर्गत उल्लिखित विनियोजनों में से किसी में अथवा निर्धारित सीमाओं के अधीन लगायेगा............"

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसके बाद उस प्रकार की प्रतिनिधियों की लम्बी सूची दी गई है । वस्तुतः सरकार ने धारा २७क को लागू नहीं किया था किन्तु निगम ने स्वयं उसे कुछ रूपभेद सहित लागू करने का उपबंध किया था ।

आप पूछेंगे और आपका यह प्रश्न ठीक ही होगा कि इस सौदे में ऐसा सब कैसे हुआ । यही हमारी परेशानी थी । उनके अपने नियम इस मामले पर लागू नहीं किये गये लेकिन ये नियम उन्होंने बनाये थे । सारी चीज़ लागू नहीं हो सकती उदाहरण के लिये, धारा २७क में यह उपबन्ध है कि वे किसी समवाय के अंश १५ प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकते । मैं निजी तौर पर समझता हूं कि इस नियम की आवश्यकता नहीं किन्तु इसका अभिप्राय यह था कि निगम किसी समवाय पर नियंत्रण करने का प्रयत्न न करे ।

परन्तु क्योंकि कई समवायों को मिला दिया गया था और उन बीमा समवायों के अन्य समवायों में अंश थे, अतः १५ प्रतिशत की सीमा अपने-आप खत्म हो गई और जीवन बीमा निगम के अन्य समवायों में अंश २५ या ३० प्रतिशत तक हो गये । अतः आरम्भ में धारा २७क को लागू नहीं किया जा सका । इसके अलावा, मैं यह नहीं समझ सका कि आखिर जीवन बीमा निगम के लिये यह सीमा क्यों हो कि अगर समवाय अच्छा हो तो भी वह १५ प्रतिशत से अधिक अंश उसके न ले । उदाहरण के लिये, यदि हम जेसप्स के अंश उस पर नियन्त्रण करने के लिये खरीदना चाहें तो हम और अधिक अंश क्यों नहीं खरीद सकते ? सारी नीति लागू नहीं होती और इसलिये यह कहना कि धारा २७क को लागू करना चाहिये, युक्तिसंगत नहीं है । धारा २७क संशोधित रूप में लागू की जा सकती है । यह स्पष्ट उपबन्ध करना चाहिये कि यह नीति कैसे लागू की जाय ।

स्वभावतः हमारा यह सुझाव है और सदस्यों ने भी सुझाव दिया है और उन की इच्छा को इस मामले में कार्यान्वित करना चाहते हैं, कि पूंजी विनियोजन के लिए नीति का निर्माण किया जाय । यह नीति कठोर नहीं हो सकती उसे उदार रखना आवश्यक है । हम नीति बना कर सभा के सामने रखना चाहते हैं और यदि सभा चाहे तो उस पर चर्चा भी कर सकती है । यह आवश्यक नहीं कि सभा केवल सुरक्षा सम्बन्धी भाग पर चर्चा करे । वह तो प्रायः निश्चित ही है किन्तु इस के नीति सम्बन्धी भाग पर भी चर्चा हो सकती है ।

एक बात को जो यद्यपि मेरे तर्क से संगत नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मेरे तथा मेरे साथी गृह-मंत्री द्वारा बोलने से कुछ ही देर पहले श्री थानू पिल्ले ने भाषण दिया था । मुझे यह जान कर अत्यन्त दुख और खेद हुआ कि उन्होंने अत्यधिक अनुचित रूप से मेरे नाम का इस सिलसिले में उल्लेख किया है । मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपने वक्तव्य को ठीक कैसे किया है किन्तु मैं यह जरूर कहुंगा कि मूल प्रारूप कतई ठीक नहीं था ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं पहले ही श्री छागला की सेवाओं का अनुमोदन कर चुका हूं और श्री छागला के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करना बहुत अनुचित होगा । मुझे इससे बड़ा खेद होगा । सभा ने महान्यायवादी की जो आलोचना की है मुझे उस का भी खेद है । अनेक कारणों से हमें उन लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिये जो यहां अनुपस्थित हों, खास तौर से उन लोगों की जो दक्षतापूर्वक अपने कर्तव्य पालन का प्रयत्न करते हैं ।

एक विषय में आचार्य कृपालानी ने मेरे साथ अन्याय ही किया है । इस समय वह यहां नहीं हैं । उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर पहले मेरे मुख्य प्राइवेट सेक्रेटरी थे अतः मैं उनका पक्ष कर रहा हूं । इस समय सरकार में कई लोग हैं जिन का मुझ से सम्बन्ध रहा है, बहुत से वरिष्ठ पदाधिकारियों

का मुझ से सम्बन्ध रहा है। मुझे अब सरकार में १०½ वर्ष काम करते हुए हो गये हैं, अतः अपने साथ काम करने वालों के बारे में मेरी अपनी राय होती है। किन्तु यह कहना कि अमुक व्यक्ति ७ वर्ष पूर्व मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी था, इसलिए मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। मेरे प्रति अन्याय है।

मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम इसलिये भी लिया था क्योंकि हम श्री छागला के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रतिवेदन में केवल एक स्थान पर उनका उल्लेख किया गया है और कहीं नहीं किया गया है; उस स्थान पर भी उनके कहीं उपस्थित होने के बारे में कुछ निर्देश किया गया है। इस मामले में उन का हाथ होने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। जब श्री अय्यंगार ने यह सोच कर कि जांच में उनके आचरण की बात होगी वकील करने का विचार किया था तो श्री छागला ने उनको बताया कि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और वह इस मामले पर विचार नहीं करेंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनका नाम बिना कारण ही इससे जोड़ दिया गया। मैं इसे समझा नहीं कि क्यों ऐसा किया गया। मैंने बताया है कि जो पदाधिकारी इससे सम्मन्धित हैं वह मेरे द्वारा प्रस्तुत संकल्प के दूसरे भाग में आ गए हैं। उनके चरित्र की जांच उचित रूप में की जायेगी। इस सभा में संसद् में उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह यहां पर कही गई बातों का उत्तर नहीं दे सकते हैं।

मेरे मित्र श्री मसानी ने हमारे बहुत से निगमों के बारे में बताया कि उनकी स्वायत्तता केवल दिखावा ही है। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक ठीक है। अंशतः यह सच हो सकती है क्योंकि उनको पूरी स्वतन्त्रता नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि उनको यथासंभव स्वतन्त्रता हो। ये सभा को पता ही है कि हम प्रतिदिन नये-नये निगम बनाते जा रहे हैं और यह ठीक ही है कि सरकार में या व्यापारी समाज में, अथवा हमारी सेवाओं में ऐसे अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं जो इस प्रकार का काम कर सकें। योग्य व्यक्ति हर स्थान पर योग्यता से काम कर सकते हैं, यदि उनको उस प्रकार का प्रशिक्षण दिला दिया जाये। हम सभी प्रकार के बड़े-बड़े औद्योगिक संगठन बनाते जा रहे हैं। हम कभी-कभी यह सोचते हैं कि प्रारम्भिक अवधि में हमें निगम की सहायता करनी चाहिये और इसीलिये हमारे जिन कामों को हस्तक्षेप कहा जा सकता है उनको एक प्रारम्भिक संगठन के सहायता देने के रूप में भी समझना चाहिये।

जीवन बीमा निगम को लीजिये। इसकी स्थापना को लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। यह थोड़ा ही समय है। बड़ी-बड़ी उलझनें और समस्यायें सामने आईं। क्या हमें उन्हें यों ही छोड़ देना चाहिये था। हमारा विचार था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि यह नीति गलत है कि एक ही व्यक्ति सचिव भी हो तथा निगम का सभापति भी। मैं समझता हूं कि इससे मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सहमत हैं। हमने प्रयत्न किया है कि ऐसा न हो परन्तु फिर भी परिस्थितियों के कारण हमें मजबूर होना पड़ा और ३ अथवा ४ अथवा ६ महीनों के लिये ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। मैं स्वीकार करता हूं कि सिद्धांततः यह ठीक नहीं था परन्तु हमारे सामने एक योग्य व्यक्ति के मिलने की कठिनाई थी जो कि काम संभाल सके और हमें वहां एक होशियार आदमी रखना पड़ा। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि भविष्य में हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि श्री जयपाल सिंह तथा श्री मसानी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि इसमें निहित सिद्धांतों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। मुझे इसका आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसको नहीं माना जो कुछ मैंने यहां बताया है। हम इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। हम इनकी जांच करेंगे। हम विचार करके सिद्धांतों को सभा के सामने रखेंगे। हम इस बारे में ऐसी कोई बात करना नहीं चाहते जिसकी जानकारी सभा को न हो जाये।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रो० रंगा ने औद्योगिक तथा आर्थिक सेवा की ओर निर्देश किया। मैं कल इसके बारे में बता चुका हूं। योजना आयोग ने प्रबन्धकों की एक पदाली के प्रशिक्षण के बारे में सोच विचार किया है। परन्तु इसके अतिरिक्त हमने यह भी निर्णय किया है कि दो अलग सेवायें बनाई जायें। एक अर्थशास्त्रियों की है तथा दूसरी सांख्यकों की। इस मामले में कई माह का विलम्ब हो गया क्योंकि हमारे सामने यह सवाल था कि हमें सांख्यकी तथा अर्थशास्त्र सेवा की एक संयुक्त सेवा बनानी चाहिये अथवा दो अलग-अलग सेवायें रखनी चाहिये। अन्त में, हमने यही निर्णय किया कि दो अलग-अलग सेवायें होनी चाहिये। अन्यथा सांख्यकी की उपेक्षा हो जायेगी अब अन्तिम निर्णय कर लिया गया है।

इस सभा की हमारे ऊपर लगभग सदा ही अनुकम्पा रही है। हम सब इसके लिए उसके बड़े कृतज्ञ हैं। परन्तु मेरा विश्वास है कि सभा यह भी जानती है कि मंत्रियों पर कार्यभार कितना अधिक है। मैं एक छोटा सा मामला आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। जब यह जांच हो रही थी तो मैंने समाचार-पत्रों में एक समाचार पढ़ा। उसमें मेरे बारे में कुछ उल्लेख था और एक नोट का जिक्र था जो मैंने लिखा और जिसको पेश किया गया था। मुझे उसकी कोई याद ही नहीं थी कि मैंने श्री मूंदड़ा के बारे में कभी कुछ लिखा था। मूंदड़ा का नाम कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया था, कुछ उड़ता-उड़ता मैंने उसके बारे में सुना जरूर था। मैंने सोचा कि यह क्या मामला है। मैंने पदाधिकारियों की फाइलों की छानबीन करवाई और तब मुझे याद आया कि मैंने ही लिखा था। परन्तु यदि अचानक मुझसे पूछा जाता कि मैंने श्री मूंदड़ा के बारे में कुछ लिखा है तो मैंने नकारात्मक उत्तर ही दिया होता क्योंकि मैं उसके बारे में एकदम भूल चुका था। बहुत से कागजों के साथ वह आया था और जैसे मैं उनको पढ़ता हूं मैंने उसको भी पढ़ा और भूल गया।

संभवतया लोग यह नहीं सोचते कि किस तरह कोई बात होती है। यदि मुझ से पूछा जाता और मैं कह देता कि मुझे याद नहीं है तो मैं झूठा ठहराया जाता। मैं समझता हूं कि लोग बातों को भूल ही नहीं जाते हैं अपितु कभी-कभी प्रयत्न करते हैं कि वह उनको भूल जायें जिससे छोटी-छोटी बातें उनके मस्तिष्क में न घूमती रहें।

प्रो० मुकर्जी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा सान-फ्रांसिसको में दिये गये भाषण की शिकायत की। वह भाषण मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था। मुझे केवल इतना ही याद है कि मुझे वह बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने यह शिकायत की थी कि गवर्नर ने बहुत से अमेरिकी पूंजीवादियों के समक्ष बोलते हुए भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के महत्व की बात कही थी। मैं समझता हूं कि परिमाण के आधार पर उसका अब भी बहुत बड़ा भाग है क्योंकि सारी भूमि, कुटीर उद्योग आदि सब उसी में हैं। इस मामले पर मेरे साथी गृह-कार्य मंत्री विस्तारपूर्वक बता चुके हैं। हमें अपनी स्थिति की जानकारी होनी चाहिये हमने अपने विकास के लिये और पंचवर्षीय योजनाओं के लिये एक निश्चित नीति निर्धारित की है। उसी नीति के आधार पर सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र हमने बनाये हैं और धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं।

हो सकता है कि हमसे कहीं-कहीं गलतियां हों। सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को एक साथ बनाये रखने से हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि हम सर्वदा गैर-सरकारी क्षेत्र को तंग करते रहें। इससे तो अच्छा यह हो कि उसे एकदम समाप्त कर दें। परन्तु यदि उसका अस्तित्व रखना है तो हमें निर्धारित नियन्त्रणों में उसकी सहायता करनी है तथा उसको प्रोत्साहन देना है। इसलिये रिजर्व बैंक के गवर्नर अथवा कोई और यदि यह कहें कि हम योजनानुसार नियन्त्रण रखकर गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। हम चाहते हैं कि अन्य देशों से अमरीका, इंग्लैंड, रूस आदि से हमारा व्यापार तथा वाणिज्य बढ़े। हम रूस से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं परन्तु

वह भिन्न प्रकार का हो सकता है। चूंकि परिस्थिति भिन्न है इसलिये हो सकता है कि यह व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर हो। हम ऐसा प्रत्येक देश के साथ कर रहे हैं।

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उस में सभा में कही गई सभी बातें आ जाती हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं उसको स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**आचार्य कृपालानी** : श्रीमान्, प्रधान मंत्री ने जब मेरे द्वारा कही गई बातों का निदश किया, उस समय मैं यहां उपस्थित नहीं था। मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन देना चाहता हूं कि अन्तर्बाधा होने पर ही ऐसा कुछ कह दिया गया था। मुझे उसका खेद है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। घटनावश कुछ बातें हो ही जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब स्थानापन्न प्रस्तावों और संशोधनों पर मतदान होगा। स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १६ के संशोधनों को सब से पहले रखा जायेगा और फिर प्रस्ताव को।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रधान मंत्री द्वारा बताये गये तथ्यों के कारण मैं अपने संशोधन संख्या २० को सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ६०, विपक्ष में २०३

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अन्य सभी संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गये

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १६ मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"यह सभा भारत के जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार की ओर से दिये गये वक्तव्य का अनुमोदन करती है कि :

(१) सरकार आयोग की इस उपपत्ति को स्वीकार करती है कि ६ समवायों के अंशों के खरीदने का जो सौदा किया गया था, वह व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं था और अन्य कई आधारों पर अनुपयुक्त भी था;

(२) आयोग की उपपत्तियों के आधार पर इस सौदे के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के बारे में सरकार का उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है; और

(३) सरकार तथा निगम द्वारा अपनाये जाने के लिये आयोग ने जिन सिद्धांतों की सिफारिश की है सरकार उनका परीक्षण सावधानीपूर्वक कराना चाहती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य सभी स्थानापन्न प्रस्ताव अवरुद्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—१९५७-५८

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी। निर्धारित ४ घंटों में से ३० मिनट लिये जा चुके हैं और ३ घंटे ३० मिनट शेष हैं। १८ फरवरी, १९५८ को प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं। आज मुझे और भी कुछ कटौती प्रस्ताव मिले हैं; इन्हें भी प्रस्तुत समझा जायेगा।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :–

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१३	श्री आसर	खादी उद्योगों के विकास तथा अम्बर चर्खा कार्यक्रम के विस्तार पर अधिक व्यय।	मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये।
५	१९	श्री आसर	पीकिंग प्रदर्शनी तथा उसमें प्रदर्शित वस्तुओं की खरीददारी पर अनुमान से अधिक व्यय।	१०० रुपये
२४	२२	श्री आसर	विदेशों से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अधिक व्यय।	१०० रुपये
४६	२६	श्री आसर	पी० एल० ४८० के अधीन खाद्यान्नों का आयात।	१०० रुपये
८३	३६	श्री आसर	फार्मों की व्यवस्था करने में असफलता।	१०० रुपये
११७	४०	श्री आसर	रक्षित भांडार बनाये रखने के लिये पर्याप्त खाद्यान्नों का न खरीदा जाना।	१०० रुपये
११७	४३	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में असंतोषजनक समादार नीति	१०० रुपये
१२५	४५	श्री आसर	विस्थापित व्यक्तियों की समस्यायें हल करने में असफलता।	१०० रुपये
१२५	४६	श्री प्र० के० देव	दण्डाकारण्य योजना का कार्यसंचालन और उस क्षेत्र में विस्थापित पर्वतीय आदिम जातियों के पुनर्वास की आवश्यकता।	१०० रुपये
१२६	४७	श्री आसर	रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की लागत में वृद्धि।	१०० रुपये
१२६	४८	श्री प्र० के० देव	रूरकेला के इस्पात कारखाने के निर्माण में धीमी गति।	१०० रुपये
१२६	४९	श्री प्र० के० देव	रूरकेला इस्पात कारखाने तथा नये उपनगरों के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास।	१०० रुपये
१२७	५२	श्री आसर	बम्बई राज्य में तार तथा टेलीफोन के कार्य को बनाये रखने में असफलता।	१०० रुपये
१३०	५३	श्री आसर	राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण में धीमी गति	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यह बड़ी ही अजीब बात है कि जबकि हम चारों ओर मितव्ययता करने पर लगे हुए हैं उस समय विदेशों से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर २३ लाख रुपया व्यय किया जाये। एक बात यह भी है कि जिन संसद् सदस्यों से उन धनराशियों को स्वीकार करने की आशा की जाती है उन्हीं के साथ विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वागत के समय उचित व्यवहार नहीं किया जाता है और न ही उनके लिये ठीक-सा इन्तजाम होता है जैसा कि शाह अफगानिस्तान के स्वागत के समय हुआ। मैं आशा करता हूं इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दूसरी बात मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो उपकरण और यंत्रसामग्री खरीदने के लिये ६·७७ करोड़ तथा १·२३ करोड़ रुपये मांगे हैं, क्या कृपा करके वह उन यंत्रसामग्रियों के नाम बतायेंगे।

अब आप खाद्य मंत्रालय के अधीन ३ करोड़ रुपये की मांग लीजिये। इसमें बताया गया है कि खाद्यान्नों की खरीददारी के कारण हुई हानि के कारण इसकी मांग की गई है। मैं इसको समझा नहीं इसीलिये जानना चाहता हूं कि उनका विचार क्या है। कृपया वह इस स्थिति को स्पष्ट करें।

भारतीय खनिज विभाग को ले लीजिये। इसके लिये २८ लाख रुपये की मांग की गई है। मेरा विचार है कि इस महत्वपूर्ण काम के लिये यह धनराशि बहुत कम है क्योंकि तेल के कुएं खोदने आदि के लिये, उनके कथनानुसार जब १ करोड़ रुपया एक कुंए के लिये चाहिये तो द्वितीय योजना काल में केवल दो करोड़ रुपयों से क्या होगा।

भारतीय डाक तथा तार विभाग के लिये १ करोड़ २० लाख रुपये की मांग की गई है परन्तु इतने समय के पश्चात् १५ नये पैसे तथा ८ नये पैसे के टिकट अथवा लिफाफे आज भी नहीं मिल रहे हैं। पूछने पर कि यह प्राप्य क्यों नहीं हैं कहा जाता है कि मितव्ययता की गई है। मैं समझता हूं कि यह और कुछ नहीं दुर्व्यवस्था और कुप्रशासन है।

अब मैं खाद्यान्नों के समादार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिये १६ लाख रुपये रखे गये थे जिसमें से खाद्यान्न आदिम जाति क्षेत्र में बेचने के फलस्वरूप हमको १४ लाख रुपये मिल गये अर्थात् एक तिमाही में २ लाख रुपये और दूसरे वर्ष में ६ लाख रुपये की सहायता सरकार ने दी जबकि नागा पर्वतीय क्षेत्र में पुलिस के खर्च के लिए ५६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

कुछ दिन पहले तक मैं समझता था कि हमारे पास १० लाख टन खाद्यान्न रिजर्व में है परन्तु अब मुझे पता लगा कि लगभग ८५०,००० टन ही है। इसलिये मेरे विचार से सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

इस्पात के तीन कारखानों का जहां तक सम्बन्ध है, हमें बताया गया है कि तीनों कारखानों की लागत में जितनी विदेशी मुद्रा लगेगी उसके आंकड़ इस प्रकार हैं। रूरकेला १२२ करोड़ रुपये, भिलाई ७९ करोड़ रुपये और दुर्गापुर ९० करोड़ रुपये। इसका यह अर्थ हुआ कि मूल प्राक्कलनों में से पुनरीक्षित प्राक्कलन बहुत अधिक बढ़ गये हैं। और इतने बढ़ गये हैं कि मूल प्राक्कलनों का अब कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं तो यह देखता हूं कि सरकार छोटी-छोटी चीजों में तो मितव्ययिता कर रही है जबकि करोड़ों रुपयों का अपव्यय हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इनका अन्तिम पुनरीक्षण कब किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नौशीर भरूचा]
मैं आशा करता हूं कि लगभग २१ करोड़ रुपये की जो मांगें रखी गई हैं इनके सम्बन्ध में मैंने जो बातें उठाईं उनके लिये पूरी जानकारी दी जायेगी ।

श्री धनगर (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर २, जिसके अन्तर्गत खादी और हथकरघे के विकास के सम्बन्ध में १,१६,०६,००० रुपये की रकम रखी गई है, के विषय में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह प्रकरण हमारे देश के लिये बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये, उतना नहीं दिया जाता है । मैं तो यह समझता हूं कि जो रकम इसके लिये रखी गई है, वह बहुत ही थोड़ी है और इसके सम्बन्ध में हमारे बजट का बहुत-सा रुपया स्वीकार होना चाहिये था । लेकिन जो कुछ थोड़ा-सा रुपया इसमें प्रोपोज्ड है, वह भी, मैं भी समझता हूं, अच्छी तरह से प्रयोग में नहीं लाया जाता है ।

जहां तक इसके आरगनाइजेशन का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश के करीब-करीब हरेक जिले में डायरेक्टर आफ डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज रखे गये हैं । उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ये लोग स्वयं टैकनीशियन नहीं होते हैं । उत्तर प्रदेश में जितने भी व्यक्ति डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एपवायंट हुए हैं, वे सब के सब **लेमैन** हैं, और उनमें से कोई भी टैकनीशियन नहीं है और इसलिये बजाय काटेज इंडस्ट्रीज के काज़ को स्पोर्ट करने के वे उन को **डिसकरेज** करते हैं । इटावा जिले में मिस्टर सेठ डायरेक्टर आफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज हैं और जिला मैनपुरी में इसी ओहदे पर एक सज्जन, श्री गुप्ता, काम करते हैं । इस सम्बन्ध में एक बड़ी जबर्दस्त चीज यह है कि उन्नाव, कानपुर और दूसरी जगहों पर भी मैं ने ज्यादातर, गुप्ता, सेठ, कपूर और महरोत्रा लोग ही इन पदों पर देखे हैं । एक विशेष बात की वजह से मुझे इस बारे में ज्यादा खोजबीन करनी पड़ी, तो मालूम पड़ा कि करीब-करीब एक ही जात से सम्बन्ध रखने वाले लोग ही इन पदों पर लगे हुए हैं । इटावा में एक प्लास्टिक ट्रेनिंग सेन्टर चल रहा है । उसके सम्बन्ध में वहां पर मशीनों की सप्लाई हुई और वे मशीनें डिफेक्टिव थीं । कानपुर के, जो कि उत्तर प्रदेश के लिये काटेज इंडस्ट्रीज का सैन्टर है, सप्लाई विभाग में जो उच्चाधिकरी थे, वे लोग ही इस के लिये जिम्मेदार हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि गृह-उद्योग विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं, उन से सम्बन्धित लोग, उन के रिश्तेदार और जात-बिरादरी के लोग ही ज्यादातर इन महकमों में एपवायंटमेंट्स पाते हैं । उच्चाधिकारियों के आदमी होने के नाते ये लोग बजाय गृह-उद्योग विभाग को प्रोत्साहित करते उसको निरुत्साहित करते हैं । इस तरफ हमारी सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

हथकरघे और खादी के विकास के कार्य में पार्टी के आधार पर पक्षपात भी बहुत ज्यादा चल रहा है । मैंने अपनी पार्टी और पब्लिक के बहुत से लोगों की तरफ से यह चाहा कि इटावा और मैनपुरी जिला में अम्बर चर्खे के अलग-अलग सैन्टर खुल, लेकिन आफिसर साहबान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा दबाव डाला जाता है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । हमारी सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये, ताकि एक विशेष पार्टी और उस पार्टी से सम्बन्धित और उन के नजदीकी लोग ही गृह-उद्योग विभाग से फायदा न उठायें ।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि खादी और चर्खे का पुराना सम्बन्ध कुछ विशेष प्रकार के लोगों और जातियों से रहा है । केवल खादी और चर्खे की बात नहीं है । और भी जितन गृह-उद्योग हैं, बहुत दिनों से उनका सम्बन्ध कुछ जातियों से और कुछ लोगों से चला आ रहा है, लेकिन अब देखा यह जाता है कि जब से यह गृह-उद्योग विभाग कायम हुआ है, तब से ही उन लोगों को मदद नहीं दी जा रही है, जो कि पहले से इस काम को करते आ रहे हैं और उनको ऐसे काम में शिरकत करने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता है । इसके बजाय होता यह है कि जो लोग किसी पार्टी

विशेष से सम्बन्धित हैं, या जो चलते-पुरजे लोग हैं, या जिनका सम्बन्ध किसी न किसी तरह से सरकारी आफिसरान से या कांग्रेस पार्टी से है, उन्हीं लोगों से सम्बन्धित लोग ही इससे लाभान्वित होते हैं। मैं यह राय देना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि वह गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन दे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग बहुत पुराने जमाने से इन पेशों में लगे चले आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को क्यों न इसमें शामिल कर के प्रोत्साहित किया जाय। वे देश की उन्नति में और गृह-उद्योगों के प्रोत्साहन में ज्यादा सहायक और हितकर सिद्ध हो सकते हैं।

जैसा कि पहले मैंने कहा है, जो रकम खादी इंडस्ट्रीज और हैंडलूम के लिये रखी गई है, वह बहुत ही थोड़ी है। आगे के बजट में इस के लिये ज्यादा रकम रखनी चाहिये। आरिजिनल (मूल) बजट में इसके लिये २४,६३,३६,००० रुपये रखे गये थे। अगर इस रकम को इससे चौगुना और इससे भी ज्यादा कर दिया जाय, तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह देश के विकास के लिये बहुत जरूरी है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहूंगा। देश में जो बड़े-बड़े कल-कारखाने चल रहे हैं, उन में बड़े-बड़े पूंजीपतियों की पूंजी लगी हुई है। इसलिये देश की गरीब जनता, किसान मजदूर और दूसरे छोटे-छोटे पेशों में काम करने वाले लोगों को, जो कि वास्तव में देश की सभी तरह की मिल्कियत को पैदा करते हैं और जो देश के धन को बढ़ाते हैं, ज्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिये। वास्तव में ये गृह-उद्योग तभी तरक्की कर सकते हैं, जब सरकार यह नीति अपनाए कि जो बड़े कल-कारखाने हैं, उनको और खूब तेजी के साथ प्रोत्साहित न करें, और उस तेजी के साथ न करें जिस तेजी के साथ कि आप अब कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनके बारे में या तो सरकार वही व्यू अखत्यार करे जो उसने जमींदारी एबालिशन (उन्मूलन) के बारे में किया है यानी उनको जब्त कर ले या फिर एकदम उसको नैशनलाइज कर दे। मैं समझता हूं कि किसी न किसी शक्ल में उनको जब्त करने का एक डेफनिट एनेक्टमेंट (निश्चित अधिनियम) सरकार को करना चाहिये। उनको नैशनलाइज करने से जो फायदा हो वह गृह-उद्योगों में लगाया जाना चाहिये और इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

मैं सरकार की उस नीति को अवश्य पसन्द करता हूं जिसके द्वारा उसने कल कारखानों के कपड़े पर एक टैक्स लगाया है और जो रुपया इस तरह से वसूल होता है, उसको वह खादी आदि पर खर्च करती है। मेरा ख्याल है कि एक पैसा फी गज का यह कर है। यह अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना टैक्स ही काफी नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा कल कारखानों पर टैक्स लगाये और उसके द्वारा जो रुपया सरकार को मिले वह उस रुपये का उपयोग गृह-उद्योगों को बढ़ावा देने में करे।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ३२ के सम्बन्ध में कुछ कहते हुए शिवरामन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें उस समिति ने उड़ीसा की स्थिति पर प्रकाश डाला है कि हीराकुड बांध की नहरों के परिणामस्वरूप १·५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगी है। परन्तु जब यह मामला उड़ीसा की विधान सभा में उठाया गया तो राज्य के राजस्व पदाधिकारी उस १·५ लाख एकड़ भूमि का पता नहीं लगा पाये कि वह कहां पर है। मेरा सुझाव है कि माननीय खाद्य मंत्री कृपया श्री शिवरामन को पुनः उड़ीसा भेजें जिससे वह इस १·५ लाख एकड़ भूमि को राज्य सरकार को बता सकें।

हमें बताया गया था कि इस परियोजना के निर्माण में लगे हुए ३,००० प्रवीण मजदूरों को पुनः नियुक्त करने के लिये उचित व्यवस्था की जायेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि इनमें से कितने पुनः नियुक्त हो चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाणिग्रही]

मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या ३५ खानों से सम्बन्धित मांगों के सम्बन्ध में है। मेरा निवेदन है कि यद्यपि उड़ीसा में लोहा, मेंगनीज आदि की खानें हैं परन्तु उनकी सूचना उचित रूप से तैयार नहीं की गई है। जब खान तथा खनिज विनियमन बनाये गये थे उस समय माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि इनकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। मैं अब यही जानना चाहता हूं कि सरकार ने राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या सहायता की है। साथ ही साथ मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उड़ीसा के क्षेत्रों का सर्वेक्षण आदि करने की ओर ध्यान दें।

मैं आशा करता हूं कि सरकार उन विस्थापित १२,००० आदिवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी जिनका उचित पुनर्वास अभी नहीं हुआ है। इनकी भूमि रूरकेला संयंत्र बनाने के लिये ले ली गई है। मेरा सुझाव है कि इनको काम दिलाने के लिये हमें प्राथमिकता देनी चाहिये।

अब मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हाल में भारत सरकार ने नैपाल से नेताओं का शिष्टमंडल बुलाया और कुछ ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने इस विषय में नपाली सरकार से सलाह नहीं ली। नैपाल सरकार को यह बुरा लगा कि राजनैतिक दलों के लोगों को भारत आमंत्रित करे। हमें अपने पड़ौसी राज्य का ध्यान रखना चाहिये था। उसकी अनुमति के द्वारा ही किसी को वहां से आमंत्रित करना चाहिये।

खाद्यान्नों की उड़ीसा में बड़ी कमी है। और हम बार-बार इस तथ्य को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको बार-बार यही उत्तर मिला है कि उस पर विचार किया जा रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों को कितनी सहायता दी गई है। उड़ीसा में धान के एक बोरे का मूल्य १७ रुपये १२ आने निर्धारित किया गया है। परन्तु पश्चिमी बंगाल की हद के पास चावल २३ रुपये ८ आने प्रति बोरा और बिहार में २६ रुपये १२ आने बिक रहा है। वहां के व्यापारी और बिचौलिये धान को खरीद कर चोर बाजारी कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार धान खरीदने की कोशिश कर रही है परन्तु भारत सरकार को भी उसकी सहायता करनी चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विशेष मंत्रालयों के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं अपने कुछ प्रारम्भिक विचार प्रकट करना चाहता हूं। प्रतिवर्ष हमारे सामने पूरक बजट बड़ी देरी में लाया जाता है। दिसम्बर में इस सदन के सामने एक पूरक बजट लाया गया था। उस पर इस सदन ने विचार किया था और अब फरवरी में भी हमारे सामने इसे पेश किया जा रहा है जब कि २८ फरवरी को अगले वर्ष का जनरल बजट हमारे सामने पेश किया जाना है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या ये विषय इतने जरूरी थे कि इनको दो महीने तक रोका नहीं जा सकता था या इन पर पहले ही विचार नहीं किया जा सकता था। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हिन्दी के प्रेमी हैं उनकी सुविधा के लिये इस पूरक बजट को हिन्दी में भी छापा जाना चाहिये। हम वित्त मंत्रालय के बड़े आभारी हैं कि उसने हर वर्ष के बजट को हिन्दी में भी प्रकाशित करना शुरू किया है। पूरक बजट को हिन्दी में प्रकाशित यदि नहीं किया जाता तो इससे उन लोगों को जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, असुविधा होती है। अगर इस छोटी-सी मांग को स्वीकार कर लिया जाये और आगे से पूरक बजट को हिन्दी में छपवाने का निर्णय कर लिया जाये तो इससे काफी सुविधा हो जायेगी।

अब मैं मांगों के बारे में कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सब से पहले मैं रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। मुझे विशेष तौर पर अनुदान संख्या ९, ११, १२ और १०६ के बारे

में अपने विचार प्रकट करने हैं। इस सम्बन्ध में मुझे तीन बातें कहनी हैं। सब से पहली बात तो यह है कि अनुदान संख्या ९ (ए) तथा ११ (ए) के द्वारा हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लाइज हैं उनको ढाई रुपया माहवार महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है, अर्थात् ढाई रुपया माहवार इंटरेम रिलीफ दिया गया है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री के जो दूसरे सिविल एम्प्लायीज हैं उनको पांच रुपया माहवार दिया गया है, जो कि पे कमिशन की रिकमेंडेशन के अनुसार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फर्क क्यों किया जा रहा है ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें और बताय कि उनको क्यों ढाई रुपये माहवार दिया जा रहा है और क्यों नहीं पे कमिशन की सिफारिश के अनुसार पांच रुपया माहवार दिया जा रहा है। सिविलयंस को तो पांच रुपया दिया गया है जबकि मिलिटरी परसोनेल (कर्मचारी) को ढाई रुपये बतौर रिलीफ के दिये गये हैं, यह फर्क समझ में नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि उनको भी पांच रुपया माहवार दिया जाये और फर्क क्यों किया जा रहा है, इसको सरकार हमें बताये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मांगों में कई जगह यह जिक्र है कि काम को ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है और अब उनको उसकी पेमेंट करनी है। एम० ई० एस० के द्वारा वे काम ठेकों पर दिये गये और बाद में जाकर ठेकेदारों के साथ झगड़े हुए और अदायगी नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आर्बिट्रेशन कराया गया और मुकदमे चले। आम तौर पर ये मुकदमे गवर्नमेंट के खिलाफ गये और अब मजबूर होकर उनकी अदायगी करनी पड़ रही है और पूरक बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। मैंने दिसम्बर में जब वाद-विवाद हुआ था उस समय भी निवेदन किया था कि यह चीज विभाग को शोभा नहीं देती है। मैं जानता हूं कि एम० ई० एस० के कर्मचारी काफी परिश्रमी हैं और काफी योग्यता के साथ अपना कार्य करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि सन् १९५० में ठेका दिया गया था, काम हो गया था लेकिन उसकी अदायगी नहीं की गई। इस पर सन् १९५५ में आर्बिट्रशन की बारी आई और सन् १९५७ में आदयगी की जा रही है। तथ्य यह है कि कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदारों को परेशान किया जाता है। मैं मानता हूं कि ठेकेदारों के अन्दर भी बहुत से लोग हैं जो समय पर काम नहीं करते हैं और तरह-तरह की अड़चनें डालते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एम० ई० एस० के कर्मचारी भी ज्यादा सतर्क हों और उदारत्तापूर्वक काम करें। मैं रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जब वह उत्तर दें तो हमें यह बतलायें कि कितने केसिज में आर्बिट्रेशन हुआ, कितने केसिज में मुकदमे चले और कितनों में फैसला उनके हक में हुआ। मैं तो समझता हूं कि ज्यादा तर केस गवर्नमेंट के खिलाफ ही गये हैं और आखिर में जाकर गवर्नमेंट को मजबूर होकर अदायगी करनी पड़ी है और यह रुपया कनसौलिडेटिड फंड में से दिया गया है और अब इस राशि को पूरक बजट में रखा गया है। इस तरह से सदन के सम्मुख पुरानी अदायगियों का निबटारा करने के लिये आना गवर्नमेंट के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में छानबीन हो और हिदायतें जारी होनी चाहियें कि ठेकेदारों की अदायगियाँ समय पर की जायें और नियमों का पालन करते हुए उदारता का बर्ताव किया जाये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डिमांड संख्या १२ में ४८,६४,००० रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है। इसमें यह कहा गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनको पैनशन मिलती है, वे समय पर पैनशन नहीं ले पाते हैं और उनकी पैनशनें एरियर में पड़ी रहती हैं और अब उनकी अदायगी करनी है। मैं रक्षा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये एरियर होते क्यों हैं, क्या इस पर कभी गम्भीरता से विचार किया गया है ? अक्सर हमारे जितने भी सैनिक लोग हैं वे ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं, रूरल एरियाज़ के रहने वाले हैं। उनके घरों स जो ट्रज़री आफिस होता है वह काफी दूर पड़ जाता है और वे लोग समझते हैं कि जब कभी मुकदमे के सिलसिले में या किसी और काम से उधर

[श्री भक्त दर्शन]
जायेंगे तो जा कर के एक साल की या छः महीने की पैनशन ले लेंगे । वे लोग हर महीने अपनी पैनशन लेने के लिये नहीं जा सकते हैं ।

दूसरी बात यह भी है कि आपको मालूम ही होगा कि जब प्रिंसली स्टेटस थीं, उस समय उनकी स्टेट फोर्सेज में हमारे बहुत से लोग भर्ती हुए थे, जैसे पटियाला थी, कपूरथला थी या दूसरी रियासतें थीं । अब उन स्टेट फोर्सेज को भारतीय सेना में मर्ज (विलीन) कर दिया गया है । लेकिन उसके बाद अब तक भी उनके पैनशन-पेपर ट्रांसफर नहीं हुए हैं । इस तरह की मेरे पास काफी शिकायतें आई हैं, और उनको मैंने रक्षा मंत्री जी के पास भेद दिया है । हमारे यहां गढ़वाल में बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं जो ग्वालियर में या अलवर में या पटियाला में नौकरी करते थे, वहां की स्टेट फोर्सेज में थे और उनको पैनशन लेने के लिये वहां उतनी दूर जाना पड़ता है । इस प्रश्न को मैंने दो साल पहले भी उठाया था और इसके बारे में लिखा-पढ़ी भी की थी । मुझे यह उत्तर दिया गया था कि जो फाइनेंशल इंटेग्रेशन है वह पूरा नहीं हुआ है तब तक जो "बी" क्लास स्टेट्स मानी जाती थीं, उनके एकाउंट्स रिजर्व बैंक के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकते थे । यह एक कानूनी अड़चन थी, जो मुझे बतलाई गई थी । अब मैं समझता हूं कि यह अड़चन नहीं रह गई है क्योंकि सारी की सारी "ए" क्लास स्टेट्स बन गई हैं और सभी राज्य राज्य-पुनर्गठन के बाद एक ही श्रेणी में आ गये हैं । इस वास्ते अब यह अड़चन नहीं होनी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं दो सुझाव रक्षा मंत्री के सम्मुख रखना चाहता हूं । पहला तो यह है कि जिन लोगों के पैनशन पेपर दूर पड़े हुए हैं और उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाय । इसके लिये आप यह न करें कि आप उनसे दरख्वास्तें मांगें। लाखों आदमी कहां तक अर्जियां देंगे ? इस वास्ते मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय स्वयं आदेश जारी कर दे कि जो एकाउंट्स दूर पड़े हुए हैं उनको उन सैनिकों के जिलों की ट्रेजरीस में ट्रांसफर कर दिया जाय । दूसरा मेरा सुझाव है कि जो हैवीली रिक्रूटेड एरियाज़ हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं, वहां कुछ जिलों में यह व्यवस्था हो जाय कि साल में एक बार या दो बार ट्रेजरी आफिसर रुपया बांटने के लिये जाया करे । बहुत से अंधे लोग होते हैं, विधवायें होती हैं, लूले लंगड़े होते हैं, इनवैलिड लोग होते हैं जो हैडक्वार्टर तक नहीं आ सकते हैं । अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय कि जहां पर भूतपूर्व सैनिकों की ज्यादा संख्या है वहां पर रक्षा मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिखा पढ़ी करके ट्रेजरी आफिसर को टी० ए० दे दे और वह साल में एक या दो बार वहां जाकर अदायगी कर आया करे तो मैं समझता हूं कि जो एरियर एक्युमुलेट होते हैं, वे नहीं होंगे और लोगों को भी सुविधा हो जायेगी ।

भारतीय डाक तार विभाग की जो डिमांड नम्बर ८३ है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि मैं अपनी ओर से तथा अतिरिक्त विभागीय स्टाफ की ओर से मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो रुपया महंगाई भत्ता, इंटरेम रिलीफ के तौर पर, नया जो हमारा एक्सट्रा डिपार्टमेंटल स्टाफ है, उसके लिये दिया है । इसके बारे में वैसे तो एक कमेटी बैठी हुई है और श्री राजन, पी० एण्ड० टी० डिपार्टमेंट के, उसके चेयरमैन हैं और वह इसकी जांच कर रही है । यह कमेटी अपना कार्य कर रही है । लेकिन इनके केस में भी क्यों फर्क किया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया है । "सब धान बाईस पसेरी" वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है । जहां एक्सट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिस खुलता है वहां पर बीस रुपये में एक पोस्टमैन रख लिया जाता है, बीस रुपये में ही एक पोस्ट मास्टर रख लिया जाता है और बीस रुपये में ही एक डार हरकारा रख दिया जाता है । चाहे काम में फर्क है, लेकिन २० रुपये मासिक का एक ग्रेड बना हुआ है । १० रुपये मूल वेतन और १० रुपये महंगाई भत्ता । यह २० रुपये जो दिया जा रहा है वह बहुत कम है । हालांकि मैं जानता हूं कि यह आशा की जाती है कि उनके पास कुछ और भी काम है । दूकान है, खेती करते हैं । लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि डाक हरकारों व पोस्टमैनों को दिन भर लग जाता है और वह दूसरा काम नहीं कर सकते ।

इसलिये यह मांग की जा रही है कि उनका मूल भत्ता बढ़ाया जाय। इसलिये होना तो यह चाहिये था अगर केन्द्रीय सरकार के दूसरे कर्मचारियों को ५ रुपये मासिक नया भत्ता दिया जा रहा था तो उन्हें १० रुपये दिया जाना चाहिये था। न्याय का यही तकाजा था, लेकिन कम से कम ५ रुपय तो दिया ही जाता। उसके बदले २ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई—यह बहुत असन्तोषजनक हैं और यह बहुत अपर्याप्त है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब अगले साल का बजट वह पेश करें तो पहले से ज्यादा होना चाहिये, नहीं तो जितना सेन्ट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ को दिया गया है, उनके बराबर तो उन्हें दिया ही जाना चाहिये।

डिमांड संख्या १२७ के सम्बन्ध में मुझे यह सुझाव देना है उसमें स्टोर्स के बारे में जिक्र किया गया है। वास्तव में डाक और तार विभाग के स्टोर्स की हालत बहुत खराब है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बतलाऊं। तीन साल से २२ तहसील हेडक्वार्टस हैं जिनके लिये विभाग ने स्वीकृति दी थी कि वहां तारघर खोले जायेंगे आज तीन साल से लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों में तारघर नहीं खुले, और जब कभी गवर्नमेंट से तकाजा किया जाता है, तो कहा जाता है कि हमारे पास स्टोर्स नहीं हैं। पता नहीं स्टोर्स कहां चले जाते हैं, और कैसे उनका बटवारा हो रहा है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं कि इसमें ज्यादा मांग की जा रही है और ज्यादा स्टोर्स आने वाले हैं, लेकिन उनका वितरण और फुर्ती से होना चाहिये, ताकि दूर-दूर के इलाकों में तारघर खुल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सहमत होंगे इससे क्योंकि आपका निर्वाचन क्षेत्र भी ग्रामों से सम्बन्ध रखता है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर डाकखाना खोलना, तारघर की तो बहुत बड़ी बात है, स्वराज्य की नई निशानी है। वहां और तो कुछ हो ही नहीं पाता, बड़े-बड़े बांध नहीं बन सकते, रेलवे लाइन नहीं खुल सकती, एक नया डाकघर खुल जाना भगवान की ओर से वरदान सिद्ध होता है। तो मैं समझता हूं कि स्टोर्स की पोजीशन पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये, और जहां तक सैंक्शन्ड प्रोपोजल्स का सम्बन्ध है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिये।

डिमांड संख्या १३० के सम्बन्ध में, कैपिटल आउटले ऑन रोड्स के सम्बन्ध में मुझे इतना कहना है कि हम लोग केन्द्रीय सरकार के बहुत अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने काफी रुपया राज्य सरकारों के लिये रखा है ताकि जो आर्थिक महत्व की सड़कें हैं, उनका विकास किया जाय। लेकिन मैं एक शिकायत गवर्नमेंट के सामने रखता चाहता हूं। मुझे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि वे कई मांगें अब तक केन्द्रीय सरकार से कर चुके, लेकिन रुपया रिलीज नहीं होता है। रुपया बजट में रखा जाता है लेकिन रिलीज नहीं होता वे कहते हैं कि हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, किस तरह से ठेकेदारों को दें, काम कैसे आगे बढ़ाया जाये? केवल कागज पर रख देने स काम नहीं चलता। मैं एक उदाहरण दूं। मोहन मर्चुला डोमैला बैजरौरोड मेरे जिले में है इस सड़क के लिये १२ लाख रुपये स्कीम के अन्दर मंजूर हुए हैं, पर उसमें से बहुत कम रुपया अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क का अधिकांश काम पूरा कर लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इन रुपयों को जरूर रिलीज किया जाय और जो प्रोग्राम स्वीकार किया गया है वह जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाय।

डिमांड नं० ७९ के बारे में मुझ से पहले श्री भरूचा और पाणिग्रही साहब ने प्रकाश डाला है। इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के लिये १ करोड़ रुपया प्लान में रखा गया था। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि वह २·१४ करोड़ कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में अगर सारे देश को देखा जाय तो यह पर्याप्त नहीं है। पिछले दिनों एक वर्ष पहले तक की जो रिपोर्ट है जिआलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की, उससे मालूम हुआ कि अभी तक हमारे देश का ७५ परसेंट हिस्सा ऐसा है जिसका जिआलोजिकल मैप

[श्री भक्त दर्शन]

तैयार नहीं हुआ है । अर्थात् यह पता नहीं कि कितना भंडार हमारी भूमि में छिपा पड़ा है । अभी न मैपिंग हुआ है न सर्वे हुआ है । पूरे आंकड़े हमारे सामने नहीं आये हैं, पूरे तथ्य, पूरे फैक्टस ऐंड फिगर्स, नहीं आ पाये हैं, एक वेग आइडिया है, हमारे सामने एक अस्पष्ट दृश्य है सारे देश का कि हमारी भूमि रत्नगर्भा है, उसके पास इतनी अधिक सम्पत्ति है । जैसे मैंने अपने जिले के सम्बन्ध में मांगें रखीं, वहां तांबे की खानें थीं, राजाओं के जमाने में ब्रिटिश सरकार के आने से पहले थीं, ब्रिटिश सरकार ने आते ही उन्हें बन्द करवा दिया और अभी तक वह बन्द की बन्द हैं । जांच पड़ताल हो चुकी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों काम शुरू नहीं किया जाता । वहां जिओलोजिस्ट जा चुके हैं, उन्होंन प्रमाणित कर दिया है कि वहां बहुत अच्छे प्रकार का कापर पाया जाता है । और देश में तांबे की आज कमी है । मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी हमारी तांबे की आवश्यकता है उसका १।४ हिस्सा भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं । शायद १० करोड़ रुपये का तांबा हम आयात करते हैं । मतलब यह कि करीब १० करोड़ रुपये का तांबा हम और देशों से मंगा रहे हैं । अतः हमारे देश में तांबे के विकास की बड़ी भारी गुंजाइश है और हमारे उद्योग धंधों, हमारे आर्थिक जीवन पर उसका बड़ा असर पड़ने वाला है, इसलिये आज मांग की जा रही है कि उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाय ।

अन्त में मुझे डिमांड संख्या ९४ के बारे में एक छोटा सा निवेदन करना है । वह यह है कि वर्क्स, हाउसिंग ऐण्ड सप्लाई मिनिस्ट्री के अन्तर्गत **अदर सिविल वर्क्स** के लिये दो करोड़ ७९ लाख ४३ हजार रुपया रखा गया है दूसरे विभागों का काम करने के लिये । यानी एक तो सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० अपना काम करता है और कुछ दूसरे विभागों का करता है, जैसे पोस्ट ऐण्ड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट है, सिविल ऐविएशन है । पोस्ट ऐण्ड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट के बारे में आपको शायद याद होगा, कि जितना रुपया पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, मैं समझता हूं कि उसका आधा रुपया भी खर्च नहीं हो पाया । कितनी खराब हालत है, इससे सब परिचित हैं, कई बार इस सदन में उस पर वाद-विवाद हुआ है कि डाक-तार विभाग अपने इंजीनियर रखे ताकि वह अपना काम आगे बढ़ा सके । यह जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० है, केन्द्रीय लोक कर्म विभाग है, उसके अन्दर तेजी आनी चाहिये । पिछले दिनों दोनों विभागों में एक समझौता हुआ था और एक लियेजों आफीसर, एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई थी । इसके बाद काम बढ़ाने की बात सोची जा रही है, लेकिन जहां तक मुझे पता है अभी तक तेजी नहीं आ पाई है, और शिथिल गति से काम हो रहा है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां तक मुझे मालूम है शायद १० करोड़ रुपये का प्रौविजन है डाक तार विभाग की बिल्डिंगें बनाने के लिये । लेकिन इस वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार कोई ज्यादा रुपया खर्च नहीं हो सका है । इसलिये मैं अपने सी० पी० डब्ल्यू० डी० से खास तौर से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां तक दूसरे विभागों की उसने जिम्मेदारी ले रखी है, खास कर पोस्ट ऐण्ड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट की, उसकी बिल्डिंगें जल्दी से जल्दी बनाने की उसकी जिम्मेदारी है ।

अन्त में मुझे एक ही बात कहनी है । वह यह कि इस डिमांड के अन्तर्गत रिक्वीजीशन्ड बिल्डिंग्स भी आती हैं । इस बारे में इस भवन में काफी वाद-विवाद हो चुका है और एक कानून भी पिछले दिनों पास हो चुका है । यहां शिकायत की गयी थी कि मकान मालिकों के लिये बड़ी दिक्कत हो जाती है । बिना काम के भी मकान रिक्वीजीशन कर लिये जाते हैं और उनको जरूरत होने पर भी वापस नहीं किये जाते हैं । म आपके द्वारा मंत्रालय के सामने यह शिकायत रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिये कुछ इमारतों को रिक्वीजीशन किया है पर वे लोग उन इमारतों को सबलैट कर देते हैं । दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर दिल्ली में कनाट सरकस में छतरी वाला की बिल्डिंग है जो कि लड़ाई के जमाने में रिक्वीजीशन की गयी थी । उसके ऊपर के हिस्से में तो सरकारी कर्मचारी रहते हैं और नीचे एक यार्क रेस्टुरां खुला हुआ है । न मालूम कैसे यह स्थान यार्क रेस्टुरां को मिल गया । इस बिल्डिंग को

सरकारी कर्मचारियों के लिये रिक्वीजीशन किया गया था और यार्क रेस्टुरां के लिये नहीं। लेकिन यह स्थान उनके पास है। उन्होंने वहां कई और दुकानें भी चलवा रखी हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग को इस बात की भी देखभाल करनी चाहिये जिन बिल्डिंग्स की अब सरकार को आवश्यकता नहीं है उनको छोड़ दिया जाये और यदि इन इमारतों की सरकार को आवश्यकता है तो उनके बारे में जो नियम हैं उनका ठीक-ठीक पालन किया जाये। यह बिल्डिंग जिसका मैंने जिक्र किया इसका इतना सबलैटिंग कर दिया गया है कि जो ऊपर सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनको जीने से उपर जाने में कठिनाई होती है। नीचे यार्क रेस्टुरां हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के रेस्टुरां किस तरह के होते हैं। वहां पर किस प्रकार का विलासिता का नग्न नृत्य होता है यह सब को मालूम है कैसी शराब पी जाती है......

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अब कहां शराब पी जाती है। अब तो लाइसेंस नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : मैं समझता हूं कि अभी भी हफ्ते में एक दो दिन की छूट है।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि माननीय सदस्य के इल्म में हो, आप सुनें तो।

श्री भक्त दर्शन : मेरा निजी अनुभव नहीं है जो मैंने सुना है वही मुझे मालूम है। मैंने तो ऐसे रेस्टुरां को दूर से भी नहीं देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार इस बिल्डिंग का दुरुपयोग हो रहा है जिसका नतीजा यह है कि जो ऊपर सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनकी स्त्रियों को वहां रहने में कठिनाई हो रही है। इसलिये मैंने यह उदाहरण दिया कि रिक्वीजीशन्ड बिल्डिंग का किस प्रकार यहां पर सरकार का नियन्त्रण रहते हुए भी दुरुपयोग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों की छान-बीन की जाये और इस प्रकार की इमारतों का सदुपयोग होना चाहिये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत किया है। इसका सम्बन्ध नासिक रोड के भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय के कर्मचारियों की हड़ताल से है। उस सम्बन्ध में मुझे सदन और मंत्री महोदय के समक्ष कुछ शिकायतें रखनी हैं। यहां पर ४,०२२ कर्मचारी हैं, जिनमें से ३,६०० कर्मचारी हड़ताल पर थे। हड़तालियों की कुछ मांगें तो मान ली गई थीं। पर जिस एक मांग पर विवाद था वह यह थी कि सप्ताह में काम के घंटे ४४ होने चाहिये। आजकल वहां सप्ताह में ४८ घंटे काम करना पड़ता है।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : क्या नीति सम्बन्धी मामला उठाया जा सकता है ? वह उस हड़ताल का उल्लेख कर रहे हैं, जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं तो केवल उन लोगों की शिकायतें प्रस्तुत कर रहा था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : भारत-पाकिस्तान नहरी विवाद का मामला बहुत बार पहले सदन के समक्ष आ चुका है और इसके सुलझने के लिये कोई नई आशायें भी नहीं हैं। मेरे और कुछ अन्य माननीय सदस्यों के मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें प्रकट किया जा रहा है। इस विवाद को समाप्त करने के लिये सितम्बर से विश्व बैंक के अनेक प्रतिनिधि आते रहे हैं। परन्तु असफल होकर वापिस लौटे हैं। इससे हमारे देश को सभी प्रकार से हानि

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

हो रही है। लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान इस विवाद को समाप्त ही नहीं करना चाहता, और भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। वह अपने देश में ही नहीं प्रत्युत सारे संसार में भारत को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है। संसार को यह बताने का यत्न किया जा रहा है कि काश्मीर और नहरी पानी के मामले में भारत का व्यवहार बड़ा अनुचित है। पाकिस्तान को इस प्रचार में कुछ सफलता भी मिल रही है। पाकिस्तान के कई प्रधान मंत्री इस मामले में भारत को धमकियां भी दे चुके हैं। श्री फिरोज खां नून की सरकार के प्रतिनिधि भी इसी प्रकार की धमकियां दे रहे हैं कि यदि यह समस्या न सुलझाई गयी तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। इस प्रकार की धमकियों के विरुद्ध हमें रोष प्रकट करना चाहिये क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बड़ा ही शुद्ध है।

हमारी सरकार को इसके विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट करना चाहिये। पाकिस्तान के अखबार लगातार भारत के विरुद्ध विष वमन कर रहे हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री सुहरावर्दी ने अमेरिका में कहा था कि भारत पाकिस्तान को भूखों मारने का यत्न कर रहा है। संसार के दिमाग में यह बात जबरदस्ती ठूंसी जा रही है कि इस समस्या को हल करने में भारत ही रुकावटें पैदा कर रहा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह उदारता हमारे लिये कहां तक लाभदायक सिद्ध हो रही है ?

१९४८ से लेकर आज तक का यही इतिहास है। १९५२ में विश्व बैंक के प्रधान श्री ब्लैक ने नदियों का बंटवारा कर लेने का प्रस्ताव रखा, परन्तु पाकिस्तान को यह भी स्वीकार न हुआ। इसके बाद विश्व बैंक ने पांच वर्ष में पाकिस्तान को अपनी नहरें बनाने के लिये कहा और भारत ने इनके निर्माण का खर्च देना भी मान लिया, परन्तु पाकिस्तान ने यह भी अस्वीकृत कर दिया। इन सब बातों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान इस समस्या को हल ही नहीं करना चाहता। यदि पाकिस्तान सचमुच इस प्रश्न को हल करना चाहता तो वह इसे राजनीतिक प्रश्न न बनाकर आर्थिक प्रश्न बनाता। अब श्री इलिफ से बातचीत चल रही है और आम लोगों का अनुमान है कि इस बातचीत के फलस्वरूप पाकिस्तान को और लाभ होने वाला है। और मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहती हूं कि इस मामले में पाकिस्तान को और रियायतें नहीं दी जायेंगी। इसके साथ ही इस बात का भी आश्वासन चाहती हूं कि इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के हाथों में पंच फैसले के लिये भी नहीं दिया जायेगा।

काश्मीर के मामले में हमें काफी हानि उठानी पड़ी है। इस मामले को पंच फैसले के लिये देने की हमें भूल नहीं करनी चाहिये। इस मामले को हमें स्वयं ही अन्तिम रूप में हल करना चाहिये। इसके साथ ही यह भी उचित बात ही है कि जो कुछ हमारा उनकी ओर निकलता है उसकी अदायगी हमें हो ही जानी चाहिये। न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार जो जल उन्होंने प्रयोग किया है, उसके पैसे उन्हें हमको देने ही चाहिये। इसमें तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। मंत्री महोदय के कथन के अनुसार यह राशि बढ़ती चली जा रही है और हम चुप हैं। हमें यह आश्वासन मिलना चाहिये कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को और रियायतें नहीं दी जायगी।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या यह बात पाकिस्तान के हित में नहीं है कि वह भारत से कोई बातचीत न करते हुए भी भारतीय नदियों से बराबर पानी ले रहा है।

दूसरा यह कि पाकिस्तान जो पानी ले रहा है क्यों उसकी मात्रा १९४८ से ५० प्रतिशत बढ़ नहीं गयी है। तीसरे यह कि जब ३१ जनवरी को श्री इलिफ भारत आये तो यह प्रस्ताव रखा गया कि जो-जो नदियां जिसके भाग में हैं उन पर उनका एकाधिकार नहीं होगा। और यह मामला परस्पर समन्वय

†मूल अंग्रेजी में।

द्वारा हल किया जायेगा। क्या भारत इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है ? इसके अनुसार ४ मई, १९४८ के अन्तर्गत जो बातें पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार की थीं वह सब समाप्त हो जायेंगी क्योंकि उनमें कहा गया था कि पाकिस्तान भारतीय नदियों से और पानी नहीं लेगा।

यह मेरे प्रश्न अथवा सन्देह हैं। आशा है कि मंत्री महोदय इनके समुचित उत्तर देंगे।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : गत बार कुछ शर्तों के साथ भारत ने ४० करोड़ की राशि नहरों के निर्माण के लिये देनी स्वीकार कर ली थी। क्या अब श्री इलिफ के भारत आने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : अच्छा होता यदि इस विवाद के लिये कोई और दिन चुना गया होता। क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है और माननीय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य देशों के लोगों को भी इसमें रुचि है। मैं यह जानता हूं कि इस नहरी पानी विवादों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की माननीय सदस्यों की इच्छा भी स्वाभाविक ही है कि इस सम्बन्ध में क्या होगा। सदस्यों का यह कहना भी ठीक है कि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान १९४८ के करार की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है।

सविस्तार बातें करने में तो समय लगेगा। और शायद ही कोई सत्र ऐसा होता हो, जिसमें इस विवाद के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में लगभग दर्जनों प्रश्न न पूछे जाते हों। अतः मैं अधिक समय नहीं लूंगा। समय-समय पर जो प्रासंगिक बातें सामने आती रहती हैं, मैं उनके सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा और आशा है उनसे माननीय सदस्यों के भय और सन्देह को भी दूर कर सकूंगा।

सदन को पता भी है कि ४ मई, १९४८ के भारत-पाक करार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने वादा किया था कि वह भारत के रक्षित बैंक में, समय-समय पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित राशि जमा करता रहेगा। विभिन्न वर्षों में इस राशि में कोई विशेष अन्तर नहीं आता, परन्तु जो कुछ तबदीली होती है वह भी अनुमान के कारण। मैं सदन को बताने का यत्न करूंगा कि झगड़ा क्या है और क्या नहीं है। कितना रुपया पाकिस्तान ने दिया और कितना नहीं दिया। यह प्रश्न बार-बार सदन में आया है, इसलिये इसका स्पष्टीकरण बहुत ही आवश्यक है।

जिन दो नहरों से पाकिस्तान को पानी दिया जाता है उनमें से एक नहर अपर बारी दोआब है और दूसरी दीपाल नहर है जी कि फिरोजपुर से निकाली गई है। इसके लिये ३० लाख का वार्षिक मुआवजा है इस सम्बन्ध में पाकिस्तान पूर्णतः सहमत है। यह राशि थोड़ी बहुत घट बढ़ भी सकती है पर यह रकम पाकिस्तान पूरी और नियमित रूप में अदा कर रहा है। इसमें इन नहरों के संचालन और उनकी देख-रेख की लागत का आनुपातिक आवर्तक अंश तथा भारतीय क्षेत्र में इन नहरों पर लगी पूंजी का ब्याज भी सम्मिलित है। इन नहरों पर लगी कुल पूंजी, कुल लागत पूंजी की पुस्त पूंजी की दो गुना मानी जाती है। ब्याज की दर ४ प्रतिशत है। अब झगड़ा अपर बारी दोआब नहर के पूंजी मूल्य के अतिरिक्त ब्याज और शुल्क का है। पाकिस्तान का कहना है कि यह पूंजी लागत की पुस्त पूंजी का दो गुना के स्थान पर चार गुना माना जाये। इस विवादग्रस्त मामले के बारे में पाकिस्तान ने जनवरी १९५० तक १५ लाख रुपये रक्षित बैंक में अस्थायी रूप से जमा करा दिये थे। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई राशि नहीं जमा की। इस झगड़े में पाकिस्तान के नाम अभी ९० लाख रुपया पड़ा है।

माननीय सदस्यों को ये दोनों बातें समझ लेनी चाहियें। यह खर्च जो लिया जाता है, वह पानी के लि नहीं है, वह तो भारतीय क्षेत्रों से जाने वाली नहरों की मरम्मत व देखभाल के लिये खर्च की गयी रा के बदले में होता है। यह रकम लगभग ३० लाख वार्षिक होती है। इसके बारे में कोई विवाद न

†मूल अंग्रेजी म।

[श्री स० का० पाटिल]

है। पाकिस्तान यह रकम नियमित रूप से अदा कर रहा है और यह भारत पाक करार में भी है। जिन खर्चों के बारे में विवाद है उनकी बात लीजिये। विवाद इस बात पर है कि हम पूंजी का दो गुना चाहते हैं और पूर्वी पंजाब सरकार की मांग चार गुने की है। इस बात का समुचित इलाज यह समझा गया कि तदर्थ अस्थायी भुगतान कर दिया जाये और बाद में इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच पंच फैसले द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से उसका अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा। पाकिस्तान ने इस विवादास्पद रकम में से केवल २५ लाख अदा किया है और बाकी रकम ९० लाख रह गयी है। यह झगड़े और न झगड़े वाली रकमों की बात है।

मैं इस मामले में सारे इतिहास को नहीं लेना चाहता, परन्तु जैसा कि माननीय महिला सदस्य ने कहा है, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि पाकिस्तान इस नहरी पानी विवाद को काश्मीर विवाद के साथ ही मिला कर हल करना चाहता है, तो हम भी इस सम्बन्ध में सहायता करने को तैयार हैं क्योंकि हो सकता है कि दोनों विवाद एक साथ सुलझ जायें। परन्तु यदि यह विवाद आर्थिक है और इसका सम्बन्ध देश के लाखों कृषकों से है और पाकिस्तान अथवा भारत के लाखों लोगों का इससे सम्बन्ध है, तो इसका निर्णय समझौते द्वारा ही हो जाना चाहिये। जहां तक भारत का सम्बन्ध है वह उसे राजनीतिक प्रश्न समझता ही नहीं। यह बात मैं इस सदन तथा अन्य सदन में भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। हम इसे आर्थिक ढंग का विवाद मानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसे भारत और पाकिस्तान की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना है। १९४८ के भारत-पाक करार का भी यही आधार है। अन्यथा इन सारी शर्तों को स्वीकार ही न किया जाता।

अतः पाकिस्तान से मेरी यह अपील है कि उन्हें इस विवाद को काश्मीर के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। वह इस मामले को आर्थिक और कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो २४ घंटों में मामला हल हो सकता है। इसी कारण विश्व बैंक ने इस समस्या में कुछ रुचि प्रदर्शित की है, अन्यथा उसका इससे कुछ सम्बन्ध ही नहीं था। उनका विचार था कि यह विवाद अन्त में राजनीतिक रूप धारण कर लेगा। इस प्रकार तो इस समस्या का अन्त नहीं हो सकता। इसी कारण विश्व बैंक ने सुझाव दिया कि आर्थिक प्रश्न समझ कर इसे हल करने की कोशिश की जानी चाहिये। १९५२ से विश्व बैंक इस समस्या को सुलझाने में लगा है और १९५४ में उसने अपनी प्रसिद्ध प्रस्थापनाओं को प्रस्तुत किया था।

स्थिति क्या है? भारत की यह इच्छा है कि इस विवाद को आर्थिक विवाद समझा जाय। पाकिस्तान के लोगों और किसानों को पानी मिले। इसी प्रकार भारत के किसानों को भी पानी मिले। इस लिये जल्दी से जल्दी यह प्रबन्ध कर दिया जाय कि पाकिस्तान जो पानी पूर्वी नदियों से ले रहा है वह अब पश्चिमी नदियों से ले। इसके लिये जो खर्चा करना पड़ेगा वह भारत सहन कर लेगा। और भारत वह खर्चा अदा करेगा जो कि इस परिवर्तन के उद्देश्य से बनाई जाने वाली नहरों पर किया जाने वाला उचित खर्चा होगा। यदि इस पर विवाद हो तो विश्व बैंक अथवा कोई अन्य अभिकरण जो समझौता करायेगा उसे हम मान लेंगे। परन्तु यदि पाकिस्तान सामान्य पानी लेने के अतिरिक्त इन नहरों को अपने विस्तार और विकास के लिय प्रयोग करना चाहता है तो उसे यह अधिकार होगा। पर इस मतलब के लिये नहरों के निर्माण में जो व्यय होगा उसके लिये हम सारा धन नहीं दे सकते। इन नहरों के निर्माण पर जो समुचित व सीधा खर्चा होगा उसे परस्पर निर्णय से तय जो होगा वह हम दे दगे। यह रकम चाहे ३०, ४०, अथवा ५० करोड़ रुपये हो पर इस के लिये हम वचनबद्ध हैं। इसमें भी भारत को हानि है क्योंकि निर्माण की जो लागत दस वर्ष पूर्व थी वह आज नहीं है। यदि दो वर्ष और मामला इसी तरह रहा तो खर्चा और अधिक हो जायेगा। परन्तु किसी भी हालत में हम अपने वचन पर कायम हैं।

अब एक अन्य बात, जो कि इस सदन और दूसरे सदन में भी पूछी गई कि पाकिस्तान ने कुछ नहरें बनाई हैं और वह उनसे पानी ले रहा है, तो हम उसके लिये अदायगी क्यों नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा

उचित प्रश्न है जो कि हमसे पूछा गया है। बिना मूल्य दिये किसी वस्तु के उपयोग का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत किसी समय भी अपने वचन से हटने को तैयार नहीं। इसमें दोष यह है कि थोड़ा-थोड़ा देने से काम नहीं चलता और इससे समस्या के हल होने में भी देरी होती है। हम इस समस्या को पूरे रूप से शीघ्र सुलझाने के पक्ष में हैं। इसका कारण यह है कि समय व्यतीत होने पर निर्माण खर्चे के बढ़ जाने की सम्भावना है, और साथ ही हमें जल प्राप्त करने की भी जरूरत है हमने विश्व बैंक के सामने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम देना चाहते हैं और दे भी चुके होते। जो मिलाने वाली नहरें आज तक बन चुकी हैं, उसकी भी कुछ अंशों में अदायगी अब तक कर दी गयी होती। मुनासिब अदायगी करने से हमने कभी भी इन्कार नहीं किया है।

हमारे समक्ष एक-दो बातें और आती हैं कि क्या होगा और वर्तमान अवस्था क्या है। यह बात कई बार सदन में कही जा चुकी है कि पाकिस्तान १९४८ में इन नहरों से १०० लाख एकड़ फीट पानी लेता था। यह मात्रा काफी बड़ी है। अब उसे इतना पानी पश्चिमी नदियों से प्राप्त करना चाहिये। इन नदियों की पानी की मात्रा पूर्वी नदियों से चार गुना अधिक है। यह नहीं कि हम पाकिस्तान को असम्भव बात करने को कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं भारत-पाक करार में ऐसा करना स्वीकार किया था। इसलिये उसे करना ही चाहिये।

आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने जो नहरें बनाई हैं उनसे ५० लाख एकड़ फीट पानी तो वह ले ही रहा है। यह लगभग आधा है और प्रयत्न करने पर यह कमी भी पूरी हो सकती है। इसमें कठिनाइयां और रुकावटें तो आयेंगी, परन्तु यह हो जायेगा। जितना पानी पाकिस्तान पूर्वी नदियों से लेता चला आ रहा है उसका ५० प्रतिशत तो वह प्राप्त कर ही लेगा। तो प्रश्न है कि आधे के लिये उसे नहरें बनानी होंगी। और जब वह बन जायेंगी भारत-पाक करार के अनुसार हम उसकी अदायगी कर देंगे। झगड़ा कुछ भी नहीं, परन्तु पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं रहा। हमने इसके लिये कई बार अन्तिम तिथि की बात की है। परन्तु यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं। यह पाकिस्तान को धमकी नहीं। धमकियां देने म हम पाकिस्तान की नकल नहीं करना चाहते, चाहे वे कितनी ही धमकियां देते रह। शक्तिशाली पुरुष अथवा शक्तिशाली राष्ट्र धमकियों में विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि १९६२ में हम उस जल को प्रयोग करने में समर्थ हो जायें जो कि हमारे लिये है। लोग कहते हैं कि उसे आज ही क्यों नहीं प्रयोग कर लिया जाता। तीन-पांच वर्ष की प्रतीक्षा का मतलब क्या है? शायद कुछ माननीय सदस्य मामले के कानूनी मसले को नहीं समझते। यदि पाकिस्तान भी हमें अपने १०० लाख एकड़ फीट पानी को प्रयोग करने के लिये कहे तो हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिये हमें अपनी नहरों का निर्माण करना होगा। इस जल को लेने के लिये सरहद और राजस्थान की नहरें ठीक रहेंगी।

आज चाहे कुछ कहें हम १९६२ से आगे-पीछे नहीं हो सकते। इसे धमकी समझा नहीं जाना चाहिये। हमने पाकिस्तान को समझाया, उससे प्रार्थना की कि वह १९६२ तक नहरें बना ले ताकि बाद में यह न कहा जाय कि भारत ने एक दम पानी रोक लिया और पाकिस्तान जल से वंचित रह कर सूखा हो गया। और बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहा जायेगा कि लाखों किसान भूखों मर रहे हैं। यदि हम उन्हें पानी न भी दें तो भी वह अपनी जरूरत से १० प्रतिशत अधिक जल उपलब्ध कर सकते हैं। ९० प्रतिशत जल संसाधन पाकिस्तान के पास है। पर प्रचार यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाया जा रहा है। हमने १९६२ का समय रखा है। और उस समय तक पाकिस्तान नहरें बना सकता है, और मैत्रीपूर्ण ढंग से भारत से फैसला कर सकता है।

बात स्पष्ट है कि १९६२ से पूर्व जब तक भी हम अपनी सरहद और राजस्थान की नहरों के लिये पानी लेने के योग्य होंगे पाकिस्तान को अपनी नहरों का निर्माण कर लेना चाहिये। पाकिस्तान जब

[श्री स० का० पाटिल]

अपनी नहरें बनवा लेगा, तो भारत अपना वचन पूरा करेगा, यदि इससे पहले निर्णय हो जाय, तो पहले भी कर देगा। आखिरकार नहरों का निर्माण करने और परस्पर फैसला होते-होते भी समय तो लग ही जायेगा।

विश्व बैंक का जहां तक सम्बन्ध है, मेरा और भारत सरकार का यह विश्वास है कि वह अच्छा ही काम कर रहा है। वह ईमानदारी से प्रयत्नशील है कि दोनों देशों में बातचीत और समझौते से यह समस्या हल हो जाये। यदि वह कुछ सहायता कर सके तो वह इसके लिये तैयार है। परन्तु यदि हम उनके बिना कर लें तब भी उनको उतनी ही प्रसन्नता होगी।

३१ मार्च, १९५७ को तदर्थ करार की भी अवधि समाप्त हो गयी है, आगे के करार भी ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त हो गये। आज हम बिना किसी करार के हैं, एक सामान्य मौखिक समझौता है और हमने विश्व बैंक से कह दिया है कि हम १९६२ तक पानी वापिस नहीं लेंगे, और हम वापिस लेने की स्थिति में भी नहीं हैं।

अन्तिम बात यह है कि जब विश्व बैंक के उपप्रधान श्री इलिफ भारत आये तो कहा गया कि वह इस सम्बन्ध में कोई तजवीज प्रस्तुत कर रहे हैं। परन्तु कोई गोपनीय बात नहीं थी। वह आये और चले गये और कोई खास बात नहीं हुई। लोग यों ही अन्दाजे लगाने लगते हैं। श्री इलिफ कोई ऐसी असाधारण तजवीज लेकर नहीं आये थे जिससे कि उथल-पुथल हो जाती। विश्व बैंक की यह इच्छा अवश्य है कि नहरें बन जाने पर ५० लाख एकड़ फीट को प्रतिस्थापित करने का रास्ता निकाला जाये। चाहे इसके लिये कोई भी साधन प्रयोग में लाया जाय।

एक यह भी बात है कि प्रकृति ने भारत-पाक क्षेत्रों की व्यवस्था इस ढंग से की है कि भारत जलाशय बना कर जल का प्रयोग कर सकता है। यह हमारा दोष तो है नहीं, न ही हमने प्रकृति से कुछ ठेका ही ले रखा है कि पाकिस्तान को हानि हो और भारत को लाभ। इसलिये ये छोटी-छोटी बातें हैं और विश्व बैंक इन कठिनाइयों को दूर करवाना चाहता है। पाकिस्तान १०० लाख एकड़ फीट पानी कहां से लेगा? पूर्वी नदियों का नहीं, चाहे वह पश्चिमी नदियों से ले अथवा पश्चिमी और पूर्वी से मिला कर ले। हम पूर्वी नदियों से जल की यह मात्रा नहीं दे सकते। और यदि कोई अदला-बदली हो तो कुछ अंश पश्चिमी नदियों से लिया जा सकता है।

यह नया दृष्टिकोण है, परन्तु इसके सम्बन्ध में विस्तार से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका अभी मुझे भी पूरा पता नहीं।

अतः मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि भारत के हितों का जहां तक सम्बन्ध है, और उन लाखों किसानों का सम्बन्ध है, जिनको इस पानी से लाभ होना है, भारत काफी जागरूक है। हम उस सम्बन्ध में कोई भूल नहीं होने देंगे। इससे सदन को विश्वास हो जायेगा कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने इस दिशा में जो प्रयत्न किये हैं उनका उद्देश्य यही था कि इस समस्या का हल शीघ्र हो जाय।

राष्ट्रपति से सन्देश

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे सदन को बताना है कि मुझे राष्ट्रपति से निम्न सन्देश मिला है —

"१० फरवरी, १९५८ को एक साथ समवेत हुई दोनों सभाओं को मैंने जो अभिभाषण दिया था उसके लिये लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद से मुझे परम संतोष है।"

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २० फरवरी, १९५८]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ७४९–७५

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
३२२	दूध बोर्ड ...	७४९–५१
३२३	आसाम रेल सम्पर्क	७५१–५३
३२४	मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड	७५३–५४
३२५	मुर्गीखानों का विकास	७५४–५५
३२७	रेलवे यात्री सुविधायें ...	७५६
३२८	भारत-नार्वे मत्स्य-ग्रहण परियोजना	७५६–५८
३२९	खाद्यान्न जांच समिति ...	७५८–६०
३३०	त्रिपुरा से रेल-सम्पर्क ...	७६०–६१
३३१	दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना	७६१
३३२	माल-डिब्बों की मरम्मत के लिये वर्कशाप	७६२–६३
३३३	रेलवे दुर्घटनायें	७६३–६५
३३४	जूट	७६५
३४९	उड़ीसा में जूट की कीमतें	७६६
३३५	कौंच-जल-भण्डार परियोजना ...	७६७
३३६	चावल की वसूली की योजना ...	७६८
३३७	केन्द्रीय चावल समिति ...	७६९
३३८	डिब्बों का पटरी से उतर जाना	७६९–७१
३४०	गन्ना	७७१–७२
३४१	चौधरी समिति का प्रतिवेदन	७७२–७३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	अनाज के दाम	७७३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ७७५–८०२

तारांकित प्रश्न संख्या		
३२६	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली	७७५
३३९	हिमाचल प्रदेश में गेहूं	७७५
३४२	उड़ीसा में चावल ...	७७५–७६
३४३	गृह-निर्माण सहकारी समिति	७७६

M107LSD—7

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४४	बिहार में सिंचाई की सुविधायें	७७६
३४५	नागार्जुनसागर परियोजना में दायें किनारे का अस्पताल ...	७७७
३४६	इमारतों में दोष	७७७
३४७	केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति	७७८
३४८	स्वास्थ्य प्रशासन की नीरोगकारी तथा निरोधक शाखाओं का एकीकरण	७७८
३५०	त्रिपुरा में मछली का सम्भरण	७७८
३५१	मनीआर्डर ...	७७९
३५२	माल-डिब्बों का न दिया जाना	७७९
३५४	साइकल ट्रौली ...	७७९—८०
३५५	रेलवे में भ्रष्टाचार का मामला	७८०
३५६	ग्रामदान तथा सामुदायिक परियोजनाओं का एकीकरण ...	७८०—८१
३५७	अमेरिका से सहायता	७८१
३५८	भुवनेश्वर में मुर्गीखाना	७८१
३५९	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ...	७८१—८२
३६०	रेल गाड़ियों में यात्रियों को तार बांटना	७८२
३६१	इंजीनियरिंग स्नातकों को नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण ...	७८२
३६२	डाक और तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय फैडरेशन की मांगें ...	७८३
३६३	रेल डिब्बों का पटरी से नीचे उतर जाना	७८३
३६४	विक्टोरिया टरमिनस स्टेशन	७८३
३६५	दिल्ली में बूचड़खाना	७८३—८४
३६६	खाद्य उत्पादन ...	७८४
३६७	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क ...	७८४
३६८	दिल्ली में असैनिक हवाई अड्डा ...	७८४
३६९	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	७८५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३९२	उर्वरक ...	७८५
३९३	गोदी कर्मचारी	७८६
३९४	बेतार के तार केन्द्र	७८६—८७
३९५	काण्डला बन्दरगाह के मजदूरों का कल्याण	७८७
३९६	सूरतगढ़ में केन्द्रीय मैकेनाइज्ड फार्म	७८७
३९७	ऋतु सम्बन्धी विज्ञप्तियां	७८८
३९८	मानीटरिंग केन्द्र	७८८
३९९	पंचोरा जंक्शन का रेलवे फाटक ...	७८८—८९
४००	रेलवे का ऊपरीपुल, चालीसगांव	७८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४०१	राजस्थान में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	७८९
४०२	राजस्थान में उचित मूल्य वाली दुकानें	७८९
४०३	दिल्ली में अंगूर की पैदावार	७९०
४०४	विभागातिरिक्त कर्मचारी	७९०
४०५	गैर-सरकारी रेलवे समवाय	७९०
४०६	भारतीय मार्ग कांग्रेस	७९०–९१
४०७	खाद्यान्न का निर्यात	७९१
४०८	भाखड़ा नंगल परियोजना प्रशासन	७९१
४०९	संयुक्त विस्तार निर्देशकों की नियुक्ति	७९१–९२
४१०	रेलवे सैलून ..	७९२
४११	जहाजों के लिये विदेशी सहायता	७९२
४१२	खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में चोरी	७९३
४१३	सहकारी चीनी मिलें ...	७९३
४१४	डाकघर भवन, छतरपुर, मध्य प्रदेश	७९३–९४
४१५	दिल्ली में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड	७९४
४१६	खाद्य उत्पादन आयुक्त ...	७९४
४१७	पंजाब के गुरदासपुर जिले में डाकघर	७९४–९५
४१८	डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	७९५
४१९	हिमाचल प्रदेश में भेड़-पालन केन्द्र	७९५
४२०	आलू का व्यापार	७९५
४२१	दुर्घटनाओं की रोकथाम	७९६
४२२	जापानी ढंग से धान की खेती	७९६
४२३	कलकत्ता में चावल का भाव	७९६
४२४	रेल सेवा का उपयोग	७९६–९७
४२५	रतलाम-गोधरा सेक्शन पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	७९७
४२६	मध्य प्रदेश में टेलीफोन तथा तार घर	७९७
४२७	फारेस्ट ट्रेनिंग कालेज, देहरादून ...	७९७–९८
४२८	सार्वजनिक टेलीफोन घर	७९८
४२९	सार्वजनिक टेलीफोन घर	७९८
४३०	मध्य प्रदेश में गौशालायें	७९८
४३१	कुर्ग के डाक व तार कर्मचारी	७९९
४३२	उड़ीसा में सड़कें तथा पुल ...	७९९
४३३	वी० एम० अस्पताल, अगरताला	७९९
४३४	त्रिपुरा में हैजा	७९९–८००
४३५	गन्ना उत्पादकों को भुगतान न किया जाना	८००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४३६	पंजाब में रबी की फसल का प्राक्कलन	८००
४३७	डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान	८०१
४३८	रेलवे डिब्बों में चोरियां	८०१
४३९	जाजपुर में डाकघर की इमारत ...	८०१
४४०	दक्षिण पूर्व रेलवे का डिवीजनल हैडक्वार्टर	८०१–०२
४४१	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का संवरण	८०२
४४२	पंजाब में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड	८०२

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ८०२–०३, ८०५

(१) श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने १९ फरवरी, १९५८ को आसनसोल क्षेत्र की दो खानों में विस्फोट और बाढ़ के फलस्वरूप सम्भावित जन जीवन की हानि के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(२) सहकारी मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने फल परिरक्षकों की लाइसेंस फीस के बारे में ११ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ पर श्री दासप्पा द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र.......... ८०३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) वर्ष १९५६-५७ के लिये ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(२) वर्ष १९५६-५७ के लिये वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ... ८०३

चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

याचिका की सूचना ८०३–०४

सचिव ने वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ के बारे में एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्राप्त होने की सूचना दी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ८०४

श्री आसर ने दिल्ली में पटेलनगर तथा उसके निकट के क्षेत्रों में जहरीली गैस फैलने की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

जीवन बीमा निगम के मामले के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ८०६–२६

भारत के जीवन बीमा निगम के कार्यों के बारे में जांच आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा १९ फरवरी, १९५८ को प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) ८३०–३६

वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा जारी रही।

आधे घन्टे की चर्चा ८३६–४४

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में १२ फरवरी, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

राष्ट्रपति से सन्देश ... ८४४

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को राष्ट्रपति से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना दी :—

"१० फरवरी, १९५८ को एक साथ समवेत हुई दोनों सभाओं को मैंने जो अभिभाषण दिया था, उसके लिये लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद से मुझे परम संतोष है।"

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वर्ष १९५७-१९५८ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर आगे चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक।

M107LSD(SI)—160—17-5-58—GIPF